लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

चतुर्थ माला

Fourth Series

खंड 3, 1967 / 1889 (शक)

Volume (iii), 1967/1889 (Saka)

[22 मई से 5 जून, 1967 / 1 ज्येष्ठ से 15 ज्येष्ठ, 1889 (शक)]

[May 22 to June 5, 1967/ Jyaistha 1 to Jyaistha 15, 1889 (Saka)]

दूसरा सत्र, 1967/1889 (शक)

Second Session, 1967/1889 (Saka)

(खण्ड 3 में अंक 1 से 10 तक हैं)

(Volume (iii) Contains Nos. 1 to 10)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

1353

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 2 बुधवार, 24 मई, 1967/3 ज्येष्ठ, 1889 (शक)

No. 2–Wednesday, May 24, 1967/Jyaistha 3, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
31	राज्यपालों की नियुक्ति	Appointment of Governors ..	129–131
33	भारत और पाकिस्तान के बीच दूर संचार सेवा	Indo-Pak Tele-Communications Service	131–133
34	सरकारी पदों पर आरूढ़ व्यक्तियों की सम्पत्ति	Wealth of Persons holding Public Offices	133–136
35	निजाम का राज्याभिषेक	Coronation of the Nizam ..	136–139
36	पूर्वी पाकिस्तानी परिवारों का भारतीय क्षेत्र में घुस आना	Crossing into Indian Territory by East Pak. Families	140–142
अ. सू. प्रश्न S. N. Q. No.			
1	दिल्ली के कालेजों में दाखिला	Admission in Delhi Colleges	142–145

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या S. Q. Nos.			
37	चंडीगढ़ के सम्बन्ध में मध्यस्थ निर्णय	Arbitration on Chandigarh ..	146
38	औद्योगिक कर्मचारियों के लिये पारिवारिक पेन्शन योजना	Family Pension Scheme for Industrial workers	146–147
39	भारत अमरीका शिक्षा प्रतिष्ठान	Indo-American Educational Foundation	147
40	लोकपाल तथा लोकायुक्त की नियुक्ति	Appointments of Lok Pal and Lok Ayuakt	148
41	शिव सेना	Shiva Sena	148–149
42	मजूरी बोर्ड	Wage Boards	149–150
43	प्रामाणिक ग्रन्थों तथा लोकप्रिय पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद	Translation of Standard Works and Popular Books into Hindi	150–151
44	समान शिक्षा नीति	Uniform Education Policy ..	151
45	राजभाषा अधिनियम	Official Languages Act	151–152
46	हड़तालें तथा श्रमिक आन्दोलन	Strikes and Labour Agitations ..	152
47	सीमा विवाद	Border Disputes	152–153
48	विद्युत चालित संगणक (कम्प्यूटर)	Electronic Computers	153
49	वैज्ञानिकों तथा तकनिशियनों का सेवा के लिये विदेशों में चले जाना	Brain Drain..	153–154
50	प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन	Report of the Administrative Reforms Commission	154
51	संथानम समिति की सिफारिशें	Santhanam Committee Recommendations	154–155

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

ता. प्र. संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
52	आसाम नागलैंड सीमा विवाद	Assam Nagaland Boundary Dispute	155–156
53	दिल्ली में बच्चों और युवा लड़कियों का अपहरण	Kidnapping of Children and young girls in Delhi	156
54	आम चुनावों में विदेशी धन का प्रयोग	Use of Foreign money in General Elections..	157
55	कर्मचारी भविष्य निधि	Employees Provident Fund ..	157–158
56	शिक्षा मन्त्रियों का सम्मेलन	Education Ministers' Conference	158
57	भारतीय सर्वेक्षण दल पर नागाओं का आक्रमण	Attack by Nagas on Indian Survey Team	158
58	कृषि प्रधान शिक्षा	Agriculture biased Education ..	159–160
59	लक्ष्मीरत्न काटन मिल्स, कानपुर	Laxmiratan Cotton Mills, Kanpur	160
60	विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता	Indiscipline Among Students ..	160–161

अतारांकित प्रश्न संख्या U. Q. Nos.

अ. प्र. संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
95	मन्दिरों से मूर्तियों की चोरी	Theft of Idols from Temples	161
96	प्राचीन कलाकृतियों का निर्यात	Export of Antique Pieces ..	161-162
97	भारत में नियुक्त विदेशी लोग	Foreigners employed in India ..	162
98	शाखा डाकघर, छपरा	Branch Post Office Chhapra	162–163
99	सराफुद्दीनपुर डाकघर	Sarafudinpur Post Office	163
100	टेलीफोन लगाना	Telephone Connections	163
101	भारतीय भाषाओं का प्रचार	Propagation of Indian Languages	164
102	नई दिल्ली नगरपालिका के प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की संख्या	Number of Childreni n N.D.M.C. Primary Schools	164–165
103	बेरोजगारी	Unemployment	165
104	अखिल भारतीय न्यायिक सेवाएं	All India Judicial Services ..	165
105	दक्षिण में हिन्दी के प्रचार के लिए बोर्ड	Board for Propagation of Hindi in the South	166
106	राज्यपालों द्वारा सलाह लेना	Consultation by Governors ..	166
107	पराजित कांग्रेसियों की नियुक्ति	Appointment of defeated Congressmen	166
108	सरकारी उपक्रमों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश	Recommendation of ARC Regarding Public Undertakings..	167
109	राजधानी सलाहकार समिति, चण्डीगढ़	Capital Advisory Committee Chandigarh	167
110	मिजो विद्रोहियों का जमाव	Concentration by Mizos	167-168
113	केरल की जेलों में पाकिस्तानी राष्ट्रजन	Pakistani Nationals in Kerala Jails	168
114	कलकत्ता में दंगे	Calcutta Disturbances	168–169

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता. प्र. संख्या U, Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
115	समुद्र तटों पर काम करने वाले श्रमिकों की शिकायतें	Grievances of Shore Labour ..	169
116	सवेतन छुट्टी के रूप में 'मई दिवस'	May Day as Paid Holiday ..	169
117	चाय बागानों के कर्मचारियों को दिया गया मंहगाई भत्ता	Dearness Allowance paid to Tea Plantation Workers	169-170
118	विदेशी तेल कम्पनियों में छंटनी	Retrenchment in Foreign Oil Companies	170
119	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में छुट्टियां	Holidays in Central Govt. Offices	171
120	शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन	Education Commission Report..	171-172
121	धर्म प्रचारक	Missionaries.. —	172
122	केन्द्रीय सचिवालय में अवर सचिव अनुभाग अधिकारी	Under Secretaries/Section Officers in the Central Secretariat ..	172-173
123	दिल्ली में धर्मपुरा में मकान का गिराना	Dharampura House Collapse (Delhi)	173
124	डाक फार्म	Postal Forms	173-174
125	7 नवम्बर, 1966 को नई दिल्ली में हुए गोलीकांड में मारे गये अथवा घायल हुए व्यक्ति	Victims of Firing in New Delhi on 7th November, 1966 ..	174
127	भारतीय असैनिक सेवा के अधिकारी	I. C. S. Officers	174-175
128	उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुर्नियुक्ति	Re-employment of Retired High Courts and Supreme Court Judges	175
129	विदेशी राष्ट्रजनों को गतिविधियां	Activities of Foreign Nationals ..	176
130	गुजरात में रसायन इंजीनियरिंग संस्था	Chemical Engineering Institute in Gujarat	176
131	मोजाम्बीक से आने वाले विस्थापित व्यक्ति	Displaced Persons from Mozam-bique .. —	176-177
132	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा सहकारी साहित्य का अनुवाद	Translation of Official Literature Central Hindi Directorate ..	177
133	शेख अब्दुल्ला	Sheikh Abdullah	177-178
134	फलित ज्योतिष को मान्यता	Recognition of Astrology ..	178-179
135	मिजो विद्रोहियों के हमलों के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों का बसाया जाना	Rehabilitation of Persons Affected by Hostile Mizos Attacks ..	179
136	बम्बई में जमा किये हुए गोला बारूद का पता लगाना	Unearthing of an Arms Dump in Bombay	179-180
137	दिल्ली (शाहदरा) में बम विस्फोट	Bomb Explosion in Delhi (Shahdara)	180
138	आसाम का पुनर्गठन	Reorganisation of Assam ..	180-181

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS -Contd.

139	डाक टिकट	Postal Stamps	181
140	पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Boards for Journalists	181-182
141	मद्य निषेध	Prohibition ..	182
142	मिजो समस्या	Mizo Problem ..	182
143	शिक्षा के लिए धन का नियतन	Allocation for Education	183
144	दिल्ली के अध्यापकों की हड़ताल	Strike by Delhi Teachers ..	183
145	चम्पारन में पूर्वी बंगाल से आए हुए शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of East Bengal Refugees in Champaran ..	183–184
146	असिस्टेन्टों की वरिष्ठता	Seniority of Assistants	184
147	मृदुला साराभाई पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Mridula Sarabhai	184
148	नागदा रेयन फैक्ट्री	Nagda Rayon Factory	184
149	केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा का विकेन्द्रीकरण	Decentralisation of CSCS Scheme	184-185
150	भूतपूर्व सैनिकों की वरिष्ठता तथा वेतन का निर्धारण	Seniority and Pay Fixation of Army Men	185–186
151	डाक तथा तार विभाग के सर्कलों में शिकायत कक्ष (सैल)	Complaints cells in P & T Circles	186
152	उत्तर प्रदेश के वाणिज्यक निगम के कार्यालयों पर छापे	Raids on Offices of UP Commercial Corporation	186
153	धर्म परिवर्तन	Religions Conversions	186–187
154	शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन	Changes in Educational System	187
155	जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय	Shri Jawahar Lal Nehru Memorial Museum	187
156	राज्यों की भाषा	Languages of States	187–188
157	भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को तन्निम्न नियम (नेक्स्ट बिलो रूल) का लाभ	Next Below Rule Benefit to IAS Officers	188
158	स्मृति डाक टिकट	Commemorative Stamps	188
159	लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर	Lakshmi Rattan Cotton Mills, Kanpur	188–189
160	संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था	Joint Consultative Machinery ..	189–190
161	मोहित चौधरी और सुनीलदास जासूसी कोण्ड	Mohit Chaudhari and Sunil Das Esplonage Case..	190
162	केन्द्रीय सरकार के मन्त्रियों तथा अधिकारियों के टेलीफोन बिलों की बकाया राशि	Arrears of Telephone Bills of Central Ministers and Officers	190–191
163	पुंछ जिले के परिवारों को सहायता	Relief to Families of Poonch District	191–192

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS -Contd.

अता. प्र. संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
164	अखिल भारतीय सेवाओं में जम्मू तथा काश्मीर के अधिकारी	Jammu and Kashmir Officers in IAS	192
165	छम्ब जौरियां क्षेत्र में पुनर्वास कार्य	Rehabilitation Work in Chhamb-Jaurian Sector	192-193
166	कोचीन गोदी मजदूर बोर्ड	Cochin Dock Labour Board ..	193
167	अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय परिषद्	Inter-State Council under Article 263	193-194
168	मद्रास राज्य के नाम में परिवर्तन	Change in the name of Madras State	194
169	हिन्दी में पत्र व्यवहार	Correspondence in Hindi.. ..	194-195
170	उडीसा के बारे में केन्द्रीय जांच विभाग का प्रतिवेदन	C. B. I. Report on Orissa	195
171	प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों का वेतन	Pay of Primary School Teachers	195-196
172	सूती कपडा उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड	Wage Board for Cotton and Textiles Industry	196
173	रसायनों और उर्वरकों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Chemicals and Fertilizers	197
174	सड़क परिवहन सम्बन्धी मजूरी बोर्ड	Wage Board for Road Transport	197-198
175	केन्द्र तथा राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध	Centre State Relations	198
176	सरकारी कर्मचारी-विधाक सम्बन्ध	Official Legislator Relationship..	198-199
177	चिनलैंड आन्दोलन	Chinland Movement ..	199
178	राजनैतिक बन्दियों की रिहाई	Release of Political Prisoners ..	199
179	कार्यालयों में स्वचालित मशीनों का प्रयोग	Automation in Offices	200
180	संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेफा (उपूसी) के बारे में प्रतिवेदन	Report of NEFA by Parliamentary Delegation	200
181	कोयला खान उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड	Wage Board for Coal Mining Industry..	201
182	उद्योगों के लिए प्रोत्साहन योजना	Incentive Scheme for Industries..	201
183	उद्योगों के प्रबन्ध में श्रमिकों का भाग लेना	Labour Participation in Industries	202
184	शिक्षा को समवर्ती विषय बनाना	Education as a Concurrent Subject	202
185	भाषा सम्बन्धी सूत्र	Language Formula	202-203
186	उत्कल विश्वविद्यालय को अनुदान	Grant to Utkal University ..	203
187	उड़ीसा में कागजात का पकड़ा जाना	Seizure of Papers in Orissa ..	203-204
188	उड़ीसा के डाक तथा तार विभाग के लिए पत्र पुनः प्रेषण डाकघर	Return letter office for Orissa Posts and Telegraphs Department	204
189	हरियाणा में गांधी विद्या मन्दिर को अनुदान	Grant to Gandhi Vidya Mandir in Haryana	204
190	पूर्वी पाकिस्तान से पहले आये हुए लोगों का पुनर्वास	Rehabilitation of old migrants from East Pakistan	204-205

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
191	बेगम अब्दुल्ला पर लगे प्रतिबन्ध	Restriction on Begum Abdullah	205
192	कॉलटेक्स आयल कम्पनी, कलकत्ता	Caltex Oil Company, Calcutta ..	205-206
193	विदेशी छात्रवृत्तियां	Foreign Scholarships	206
194	युवक सेवा विभाग	Department of Youth Services ..	206-207
195	राजधानी में आत्म हत्याएं तथा हत्याएं	Suicides and murders in Capital	207
196	एक विदेशी व्यक्ति द्वारा एक बस ड्राईवर की मारपीट	Manhandling of a bus driver by a foreigner..	207-208
197	विदेशी दूतावासों में सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्धा	Relatives of Government employees in Foreign Missions ..	208
198	अन्तर्जातीय विवाहों के माध्यम से भावात्मक एकता	Emotional integration through intercaste marriages	208-209
199	राज्यपाल तथा उपराज्यपाल	Governors and Lt. Governors ..	209
200	स्तरकाष्ठ (प्लाइवुड) उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड	Wage Board for Plywood Industry	209
201	केरल में नये विश्वविद्यालय	New Universities in Kerala ..	209
202	नागालैंड और मिजोलैंड में स्थिति	Situation in Nagaland and Mizo Land	210
203	नये विश्वविद्यालय	New Universities	210
204	डाक विभाग की लेखन सामग्री (पोस्टल स्टेशनरी)	Postal Stationery ..	210-211
205	प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज, सिल्चर	Regional Engineering College, Silchar	211
206	कचार शिविरों में प्रव्रजक	Migrants in Cachar Camps ..	211-212
207	आसाम में पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Migrants from East pakistan in Assam ..	212-213
208	औद्योगिक प्रतिभूतियों में भविष्य निधि का विनियोजन	Investment of Provident Fund in Industrial Securities	213
209	विशाखापत्तनम में चुनाव के दिन छुट्टी	Holiday on Election Day in Visakhapatnam	213-214
210	शिक्षा सम्बन्धी सुधारों के लिये धन का नियतन	Allocation for Educational Reforms	214
211	कैरो हत्या काण्ड	Kairon Murder Case	214-215
212	मंत्रालयों में अनुवाद का काम	Translation work in Ministries ..	215
213	अजन्ता भित्ति चित्र को क्षति	Damage to an Ajanta painting ..	215
214	सरकारी दफ्तरों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	S. C. & S. T. Employees in Government Offices.. ..	215-216
215	प्राथमिक पाठशालाओं के बच्चों का मध्याह्न भोजन	Mid day Meals to Primary School Children	216-217

अता. प्र. संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

216	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु	Retirement Age of Central Government employees	217
217	पाकिस्तानी जासूस	Pak. Spies	218
218	अखिल भारतीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग	S. C. and S. T. Candidates in All India Services	218
219	दया याचिकाएं	Mercy Petitions	218-219
220	स्वर्णकारों को रियायतें	Concession to Goldsmiths	219
221	राजस्थान के मुसलमान	Muslims of Rajasthan	219
222	राजस्थान में पाकिस्तानी नागरिकों का प्रवेश	Entry of Pak. Nationals into Rajasthan	219
223	पुरातत्व सम्बन्धी क्षेत्र	Archaeological Circles	219-220
224	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़ी हुई जातियों की शिक्षा सम्बन्धी समस्याएं	Educational problems of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classess ..	220
225	विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम	Media of Instruction at University Stage	220-221
226	विद्यार्थियों के लिए रोजगार	Jobs for Students	221
227	नैमित्तिक मजदूरों के लिये बेरोजगारी बीमा	Unemployment Insurance for Casual Workers	221
229	देहाती क्षेत्रों में डाकघर	Post offices in rural areas ..	221-222
230	डाक व तार सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण	Reservation of S. C. & S. T. in P. & T. services	222-223
231	तेलुगू समाचारपत्र में प्रकाशित लेख तथा उसके परिणाम	Article published in a Telegu paper and its effects	223
232	उड़ीसा में पंचायत समिति के कार्यालय	Panchayat Samiti Offices in Orissa	223-224
233	उड़ीसा में शिक्षित बेरोजगार	Educated unemployed persons in Orissa	224
234	उड़ीसा में डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के लिये मकान	Accommodation for P. & T. Employees in Orissa	224-225
235	उड़ीसा में डाकघर	Post offices in Orissa	225
236	राज्यों में काम दिलाऊ दफ्तर	Employment Exchanges in States	226
237	भारत सुरक्षा नियम	D. I. R.	226
238	चालू रजिस्टरों में दर्ज भूतपूर्व सैनिक	Ex-Servicemen on Live Registers	226
239	कोयला खानों में दुर्घटनाएं	Accidents in Coal Mines ..	227
240	दिल्ली में जामामस्जिद तथा लाल किले की मरम्मत पर व्यय	Cost of Repairs of Jama Masjid and Red Fort, Delhi ..	227

अता. प्र. संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
241	मैसूर राज्य में डाक तथा तार घर	P. & T. Offices in Mysore State	227–228
242	टेलीफोन उपकरण निर्माण कारखाना	Telephone Epuipment Manufacturing Unit	228
243	अतिबारम्बारता वाली सूक्षम तरंग व्यवस्था	V. H. F. Microwave System ..	228–229
244	राजस्थान में अधिसूचित तथा भरे गये रिक्त स्थान	Vacancies notified and filled in Rajasthan	229
245	राजस्थान में शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति	Educated Unemployed persons in Rajasthan	229-230
246	राजस्थान और उड़ीसा में संस्कृत का विकास	Development of Sanskrit in Rajasthan and Orissa	230
247	राजस्थान और उड़ीसा में हिन्दी का विकास	Development of Hindi in Rajasthan and Orissa	230-231
248	मनीपुर के एक गांव में आग लगने से नष्ट हुए मकान	Houses destroyed by fire in Manipur Village	231
249	मनीपुर में ग्राम सेवक दल का आक्रमण	Attack by Village Volunteer Forces in Manipur	231–232
250	विदेशी धर्म प्रचारक	Foreign Missionaries	232
251	गोआ में गिरजाघरों आदि में खाद्यान्नों का वितरण	Distribution of Foodgrains in Churches etc. in Goa ..	232
252	थाना जिला (महाराष्ट्र) में आदिम जाति के लोगों का धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनाया जाना	Conversion of Tribals into Christianity in Thana Distt. (Maharashtra)	232–233
253	मेरठ में एक विश्वविद्यालय की स्थापना	Setting up of a University in Meerut	233
254	शिक्षकों के लिये उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to U. P. for Teachers	233
255	रेडियो लाइसेन्स	Radio Licences	233-234
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent public Importance, ..	234–235
	पश्चिमी बंगाल के श्रम मन्त्री द्वारा 'मई दिवस' के अवसर पर भाषण का प्रसारण	Broadcast of May Day Speech of Labour Minister of West Bengal	234–235
	श्री स. मो. बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	234
	श्री के. के. शाह	Shri K. K. Shah	234
	ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)	Re. Call Attention Notices (Query)	235
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	235–239
	संसदीय समितियां–कार्यवाही का सारांश	Parliamentary Committees–Summary of Work	239
	विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	President's Assent to Bills ..	239–240
	गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Member's Bill and Resolutions	240

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
पहला प्रतिवेदन	First Report	240
युरोपीय साझा बाजार (ई. सी. एम.) में प्रवेश के लिये ब्रिटेन द्वारा फिर से किये गये आवेदन के बारे में वक्तव्य	Statement on U. K.'s Renewed Application for Entry into ECM	240–244
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh ..	240–243
समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee	253
कार्य मन्त्रणा समिति	Business Advisory Committee ..	253–254
पहला प्रतिवेदन	First Report	253–254
भ्रष्टाचार निरोध विधियां (संशोधन) विधेयक–पुरःस्थापित	Anti–Corporation Laws (Amendment) Bill–Introduced ..	254–255
भ्रष्टाचार निरोध विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1967 के बारे में विवरण	Statement Re. Anti-Corruption Laws (Amendment) Ordinance, 1967	255–257
संघ लोक सेवा आयोग के 1964–65 के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Report of Union Public Service Commission, 1964–65	255–257
श्री दी. चं. शर्मा	Shri D. C. Sharma	255
श्री अ. कु. किस्कु	Shri A. K. Kisku ..	256–257
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	257
स्थगन प्रस्ताव—अस्वीकृत	Motion for Adjournment-negatived	257–266
दिल्ली पुलिस द्वारा आन्दोलन	Agitation by Delhi Police	257–266
डा. राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia ..	257–258
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indarjit Gupta	258–259
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji ..	259–260
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह	Shri Virendrakumar Shah	260–261
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	261
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	261
श्री नि. चं चटर्जी	Shri N. C. Chatterjee	261–262
श्री रा. कृ. सिंह	Shri R. K. Singh	262
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	262
श्री नायनार	Shri E. K. Nayanar ..	262–263
श्री भोलानाथ	Shri Bhola Nath	263
श्री स. कुण्डु	Shri S. Kundu	263
श्री शोनारायण	Shri Sheo Narain	263
श्री कंवरलाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	264
श्री म. ला. सोंधी	Shri M. L. Sondhi	264
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	264–265

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 24 मई, 1967/3 ज्येष्ठ, 1889 (शक)
Wednesday, May 24, 1967/Jyaistha 3, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

राज्यपालों की नियुक्ति

* 31. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बी० एस० शर्मा :
श्री स्वैल :
श्री कीकर सिंह :
श्री आर० के० बिड़ला :
श्री कोलाई बिरुआ :
डा० कर्णी सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार सिंह :
श्री राम सिंह आयरवाल :
श्री वाई० ए० प्रसाद :
श्री एन० के० सरजू :
श्रीमती नीलम कौर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-कांग्रेसी मुख्य मंत्रियों ने सरकार को सुझाव दिया है कि उनके राज्यों के लिये राज्यपाल नियुक्त करने से पहले उनकी सलाह ली जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। किन्तु राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित राज्य के मुख्य मंत्री से परामर्श किया जाता है।

Shri Onkar Lal Berwa : Recently the Governor of Rajasthan has given a decision, that ninty-three are less and eighty-nine are more with the intention of not allowing the formation of non-Congress Govt., whether Govt formulated any such policy that the former Chief Ministers of the States or the President or the Secretary of the Party should not be appoin ed on the post of the Governor and that the Chief Ministers of the States should be consulted before appointing the Governors ?

श्री यशवन्तराव चव्हान : राजस्थान के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के प्रश्न यहाँ उठाये जा चुके हैं और उनके उत्तर भी दिये जा चुके हैं। जहाँ तक राज्यपालों की नियुक्ति का सम्बन्ध है, उनकी नियुक्ति करते समय राज्य का सामाजिक वातावरण, वहाँ के लोगों का मानसिक झुकाव, व्यक्ति विशेष का राजनीति तथा प्रशासन में अनुभव आदि बातों का ध्यान रखा जाता है।

Shri Onkar Lal Berwa : I would like to know the number of the Governors, who have been non-Congressmen.

Shri Y. B. Chavan : There are so many.

Shri D. N. Tiwary : What has been the convention in this respect ? Are the Chief Ministers consulted in every case ? Is the advice of the Chief Minister considered to be binding in respect of appointment of a Governor ?

Shri Y. B. Chavan : It is a long-established convention that the advice of Chief Minister of the State is taken. But advice is advice and it is not binding.

Shri Sarjoo Pandey : I would like to know the total number of Governors in the country with the break-up, their being Congressmen and non-Congressmen.

श्री यशवन्तराव चव्हान : इस समय कुल 17 राज्यपाल और 4 उपराज्यपाल हैं। इनमें से 4 भूतपूर्व सेवा-निवृत्त असैनिक सरकारी कर्मचारी हैं। वे सभी गैर-कांग्रेसी हैं। उड़ीसा का राज्यपाल एक प्रसिद्ध इंजिनियर है। दो उपराज्यपाल भूतपूर्व सरकारी कर्मचारी हैं और एक निवृत्ति-प्राप्त सेना का जनरल है।

Shri Kanwarlal Gupta : How many Governors do not belong to Congress Party ?

श्री यशवन्तराव चव्हान : मद्रास के राज्यपाल श्री उज्ज्वल सिंह और आन्ध्र-प्रदेश का राज्यपाल, श्री पद्दम थानु पिल्ले गैर-कांग्रेसी हैं।

Shri A. B. Vajpayee : I would like to know whether the Govt. intend to change the old convention to avoid the conflict between the States and Centre in view of changed situation when there are non-Congress Govts. in various States. What will be the position if the advice of the Chief Minister is not acted upon ? What is the number of cases in which such advice has not been accepted ?

श्री यशवन्तराव चव्हान : जब से मैंने गृह-कार्य मंत्रालय का भार संभाला है तब से अभी तक राज्यपालों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में एक भी मामले में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार राज्यपालों के पदों को समाप्त करने के प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है, क्योंकि राज्यपाल की व्यवस्था ब्रिटिश शासन की देन है और संसदीय रचना से इसका मेल नहीं खाता ?

श्री यशवन्तराव चव्हान : मैं माननीय सदस्य के विचार से सहमत नहीं हूँ। 'गवर्नर' शब्द हमने अवश्य ही अंग्रेजों से लिया है परन्तु भारत के संविधान में इसे स्वीकार कर लिया गया है और सरकार का इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

Shri Sheo Narain : Is there any Governor or Lt. Governor, who belongs to 'Harijan Community', out of these 17 Governors and 4 Lt. Governors ? If not, why ?

श्री यशवन्तराव चव्हान : अब कोई भी राज्यपाल हरिजन नहीं है। साथ ही राज्यपाल जैसे उच्चपद के लिये आरक्षण की बात नहीं सोचनी चाहिये। सामान्यतः एक हरिजन भी राज्यपाल बनाया जा सकता है।

श्री तिन्नेटी विश्वनाथम् : क्या कुछ ऐसे भी मामले हैं जहाँ राज्यपालों की नियुक्ति मुख्य मंत्रियों के परामर्श के अनुसार नहीं की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं। अब तक ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है।

Shri Yashpal Singh : Will the Govt. tell us whether there is any plan providing for appointing non-Congressmen as Governors in the States having Congress Govts. ?

श्री यशवन्तराव चव्हान : यह एक सुझाव है जिस पर विचार किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री पाटोदिया जी, अगला प्रश्न कीजिये।

भारत और पाकिस्तान के बीच दूर-संचार सेवा

\+

*33 **श्री देवकी नन्दन पटोदिया** :	**श्री एन. के. संघी** :
श्री दी. चं. शर्मा :	**श्री हुकम चन्द कछवाय** :
श्री रामपुरे :	**श्री ओंकार सिंह** :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :	**श्री वाई. ए. प्रसाद** :
श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ :	**श्री रा. बरुआ** :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच अब दूर-संचार सेवा स्थापित हो गई है ;
(ख) यदि हां, तो इसके वर्तमान कार्य-संचालन का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ; और
(ग) यदि नहीं, तो इसकी शीघ्र स्थापना के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग) : भारत और पाकिस्तान के बीच दूर-संचार सेवाएं फरवरी 1966 में आंशिक रूप से

पुनः शुरू की गई थी। तथापि, पाकिस्तानी अधिकारियों के सहयोग और ध्यान के अभाव के कारण सर्किट संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं।

ताशकन्द घोषणा की व्यवस्था के अनुसार भारत-पाक सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिये दूर-संचार समेत सभी विषयों पर विचार-विमर्श करने के भारत सरकार के सुझाव के उत्तर में पाकिस्तान सरकार ने दूर-संचार सुविधाओं को सामान्य बनाने के लिये बातचीत करने की इच्छा प्रकट की है। हमने पाकिस्तान के इस रुख का स्वागत किया है। हम बातचीत के क्षेत्र को व्यापक बनाने और उसमें सभी सम्बन्धित मामलों को सम्मिलित करने के लिये राजनयिक तरीकों द्वारा प्रयास कर रहे हैं। हमने ऐसे प्रश्नों पर जो किसी भी पक्ष द्वारा उठाये जायें, बातचीत करने के लिये पाकिस्तानी अधिकारियों के एक दल को दिल्ली आने के लिये भी कहा है। पाकिस्तान से इस सम्बन्ध में अन्तिम उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है, परन्तु अब तक पाकिस्तान से प्राप्त हुए पत्र-व्यवहार से बहुत अधिक आशा नहीं की जा सकती।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : हालांकि भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तान के जब्त किये हुए माल को एक तरफा तौर पर मुक्त कर दिया है, परन्तु पाकिस्तान के समुद्री क्षेत्र में भारत का सामान अभी भी रुका पड़ा है। दूरसंचार के बारे में बातचीत पुनः शुरू करने के लिये यह पूर्व-शर्त क्यों नहीं होनी चाहिये कि पाकिस्तान द्वारा भारत का माल छोड़े जाने पर ही बात-चीत पुनः शुरू की जा सकती है ? पाकिस्तान को सुविधाएँ देने का क्या लाभ है जबकि वह बदले में भारत को सुविधाएँ नहीं दे रहा है ?

श्री इ० कु० गुजराल : भारत के रुख को यहाँ कई बार स्पष्ट किया जा चुका है। किसी पूर्व-शर्त को रखना महत्त्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हम इस बात के इच्छुक हैं कि ताशकन्द समझौते की भावना के अनुसार दोनों देशों में सद्भावना बनी रहे और सभी पारस्परिक मामले बातचीत के जरिये हल हो जायें।

श्री नाथ पाई : अब ताशकन्द समझौते में कोई जान नहीं है। उसे अब भूत पुकारा जाना चाहिये।

श्री इ० कु० गुजराल : हम ताशकन्द समझौते की हत्या नहीं करना चाहते।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या ये दूर-संचार सेवाएँ भारत पाकिस्तान में संघर्ष होने से पूर्व काम कर रही थीं ? अब उन्हें पुनः कब चालू किया जायेगा ? इन दूरसंचार केन्द्रों को स्थापित करने का खर्च कौन वहन करेगा ? क्या यह खर्च भारत पाकिस्तान दोनों मिलकर उठायेंगे, यदि हाँ तो किस अनुपात में ?

श्री इ० कु० गुजराल : संघर्ष से पूर्व भारत पाकिस्तान के बीच तीन दूरसंचार लाइनें थीं जिनके नाम दिल्ली-लाहौर, कलकत्ता-ढाका और जोधपुर-कराची थे। फरवरी 1966 में दिल्ली-लाहौर और कलकत्ता-ढाका नामक दो लाइनों पर सेवाएँ पुनः शुरू हो गई थीं, परन्तु जोधपुर-कराची लाइन पर अभी तक सेवा पुनः शुरू नहीं की जा सकी है हालांकि इस बारे में

अनेक प्रयत्न किये जा चुके हैं। जहाँ तक इनसे होने वाले राजस्व का सम्बन्ध है, उसके बँटवारे के लिये विभिन्न सूत्र 1948 में निश्चित किये गये थे। तार और टेलीफोन के बिलों से प्राप्त राजस्व में से पाकिस्तान को लगभग 48 लाख रुपये अभी भारत को देने हैं तथा डाक टिकटों आदि से होने वाले राजस्व के खाते के अधीन पाकिस्तान की ओर लगभग एक करोड़ रुपया बकाया है। अनेक बार याद दिलाने के बावजूद इस राशि का पाकिस्तान ने अभी तक भारत को भुगतान नहीं किया है।

श्री देवकी नन्दन पटौदिया : भारत पाकिस्तान को सभी सुविधाएँ एक पक्षीय रूप से क्यों दे रहा है ? भारत ने पाकिस्तान का माल छोड़ दिया है जबकि पाकिस्तान ने अभी तक रोक रखा है। क्या बातचीत शुरू करने के लिये भारत यह पूर्व शर्त नहीं रख सकता कि भारतीय माल को छोड़ा जाय ?

श्री इ० कु० गुजराल : मैं माननीय सदस्य के तर्क से सहमत हूँ। परन्तु नीति का मामला होने के कारण हम बातचीत के लिये ऐसी कोई पूर्व शर्त नहीं रखना चाहते। दूर-संचार सेवा के स्थापित हो जाने से भारत पाक के बीच बात करने का साधन बन जायेगा और फिर परस्पर सभी विषयों पर बातचीत की जा सकती है। जब भी पाकिस्तान बात करने के लिये राजी हो जायेगा तभी इस मामले को भी सामने लाया जायेगा।

श्री रा० बरुआ : पड़ौसी देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने की नीति और ताशकन्द समझौते के अनुसरण में क्या हमें पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्ध सुधारने का प्रयास दूर-संचार सेवा के पुनः चालू होने की प्रतीक्षा किये बिना ही नहीं करना चाहिये ?

श्री इ० कु० गुजराल : संघर्ष के समाप्त होते ही भारत ने दोनों देशों के सम्बन्धों को सुधारने के लिये हर सम्भव प्रयत्न करने शुरू कर दिये थे। जहाँ तक सम्भव हो, हम यह चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान अच्छे और शान्त पड़ौसी और मित्र की तरह से रहें। दूर-संचार सेवा को सुधारने के लिये भी भारत की ओर से निरन्तर प्रयास किया जा रहा है, परन्तु दुर्भाग्य से पाकिस्तान इस बारे में बिलकुल मौन बैठा है।

सरकारी पदों पर आरूढ़ व्यक्तियों की सम्पत्ति

+

* 34. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : **श्री बृजभूषण लाल** :
श्री एन० एस० शर्मा : **श्री शारदा नन्द** :
श्री श्रीगोपाल साबू :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन सभी व्यक्तियों की सम्पत्ति के बारे मे जांच करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग बनाने का है जो 20 वर्षों में सरकारी पदों पर आरूढ़ रहे हैं ;

(ख) क्या इस बारे में कोई सुझाव सरकार के पास आये हैं ;

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख) : जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) ऐसी जांच की आवश्यकता नहीं है, उसे करने में बहुत सा व्यर्थ का कार्य करना पड़ेगा और यह जांच लोकहित की दृष्टि से उचित नहीं होगी।

Shri A. B. Vajpayee : Central Govt. is not in favour of appointing such a commission, because it will bring such cases into light where people having attachment with Congress Party have held public offices during last 20 years and earned a lot of money. Is it a fact?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : ऐसी कोई बात नहीं है। यदि किसी व्यक्ति पर कुछ आरोप लगाये जाते हैं और यदि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रत्यक्षतः कोई मामला बन जाता है, तो उसके बारे में जांच की जाती है। परन्तु उन सभी लोगों के बारे में, जो गत बीस वर्षों में सरकारी पदों पर आरूढ़ रहे हैं, जांच कराना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता।

Shri A. B. Vajpayee : Is it not a fact that allegations were made against those holding high public offices, as the Chief Minister of Rajasthan, some Ministers of U. P. but the inquiry has not been instituted into those cases and where inquiries have been made, the persons involved had to leave their offices? Why is the Govt. not prepared to accept the recommendations of Santhanam Committee in to-to?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे विचार से सन्थानम समिति की सिफारिशों पर चर्चा करते समय इन सभी बातों पर विचार-विमर्श किया गया था। एक बात जो स्वीकार की गई थी, वह यह है कि केन्द्रीय तथा राज्यों के मंत्रियों के लिये एक आचार संहिता होनी चाहिये। वह आचार संहिता स्वीकार की गई है। उसी के आधार पर कार्यवाही की जाती है।

श्री रंगा : इस तरह की कार्यवाही कब की गई है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जब भी किसी पर आरोप लगाये गये हैं। संहिता में कुछ निश्चित प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। सन्थानम समिति द्वारा सुझायी गई आचार संहिता को सिद्धान्त रूप में मान लिया गया है। सामान्य निर्वाचन के बाद नई सरकारों के बन जाने पर मुख्य मंत्रियों को इस आशय का एक पत्र फिर लिख दिया गया है।

श्री नाथ पाई : मुझे यह सुन कर प्रसन्नता हुई है कि सरकार ने सन्थानम समिति की सिफारिशों को मान लिया है, परन्तु आंकड़ों के रूप में स्वीकृति अर्थात् 97 प्रतिशत सुझाव और सिफारिशों का मान लिया जाना, मेरी समझ से परे है। फिर भी मैं यह बात बताना चाहता हूँ कि सरकार ने महत्त्वपूर्ण सिफारिशों को मानने से कतरा गई है। स्वयं अध्यक्ष महोदय की, जब वह कांग्रेस के प्रधान थे, ऐसी ही राय थी कि प्रत्येक पदधारी को अपने आस्तियों और दायित्वों का विवरण भेजना चाहिये। फिर भी श्री चह्वाण जी जांच करने के सुझाव पर क्यों ताव खाते हैं, मेरी समझ में यह नहीं आता ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं रोष में नहीं हूँ। परन्तु यह सुझाव प्रशासनिक दृष्टि से अव्यावहारिक है। सामान्य रूप से केन्द्रीय मंत्री अपनी आस्तियों और दायित्वों का विवरण प्रधान मंत्री और राज्यों के मंत्री अपना विवरण अपने राज्य के मुख्य मंत्री को देते हैं। यदि किसी व्यक्ति विशेष पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उस मामले की जांच की जाती है। सभी सरकारी पदधारियों के विरुद्ध जांच कराना तो स्वयं लोकतंत्र के विरुद्ध जांच कराना होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : भ्रष्टाचार अन्तहीन सीमा तक फैल चुका है।

Shri S. M. Joshi : I would like to know whether this code of conduct will be applicable to those former Ministers of Orissa, Punjab and Rajasthan States, against whom allegations were made and who have resigned later on ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : आचार संहिता को मंत्रियों पर तभी तक लागू किया जा सकता है जब तक कि वे पदों पर आरूढ़ हैं तथा आचार संहिता को उस समय से लागू किया जा सकता है जब से उसे स्वीकार किया गया है।

श्री क० लकप्पा : मैसूर के मुख्य मंत्री के विरुद्ध तीस विधायकों ने आरोपों का एक ज्ञापन राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा गृहकार्य मंत्री को भेजा था, परन्तु सरकार ने अभी तक उसका कोई उत्तर नहीं दिया है। क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस समय मेरे पास सब तथ्य नहीं हैं। यदि एक निश्चित प्रश्न पूछा जाये तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है जिसे एक विशिष्ट प्रश्न बनाकर पूछा गया है। यह एक पृथक् प्रश्न है।

Shri K. N. Tiwari : On a point of order, Sir. You ruled in this house that the Members putting the question will be called first to ask supplementaries and thereafter only two or three other Members will be given chance for putting supplementaries.

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न की प्रशंसा करता हूँ। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं नहीं चाहता कि किसी को कोई गलत फहमी हो। वर्ना एक दिन मंत्रियों और अध्यक्ष को भी गलत समझा जायेगा।

श्री जि० मो० बिस्वास : मंत्रियों के विरुद्ध कुल कितनी शिकायतें मिली हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस सम्बन्ध में मैं केवल यही बता सकता हूँ कि भूतकाल में कुछ मंत्रियों के खिलाफ कुछ शिकायतें अवश्य ही मिली हैं। श्री निजलिंगप्पा के खिलाफ भी शिकायत की गई थी। प्रधान मंत्री ने यह मामला मंत्रिमंडलीय उपसमिति को सौंप दिया था उस समिति ने यह रिपोर्ट दी कि श्री निजलिंगप्पा के बारे में जांच कराने का कोई आधार नहीं है।

श्री नाथ पाई : सन्थानम समिति की सिफारिशों में तो ऐसी व्यवस्था नहीं है ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : सरकार ने उसकी सिफारिशों को इसी प्रक्रिया के साथ माना है।

श्री तिन्नेटि विश्वनाथम : क्या राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने आचार संहिता के अनुसार अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों में से कुछ के बारे में शिकायत की है ? क्या ऐसा कोई एक भी मामला है ? क्या किसी भी राज्य में इस आचार संहिता को पूर्णतः माना गया है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : राज्यों के मंत्रियों के विरुद्ध शिकायतें मुख्य मंत्रियों को की गई हैं और उन्होंने सम्बन्धित मामलों की जांच करके उन पर अपनी राय भी दी है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या गृह-कार्य मंत्री को श्री हरेकृष्ण मेहताब पर लगाये गये आरोपों का ज्ञापन मिला है ? यदि हाँ, तो क्या मंत्री महोदय ने इस मामले की जांच करने का निर्णय कर लिया है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

श्री नाथ पाई : मंत्री महोदय के वक्तव्यों में विरोधाभास है । एक ओर वह कहते हैं कि सरकार ने सन्थानम समिति की सिफारिशों को मान लिया है । दूसरी ओर वह बता रहे हैं कि श्री निजलिंगप्पा के मामले में मंत्रिमंडलीय उप समिति ने छानबीन की और इस निष्कर्ष पर पहुँची कि जांच के लिये प्रत्यक्षतः कोई आधार नहीं है । सन्थानम समिति की सिफारिशों में मंत्रिमंडलीय उप समिति द्वारा प्रारम्भिक जांच किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है । उसके अनुसार तो जांच समिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने चाहियें, उनमें से ही एक न्यायाधीश आरोप ज्ञापन की जांच करेगा और देखेगा कि प्रत्यक्षतः कोई मामला बनता है या नहीं । क्या यह विरोधाभास नहीं है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैंने यह नहीं कहा है कि सन्थानम समिति की सभी सिफारिशों को मान लिया गया है । माननीय मंत्री ने जिन सिफारिशों का जिक्र किया है, उनको सरकार ने स्वीकार नहीं किया है । सरकार ने केवल आचार संहिता स्वीकार की है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि पूरा प्रश्न-काल इसी प्रश्न को दिया जाये तो भी कोई लाभ नहीं होगा । इस प्रश्न पर लगभग आधा घंटा खर्च किया जा चुका है । किसी अन्य अवसर पर इस मामले पर सविस्तार चर्चा की जा सकती है । अगला प्रश्न ।

निजाम का राज्याभिषेक

\+

*35 **श्री बाकर अली मिर्जा :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 अप्रैल, 1967 को हैदराबाद में एच० ई० एच० निजाम आसिफ जाह-अष्टम का राज्याभिषेक समारोह सम्पन्न हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह समारोह सरकार की स्वीकृति पर हुआ था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उद्घाटन के तुरन्त पश्चात् हजारों लोगों को, जिनमें अधिकतर गरीब हैं और जिन्होंने कई वर्षों तक स्वर्गीय निजाम की सेवा की थी, काम छोड़ने के नोटिस दिये गये थे और स्वर्गीय निजाम के नजदीकी रिश्तेदारों को बेदखली के नोटिस जारी किये गये थे ;

(घ) क्या इन मामलों के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख) : आन्ध्र प्रदेश सरकार से मिली सूचना के अनुसार एच० ई० एच० नये निज़ाम ने 6 अप्रैल, 1967 को पारस्परिक राज्याभिषेक समारोह मनाया । निजाम के लिये इस बारे में सरकार की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं था क्योंकि यह समारोह शुद्ध रूप से व्यक्तिगत था।

(ग), से (ङ) : सरकार को निज़ाम की अपने घरेलू खर्च में बचत करने के लिये कुछ फालतू कर्मचारियों की छटनी करने की इच्छा का पता है यह ज्ञात नहीं है कि इस प्रकार कितने लोगों की छटनी की गई । सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। सरकार इस बारे में दखल नहीं दे सकती क्योंकि यह मामला निज़ाम की सेवा से सम्बन्धित है जो गैर सरकारी निजी सेवा है ।

श्री बाकर अली मिर्ज़ा : क्या यह सच नहीं है कि पुलिस ने निज़ाम के महल को घेर लिया और स्वर्गीय निज़ाम के परिवार के सदस्यों की तलाशी ली तथा महल की बिजली और पानी काट दिया गया ताकि वह परिवार महल छोड़ने पर विवश हो जाये और स्व० निज़ाम के 12,000 गरीब कर्मचारियों को जिनमें कुछ निवृत्ति वेतन भी प्राप्त कर रहे थे की छंटनी कर दी गई तथा उनके निवृत्ति वेतन बन्द कर दिये गये ? क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि निजी थैली को निजाम के परिवार तथा कर्मचारियों के निर्वाह के लिए उपयोग किया जाये ? जब राज्य के मुख्य मंत्री को अथवा भारत सरकार को यह शिकायत की तो उन्होंने निजाम के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी । एक ओर आप अन्याय कर रहे हो तथा दूसरी ओर बचाव के सारे रास्ते बन्द कर रहे हो। क्या सरकार इन दुःखी व्यक्तियों को निजाम के विरुद्ध मुकदमा करने की अनुमति देगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : सिवाय इसके कि एक बार सदस्य महोदय मुझ से मिलें और मुझे इसके बारे में बताया, मेरे पास इसकी कोई सरकारी सूचना नहीं है । मैंने उनसे कहा था कि आन्ध्र के मुख्य मंत्री से मिलें । यदि वह अब मुझे लिखेंगे तो मैं इस पर विचार करूँगा। यह सच है कि निजी थैली के काफी कम हो जाने से निजाम स्वयं अपने घरेलू खर्च में कुछ बचत करना चाहते थे और इसकी हमें सूचना भी दी थी । इसके अतिरिक्त मैं कुछ और अधिकृत रूप से नहीं कह सकता ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : वह तो यह जानना चाहते हैं कि उन्हें अनुमति दी जायेगी अथवा नहीं ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस प्रकार के विशेषाधिकार नरेशों को दिये हुए हैं । हम इन मामलों में जो निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार चलते हैं तथा हमारा उद्देश्य उन्हें उदार बनाने का भी है । प्रत्येक मामले को उसके गुण दोषों के आधार पर जांचा जायेगा ।

Shri Onkar Lal Berwa : The privy purse is given for the maintance of servants and the princes themselves. Keeping in view the retrenched employees and the saving accured to the Nizam thereby, will the Government consider the question of decreasing the privy purse still more ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि निज़ाम के घर कितने नौकर होने चाहियें । यह तो निज़ाम का अपना व्यक्तिगत मामला है । नये निज़ाम की निजी थैली काफी कम हो गई है और यदि वह अपने व्यय में कमी करने की कोई कार्यवाही करते हैं तो हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये । फिर भी यदि कहीं कोई मानवीय आधार पर कोई मामला है तो उसे उन पर विचार करना चाहिये ।

श्री बाकर अली मिर्जा : गृह कार्य मंत्री ने खर्च में कमी करने की बात कही । परंतु संसार का सबसे धनी व्यक्ति यह तर्क पेश नहीं कर सकता । उसके अतिरिक्त वह एक नया महल बना रहा है । जब सरदार पटेल गृह-कार्य मंत्री थे तो उन्होंने निजाम की अचल तथा चल सम्पत्ति की एक सूची सरदार पटेल को दी थी । क्या गृह-कार्य मंत्रालय ने निजाम के वास्तविक धन का कोई अनुमान लगाया है ताकि सम्पत्ति कर और सम्पदा शुल्क लगाया जा सके और यदि ऐसा नहीं किया गया है तो क्यों ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस प्रकार मैं कैसे उत्तर दे सकता हूँ ।

श्री मं० रं० कृष्ण : क्या यह सच है कि वर्तमान निज़ाम स्वर्गीय निज़ाम के रिश्तेदारों को जिन्हें ट्रस्ट से कुछ धन मिलता है तथा जिसे भारत सरकार की अनुमति से आरंभ किया था, ट्रस्ट के खाते देखने से रोक रहे हैं ? यदि हां तो क्या निज़ाम ऐसा करने में संवैधानिक दृष्टि से ठीक हैं क्योंकि यह ट्रस्ट भारत सरकार की अनुमति से जारी किया था ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यदि कोई निश्चित मामले की ओर ध्यान आकृष्ट करवाया जाये तो मैं उस पर अवश्य विचार करूँगा । इन मामलों में भारत सरकार एक सीमा तक ही परामर्श दे सकती है । हम कानूनी तौर पर इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं अथवा नहीं यह तो तथ्यों के अर्थ करने पर निर्भर होगा । यदि सदस्य महोदय मुझे सूचना दें तो इन पर विचार करने को तैयार हूँ ।

श्री स० मो० बनर्जी : स्व० निजाम की मृत्यु के पश्चात् क्या निज़ाम की जायदाद तथा उसके जवाहरात की परिगणना की थी ताकि सम्पदा शुल्क लगाया जा सके ? क्या वर्तमान निज़ाम की बहिन ने यह सूचना दी है कि यह जवाहरात ब्रिटिश तथा तुर्कों के द्वारा अन्य देशों

को भेजी जा रही है और इसी कारण से स्व० निजाम के कुछ वफ़ादार नौकरों को नौकरी से हटाया जा रहा है तथा इस सम्बन्ध में गृह कार्य मंत्री के पास एक ज्ञापन भी भेजा है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : निश्चित उत्तर देने से पूर्व मैं तथ्यों की जांच करूँगा। यदि सदस्य महोदय इस पर मेरे साथ बातचीत करना चाहते हैं तो मैं उनके साथ बातचीत करूँगा या कोई विशेष प्रश्न है तो मैं उसका उत्तर देने को तैयार हूँ।

Shri Kanwar Lal Gupta : If such a list, has not so far been prepared, will the Minister cause one to be prepared now and make an enquiry into the money sent out and take action to prevent its being sent outside in future ?

Shri Y. B. Chavan : There is a list, but about further details about it I want a notice. I will look into other aspects of it.

Shri Prem Chand Verma : I want to know the number of Nizam's employees and the expenditure incurred on them and the amount of privy purse which the late Nizam got and the present Nizam gets ?

श्री यशवन्तराव चह्वान : स्व० निजाम को 42, 85, 714 रु० निजी थैली के रूप में मिलता था और उस पर कोई कर नहीं था। यह राशि 25 जनवरी 1950 को स्व० निजाम द्वारा दस्तखत किए गए करार के अनुसार थी और उसमें लिखा था कि उसके उत्तराधिकारी की राशि के बारे में भारत सरकार बाद में फैसला करेगी। इस करार के अनुसार वर्तमान निजाम की निजी थैली 20 लाख रु० निर्धारित की गई है।

श्री स० कुण्डू : मंत्री महोदय ने बताया कि निजाम का राज्याभिषेक हुआ था। स्वतन्त्र लोकतन्त्र में इस प्रकार के राज्याभिषेक साम्राज्यवाद की निशानी हैं। क्या सरकार इस प्रकार के राज्याभिषेकों को सारे भारत में समाप्त करने के बारे में एक कानून बनायेगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वान : यह सरकारी आयोजन नहीं था, अपितु एक निजी मामला था ताकि अपने परिवार में उत्तराधिकारी बन सके।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार को नरेशों के समान सिविल तथा दंड प्रक्रिया संहिता के लागू न होने के कारण कोई कठिनाई हुई है और इसलिए उन पर मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता और क्या इस बात को ध्यान में रखकर भारत सरकार इस सारी स्थिति पर पुनः विचार करेगी ताकि नरेशों पर भी समान कानून लागू हो सके।

श्री यशवन्तराव चह्वान : व्यवहार प्रक्रिया संहिता अथवा दंड प्रक्रिया संहिता का जहां तक सम्बन्ध है नरेशों को यह विशेषाधिकार है कि उन पर मुकदमा चलाने के लिए भारत सरकार की अनुमति लेनी होती है। इस मामले में हम इसमें ढील देने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि जिसे शिकायत हो वह मुकदमा चला सके। जहां तक दूसरे विशेषाधिकारों का सम्बन्ध है मेरे विचार में अब समय आ गया है कि उन पर पुनः विचार हो परन्तु सरकार ऐसा करने से पूर्व कुछ बड़े-बड़े नरेशों से बातचीत करना चाहती है ताकि वह भी इसमें सहमत हो सकें।

पूर्वी पाकिस्तानी परिवारों का भारतीय क्षेत्र में घुस आना

*36. डा० कर्णी सिंह :

श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पूर्वी पाकिस्तानी मुसलमान परिवारों के हाल में भारतीय क्षेत्र में घुस आने के समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) कितने परिवार आये हैं और उनका इस प्रकार आने का क्या उद्देश्य है ; और

(ग) इस प्रकार की घटनाओं को, चाहे वे पूर्वी पाकिस्तान में अनाज के अभाव के कारण ही हों, रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवंतराव चह्वाण) : (क) और (ख) अभी हाल के महीनों में पूर्वी पाकिस्तानी के मुसलमान राष्ट्रजनों के अनाधिकृत रूप से भारतीय क्षेत्र में घुसने की सूचना मिली है। उनमें से पूरे के पूरे परिवारों के भारतीय क्षेत्र में अवैध प्रवेश के केवल 14 मामले बताए जाते हैं। अनाधिकृत प्रवेश के इन प्रयत्नों के कारणों में पूर्वी पाकिस्तान के भारत से लगते हुए क्षेत्रों में अनाज का अभाव और आर्थिक कठिनाइयाँ तथा उन पाकिस्तानी मुसलमान राष्ट्रिकों की जो पहले भारतीय क्षेत्र से निष्कासित किए गए थे, दोबारा भारतीय क्षेत्र में घुस आने की इच्छा है।

(ग) ऐसी घुसपैठ रोकने के लिए केन्द्र तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा प्रभावी उपाय किए गए हैं; यथा

(i) गश्त को बढ़ाना और उसकी गति तीव्र करना।

(ii) सीमा चौकियों के कर्मचारियों आदि द्वारा और अधिक सतर्कता।

Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister be pleased to state whether such people have been coming in the past also and if so what is their number and what steps are Government taking to evict them ?

Shri Y. B. Chavan : I have got figures from October 1966 to March 1967. According to that in Assam during October 1966 the number of people who entered was 347, in November 1966 it was 177 and in December it was 148, in January 1967 it was 102, in February 1967 it was 81 and in March 1967 it was 75. The total number of people who entered Assam is 930 and those who entered West Bengal is 1266 and for Tripura is 196.

यह सामान्य सूचना है। यह सूचना पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा दी गई है। पूर्वी पाकिस्तान के साथ जो सीमा मिलती है उसमें से अक्तूबर 1966 से मार्च 1967 तक 1266 पाकिस्तानी नागरिक भारत में आये। इनमें से 91 को वापिस धकेल दिया गया। बाकी 504 को दंड दिया गया तथा 160 को पहले ही वापिस भेजा जा चुका है और 544 के मामले अदालत में हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : Has Government any information that some of these people take part in the subversive activities and whether the State Government have written and if so what reply has been sent ?

श्री यशवंतराव चव्हान : बहुत बड़े पैमाने पर विध्वसंक कार्यवाही के समाचार तो नहीं आये लेकिन जब यह पकड़े जाते हैं तो इनसे पूछ-ताछ होती है और उसके आधार पर कार्यवाही की जाती है ।

श्री हेम बरुआ : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि जब इस देश में गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तानी नागरिक आते हैं तो आसाम राज्य को सबसे बड़ी क्षति होती है तथा उन्हें वापिस भेजते समय भी आसाम की मुसलिम जनसंख्या को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है, सरकार क्या कार्यवाही कर रही है कि पूर्वी पाकिस्तान से लोग पड़ोसी राज्यों में न आ सकें ?

श्री यशवंतराव चव्हान : हम कार्यवाही कर रहे हैं ताकि यह लोग आसानी से न आ सकें। उसके लिए पुलिस की चौकियों को मजबूत कर दिया गया है।

श्री हेम बरुआ : सीमा के साथ-साथ 2 मील लम्बे क्षेत्र को साफ करने के बारे में क्या किया है ?

श्री यशवंतराव चव्हान : यह तो एक अलग सुझाव है। मैं अपने पूर्व के मंत्रालय में प्राप्त किये अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि इस क्षेत्र से आबादी को हटाना कोई सरल कार्य नहीं है। इससे एक बड़ी प्रशासनिक तथा मानवीय समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं। इन कठिनाइयों के होते हुए भी कार्यवाही तेज कर दी गई है।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : मुसलिम अल्प संख्यकों की पुरानी शिकायत को देखते हुए कि उन्हें भारत से पाकिस्तान में अवैध रूप से निकाल दिया जाता है, सरकार ने इस ओर क्या कार्यवाही की है ?

श्री यशवंतराव चव्हान : इन मामलों की जांच न्यायाधिकरण करते हैं तथा वे देखते हैं कि किसी के साथ कोई अन्याय न हो ।

Shri Abdul Ghani Dar : I want to know whether in order to stop it there is a proposal to issue stamped identity cards for the villagers so that the Muslims of Assam about whom the High Court has also given its ruling in this favour and who have been forcibly evicted may have no ground for complaint in future and they may show these identity cards to the policemen whenever they come to check them ?

Shri Y. B. Chavan : It is a very good suggestion and can be considered.

Shri A. B. Vajpayee : You need not doubt anybody nor you need surround an area of two miles or issue identity cards, you have not implemented the Assam Government's suggestion for fencing the area.

Shri Y. B. Chavan : We are not doubtful. It is you who talk about doubt and you believe that some thief will come to injure India.

Shri Abdul Ghani Dar : What is the reply for my suggestion to issue identity cards ?

Shri Y. B. Chavan : It is a good suggestion and we will think over it.

श्रीमती ज्योत्सना चंदा : असम में घुसने वाले 900 परिवारों में से कितनों को पीछे धकेल दिये गये हैं ?

श्री यशवंतराव चव्हान : मेरे पास गत दो महिनों के ही आंकड़े हैं, सारी अवधि के आंकड़े नहीं हैं क्योंकि प्रश्न का सम्बन्ध बहुत पहले के समय से है ।

श्री बलराज मधोक : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 1961 की जनगणना के आधार पर भारत में मुसलमानों की जनसख्या अन्य लोगों की अपेक्षा कई गुना अधिक बढ़ी है तथा उस क्षेत्र में आबादी की तुलना बहुत बदल रही है और उससे यह खतरा उत्पन्न हो सकता है कि पाकिस्तान उस क्षेत्र में मुसलमानों की अधिक संख्या होने के आधार पर इसे पाकिस्तान में मिलाने का दावा करे, सरकार क्या विचार तथा योजना बना रही है ताकि इन सीमा के क्षेत्रों में जनसंख्या में इतना परिवर्तन न हो ?

श्री यशवंतराव चव्हान : यह केवल आबादी के नमूने को बदलने का नहीं है। यदि देश में विदेशी लोग भारतीय नागरिक बन कर रह रहे हैं तो उन्हें निकलना हैं परन्तु हमें यह भी देखना है कि कहीं भारतीय नागरिकों को अन्याय से केवल इस लिए तो बाहर नहीं निकाला जा रहा है क्योंकि वह मुसलिम है ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

दिल्ली के कालेजों में दाखिला

*1. **श्री कंवर लाल गुप्त** :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री रामकिशन गुप्त :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री के० एस० मधुकर :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री रामसिंह आयरवाल :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ओंकारसिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री एन० एस० शर्मा :
श्री बृज भूषण लाल :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में कॉलेजों में दाखिले की समस्या को सरकार का विचार किस प्रकार हल करने का है;

(ख) क्या यह सच है कि राजधानी के किसी भी महिला कॉलिज में विज्ञान की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है;

(घ) क्या यह भी सच है कि 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो उनके लिये सरकार ने क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किया है ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The Delhi Administration has decided to open five more colleges during the 1967-68 session. In addition to that there is a suggestion to increase seats in the existing colleges.

(b) No, Sir.

(c) The question does not arise.

(d) No, Sir.

(e) There are no alternative arrangements for such students.

Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister be pleased to state the number of more seats required this year for B. A. (Pass), B. A. (Hons.), B. Com., B. Sc., (general) and B. Sc.(Hons.) and what arrangements have been made for this ? Will the Minister give a categorical assurance and no eligible student will be denied admission in Delhi ?

Shri Bhagwat Jha Azad : The executive group of the Ministry has considered the possible need of admission of students for the 1967-68 and according to that it has been estimated that the possible requirement for science seats for boys in 1967-68 will be 2591 and for girls 661, for Arts and Commerce group boys it will be 4888 and for girls 6119. We can make arrangements for only 9276 of them. Even thereafter arrangments will have to be made for 5003 students and no assurace can be given today for them.

Shri Kanwar Lal Gupta : Is the Minister aware that the all India average of Science students in the country is 32 percent whereas out of 45 thousand students in Delhi, the average of Science students came to only 16 percent and this has come down to 14 percent and is decreasing every year ? In the same way the average percentage for technical education is only 2.9 percent and for medical students it is 4.8 percent. In the three subjects the average for Delhi is the lowest in the country. I want to know what steps Government contemplates in this direction keeping in view the assurance of the former minister which he gave to the deputation of citizens council that seats for Medical, Engineering and Science students will be sufficiently increased and no student will be denied admission ?

Shri Bhagwat Jha Azad : I can not say that no student will be denied admission but efforts are being made for more seats for science students e. g, the Delhi University has recently announced to open five new colleges, they have also announced to increase the seats in the present colleges where science is taught. Another suggestion is to open evening classes in the B Sc., (general group) and out of them arrangements have been made for evening classes in one of them. In this way we have taken many steps and we hope the number of evening students will rise in Delhi.

Shri Kanwar Lal Gupta : The Minister has not given any reply about Engineering and Medical students.

Shri Bhagwat Jha Azad : Science education covers education in engineering and medical subjects too.

Shri R. S. Vidyarthi : The Delhi Administration had asked the Education Ministry to open 8 colleges but the later has not acceded to that.

Shri Bhagwat Jha Azad : I cannot say when that proposal came but I know that according to the suggestion of the excutive group it has been decided to open five colleges and one more may be opened at Narela and thus the total will come to 6 colleges.

Shri Ram Kishan Gupta : Where will these five colleges be opened ?

Shri Bhagwat Jha Azad : One girls' college will be opened at Dev Nagar, Karol Bagh and another at Netaji Nagar which will be Arts and Science colleges. One girls college at Lajpat Nagar will be for Commerce and Arts. One Co-educational college for Arts and Commerce will be opened at Govindpuri and one more Co-educational college will be at Shakurbasti.

Shri Bhogendra Jha : Keeping in view the importance of Delhi which is the capital of India, I want to know why it is not possible to open 8 colleges here as was suggested ? No reply has been given about Medical and technical education. Will these be done from the next session ?

Shri Bhagwat Jha Azad : Science includes techn cal and medical studies.

अध्यक्ष महोदय : टेक्नीकल, मैडीकल तथा इन्जीनियरिंग कॉलेजों के बारे में विशेष रूप से पूछा जा रहा है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : योजना में भी इनका जिक्र अलग-अलग किया है । इस लिए इन्हें एक जगह मिला कर उत्तर न दीजिये ।

Shri Bhagwat Jha Azad : The Delhi Administration has not supplied us with specific information about it and hence I am unable to reply to these.

Shri Raghuvir Singh Shastri : During the last session in reply to a question of mine the Minister had categorically stated that a college would be opened at Narela but today he has used the world "if" before it. What does it indicate ?

Shri Bhagwat Jha Azad : We received a request to open a college at Narela and when we sent the same to Delhi administration, the latter also agreed to that. But while opening six colleges we have to see to the number of students and then we will try to open the same.

Shri Madhu Limaya : In order to decrease the number of students aspiring for higher education and to run away from the responsibilty of providing education to them, the government has made the study of English compulsory in colleges ? Are those who fail only in English and not in Mathematics, Science are not declared as having failed ?

Shri Bhagwat Jha Azad : This does not relate to the subject under reply.

Shri Abdul Ghani Dar : There has been a demand for opening more colleges in Faridabad, Ballabhgarh and Nup in the neighbouring areas of Delhi. By acceding to their request will you try to lessen the congestion in Delhi colleges ?

Shri Bhagwat Jha Azad : You and we can consider this matter sympathetically.

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : दिल्ली में सारे राज्यों के लोग रहते हैं । क्या सरकार विभिन्न राज्य सरकारों को यहां संस्था खोलने में प्रोत्साहन देगी जैसे आंध्र प्रदेश ने दिल्ली में वेंकटेस्वरा कॉलेज स्थापित किया है ।

श्री भगवत झा आजाद : हमने अधिक कॉलेजों के खोलने का सदा स्वागत किया है ।

Shri Balraj Madhok : The iMnister said that he does not have provision for those students who pass with less than 40 per cent marks. Is it not a fact that binding is not found anywhere else ? Due to illness or other reasons some students obtain lesser marks and then they get admission at Sonepat, Panipat, Faridabad etc., what arrangements have been made for their studies ? If you cannot make arrangements for them, are you prepared to permit them to take the examination as private candidates ?

Shri Bhagwat Jha Azad : The Delhi university has decided not to admit students who obtain less than 40 per cent marks and such binding is available in other universities too. Delhi university is an autonomous body and so we cannot interfere into their affair. Such boys can get crafts men training which is the responsibility of some other ministry.

श्री म० ला० सोंधी : कुछ विद्यार्थी बड़े प्रतिभाशाली होते हैं परन्तु कॉलेज में प्रवेश ग्रहण करने के लिए वे 16 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होने चाहिए और जब तक यह पूरी नहीं करते उन्हें कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता और यह पाबन्दी दिल्ली विश्वविद्यालय ने लगा रखी है जिससे इन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को हानि होती है। क्या यह सब बातें सच नहीं हैं ?

श्री भगवत झा आजाद : यह तो विश्वविद्यालयों के स्वायतशासन में आता है और वह ही इसका निर्णय कर सकते हैं।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या यह सच है कि मैडीकल कॉलिजों में प्रवेश पाने के लिए बहुत बार दान देना पड़ता है ?

श्री भगवत झा आजाद : हो सकता है कि दान के लिए कहा गया हो परन्तु मुझे इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। यदि यह स्वेच्छा से दिये गये हैं तो कुछ बुरा नहीं है। मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : इस बात की सराहना करते हुए कि सरकार ने बहुत से वैज्ञानिक, मैडीकल तथा टेक्नीकल शिक्षा में प्रोत्साहन दिया है, क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि जो इन संस्थाओं में से पास आकर आयेंगे उन्हें काम भी दिया जायेगा ?

श्री भगवत झा आजाद : यह तो शिक्षा तथा उद्योग को मिलाने का प्रश्न है। इतने बड़े प्रश्न के बारे में हम यह नहीं कह सकते कि जो भी वहां से पास होकर आयेंगे उन्हें काम दिया जायेगा।

Shri Sheo Narain : The Congress Party gave an assurance to the country to educate all people. I will support Prof. Madhok that the Government should permit the taking of examinations privately whom it can not give education.

Shri Bhagwat Jha Azad : This is a question to be decided by the universities to give admission on the basis of marks obtained in the examination.

Shri Hardayal Devgun : The Executive Council of Delhi has taken certain decisions to solve the educational problems of Delhi. I want to know the number of decisions which the education ministry has accepted.

Shri Kanwar Lal Gupta : The Delhi Administration sent certain recommandations about education to the Central Government. May I know which of them have been accepted by the Government ?

Shri Bhagwat Jha Azad : It is not possible to consider those recommendations with this question. I have not even seen them but I will look into them.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

Arbitration On Chandigarh

*37 **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :
Shri Manibhai J. Patel :
Shri Yashpal Singh :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri S. C. Samanta :
Shri Onkar Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Mohan Swarup :
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri George Fernandes :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Madhu Limaye :
Shri P. K. Deo :
Shri G. C. Naik :
Shri K. P. Singh Deo :
Shri A. Dipa :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri S. M. Joshi :
Shri D. C. Sharma :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Molahu Prasad :
Shri Rabi Ray :
Shri Ram Kishan Gupta :
Shri Prakash Vir Shastri
Shri Raghvir Singh Shastri :
Shri K. Haldar :
Shri Sri Chand Goyal :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri O. P. Tyagi :
Shri K. N. Pandey :
Shri D. N. Dee :
Shri Umanath :
Shri Tridib Kumar Chaudhur :
Shri Mohsin :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Government of Haryana have refused to accept arbitration by the Prime Minister on the Chandigarh issue ;

(b) if so, the contents of the communication received from the Government of Haryana on the subject; and

(c) the measures to be taken by the Prime Minister in the present circumstance to solve this dispute ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) (a) and (b) : A communication has been received from the Chief Minister of Haryana in which he has stated that the proposal for arbitration is neither feasible because of the attitued of other parties concerned nor accept-able to the Haryana Government on the strength of what is incorrectly claimed to be a commitment. As an alternative to arbitration, the State Government have suggested the setting up of a new boundary commission to go into the claims and counter-claims for territories including Chandigarh.

(c) : The matter is under consideration.

औद्योगिक कर्मचारियों के लिये पारिवारिक पेंशन योजना

*38. **श्री शारदा नंद :**
श्री जे० बी० सिंह :
श्री भारत सिंह :
श्री रणजीत सिंह :
श्री ओंकार सिंह :
श्री हुकम चंद कछवाय :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री 5 अप्रेल, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 271 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच उस कार्यकारी दल के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है जो औद्योगिक कर्मचारियों के लिये परिवार पेंशन योजना पर विचार कर रहा था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है और इस योजना से किन-किन वर्गों के व्यक्तियों को लाभ पहुँचेगा ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख): कार्यकारी दल की रिपार्ट की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है ।

भारत अमरीका शिक्षा प्रतिष्ठान

*39. श्री इंद्रजीत गुप्त :
श्री जार्ज फरनेडीज :
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री वासुदेवन नायर :
डा० रानेन सैन :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री ह० प० चटर्जी :
श्री डी० के० कुन्ते :
श्री स० चं० सामंत :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स्वैल :
श्री जनार्दनन :
श्री डी० एन० पटौदिया :
श्री के० पी० सिंह देव :
श्री एस० एन० मेती :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री रा० बरुआ :
श्री सी० सी० देसाई :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-अमरीका शिक्षा प्रतिष्ठान के विचार को पुनर्जीवित करने के लिये भारत और अमरीका के बीच विचार विमर्श आरम्भ हो गया है,

(ख) यदि हां, तो पहल किस ओर से की गई थी तथा किस आधार पर तथा इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है,

(ग) क्या प्रतिष्ठान के वित्त और प्रशासन के बारे में कोई नये विशिष्ट प्रस्ताव बनाये गये हैं, और

(घ) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) : हाल ही में शिक्षा क्षेत्र में भारत अमेरिकी सहयोग के सम्बन्ध में अमेरिकी राजदूत के अनुरोध पर उनके और मेरे बीच एक बैठक हुई थी, उसमें इस मामले पर संक्षिप्त रूप से चर्चा हुई थी ।

(ग) और (घ) : कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

लोकपाल तथा लोकायुक्त की नियुक्ति

*40. श्री रामचंद्र वीरप्पा :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री एन० के० संघी :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री रामपुरे :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सूपकर :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रवैल :
डा० कर्णसिंह :
श्री कीकर सिंह :
श्री कोलाई बिरुआ :
श्री एन० एस० शर्मा :
श्री शारदा नंद :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री रामकिशन गुप्त :
श्री वाई० ए० प्रसाद :
श्री कोलावकप्पा :
श्री यशपालसिंह :
श्री महादेव प्रसाद :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझाव अनुसार मंत्रियों तथा उच्च अधिकारियों के विरुद्ध लगे आरोपों की जांच करने के लिए लोकपाल तथा लोकायुक्त नियुक्त करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि कोई निर्णय नहीं किया गया है तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं और निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की योजना, केवल केन्द्र तथा राज्यों की सहमति के आधार पर ही स्वीकार की जा सकती है । राज्य सरकारों के सुविचारित दृष्टिकोणों की प्रतीक्षा है ।

शिव सेना

*41. श्री तेन्नेटी विश्वनाथम :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री ओंकार सिंह :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री के० अनिरुद्धन :
श्री उमानाथ :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री पी० पी० एसथोस :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री वी० कृष्णामूर्ति :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री मुहम्मद इमाम :
श्री ए० श्रीधरण :
श्री राने :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 अप्रैल, 1967 के इंडियन एक्सप्रेस में "पोलीटिकल

ठगरी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित प्रमुख सम्पादकीय की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या बम्बई में शिव सेना के विरुद्ध लगाये गये आरोप सही हैं ;

(ग) यदि हां, तो आन्दोलन के संचालकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है, और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है कि महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र राज्य में अल्प संख्यकों के प्रति अपने दायित्वों का पालन करें ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : मामला उचित कार्यवाही के लिये राज्य सरकार को भेजा गया है।

(घ) इस मामले में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के साथ सम्पर्क रख रही है। राज्य सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि वह शिव सेना की गतिविधियों पर निगरानी रख रही है और कानून के अनुसार कार्यवाही करेगी। राज्य सरकार ने हमें यह सूचना भी दी कि मुख्य मंत्री ने अल्प संख्यकी तथा महाराष्ट्र में रहने वाले अन्य राज्यों के व्यक्तियों को आश्वासन दिया है कि उस राज्य के विकास में हाथ बटाने के लिये उन सभी का स्वागत है और सभी को महाराष्ट्रयनों के समान ही न्याय प्राप्त होगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि बम्बई नगर का अन्तर्राष्ट्रीय रूप बनाये रखने के लिये और इस बात की व्यवस्था करने के लिये कि विभिन्न भाषा वर्गों के लोग नगर में शान्ति तथा सद्भाव के साथ रह सकें सभी सम्भव उपाय किये जायेंगे।

मजूरी बोर्ड

*** 42. श्री जार्ज फरनेन्डीज :** **श्री मधु लिमये :**
श्री जे० एच० पटेल : **श्री ए० श्रीधरन :**

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में औद्योगिक तथा अन्य कर्मचारियों की मजूरी तथा सेवा की शर्तों के बारे में इस समय कितने मजूरी बोर्ड जांच कर रहे हैं;

(घ) इन मजूरी बोर्डों द्वारा अपने प्रतिवेदन कब तक दिये जाने की आशा है; और

(ग) क्या यह सच है कि इनमें से कोई भी मजूरी बोर्ड निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपना कार्य पूरा करने में सफल नहीं हुआ है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) ग्यारह।

(ख) आशा है कि श्रमजीवी पत्रकारों तथा गैर–पत्रकारों के मजूरी बोर्ड अपनी रिपोर्टें

जून, 1967 की समाप्ति से पहले प्रस्तुत कर देंगे। जहाँ तक अन्य मजूरी बोर्डों का प्रश्न है, यह कहना संभव नहीं है कि वे कब तक अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करेंगे।

(ग) मजूरी बोर्डों को जटिल मामलों पर विचार करना पड़ता है और उन्हें विभिन्न पक्षों द्वारा प्रस्तुत बातों पर ध्यान देना पड़ता है। सरकार द्वारा उनके काम के बारे में कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की जाती है।

प्रामाणिक ग्रन्थों तथा लोकप्रिय पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद

*43. **श्री एस० एम० जोशी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) विश्वविद्यालय स्तर के प्रामाणिक ग्रन्थों तथा (दो) लोकप्रिय पुस्तकों को तैयार करने और उसका हिन्दी में अनुवाद करने के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है,

(ख) उन विभागों के नाम क्या हैं जो इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये उत्तरदायी हैं तथा उनकी प्रगति धीमी होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन योजनाओं को तेजी से और कारगर ढंग से क्रियान्वित कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) अब तक हिन्दी में तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए और प्रकाशन के लिए विश्वविद्यालय स्तर के मुख्यतः विज्ञान, प्राद्योगिकी, इंजीनियरी, समाज विज्ञान तथा मानविकी से सम्बन्ध रखने वाले विभिन्न विषयों के कुल 533 मानक ग्रन्थ अनुमोदित किए गए हैं इनमें से 102 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं (82 हिन्दी में तथा 20 प्रादेशिक भाषाओं में) और 67 पुस्तकें या तो छपने की प्रक्रिया में है, अथवा छपने के लिए प्रेस भेजने के लिए तैयार हैं। शेष पुस्तकें तैयारी की विभिन्न स्थितियों में हैं।

जहाँ तक लोकप्रिय पुस्तकों का सम्बन्ध है, 237 पुस्तकें प्रकाशन के लिए स्वीकृत की गयी हैं, जिनमें 49 पहले ही छप चुकी हैं, 7 छप रही हैं और बाकी तैयार करने की विभिन्न स्थितियों में हैं।

(ख) और (ग) : विश्वविद्यालय स्तर के मानक ग्रन्थों के तैयार करने, और उनका प्रकाशन तथा अनुवाद करने से सम्बन्ध रखने वाली योजना विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षा निकायों के सहयोग से वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। लोकप्रिय पुस्तकों से सबंन्धित योजना को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय प्राइवेट प्रकाशकों के सहयोग से चला रहा है।

योजना की धीमी प्रगति के मुख्य कारण ये हैं:—(एक) विदेशी प्रकाशकों से प्रतिलिप्याधिकार उपलब्ध करने में बिलम्ब तथा कठिनाइयाँ, (दो) छपने में बिलम्ब तथा (तीन) कुशल अनुवादकों, मौलिक लेखों तथा जांच करने वालों की कमी। प्रशासनीय दिक्कतों तथा छपने में होने वाली देर को दूर करके कार्य की गति तीव्र करने के लिए पूरा-पूरा प्रयास किया जा रहा है। विदेशी प्रकाशकों पर निर्भर न रहकर अब मौलिक पुस्तकों को तैयार करने पर

ज्यादा जोर दिया जा रहा है और इस काम के लिए विशेष प्रतियाँ वालों की व्यापक खोज की जा रही है।

समान शिक्षा नीति

* 44. श्री विश्वनाथ राय :　　श्री हलदर :
श्री विभूति मिश्र :　　श्री वाई० ए० प्रसाद :
श्री क० ना० तिवारीः　　श्री एन० के० संघी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में शिक्षा प्रणाली में समानता लाने के लिए तथा स्कूली शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और डिग्री कोर्स आदि शिक्षा के विभिन्न स्तरों की अवधि के बारे में किस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : इस दिशा में पहले की जा चुकी कुछ कार्यवाइयाँ इस प्रकार हैं :–

(एक) प्रारम्भिक स्कूलों को बुनियादी ढांचे में बदलना और उस ओर उन्मुख करना;

(दो) माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन; और

(तीन) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशों के आधार पर उच्चतर शिक्षा का पुनर्गठन ।

हाल ही में शिक्षा आयोग ने भी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की अवधि और ढांचे में ज्यादा एकरूपता लाने के लिए बहुत सी सिफारिशें की हैं। सरकार इन पर विचार कर रही है।

राजभाषा अधिनियम

* 45. श्री सेझियान :　　श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :　　श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री मधु लिमये :　　श्री रामसिंह अग्रवाल :
डा० राम मनोहर लोहिया :　　श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री जार्ज फरनेंडीज :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने के लिए राजभाषा अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में संसद के चालू सत्र में विधेयक पुनः स्थापित किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

हड़तालें तथा श्रमिक आन्दोलन

***46. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री डी० एन० देव :
श्री विभूति मिश्र :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री समर गुहा :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम-नीतियां, विशेषत: हड़ताल करने का अधिकार, श्रमिक आन्दोलनों और गैर-कानूनी ढंग से बन्दी बनाये जाने से संबन्धित मामलों में कुछ राज्य सरकारों के साथ सरकार का मतभेद चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई एक समान नीति बनाने का प्रयत्न किया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) कुछ समय से औद्योगिक सम्बन्ध के क्षेत्र में कुछ अस्वस्थ घटनाएं हुई हैं। नई स्थिति का सामना करने के लिए श्रम-नीति और स्थिति से सम्बन्धित अनेक मामलों, विशेषकर पश्चिम बंगाल में हुई घिराव की घटनाओं पर हाल ही में श्रम मंत्री सम्मेलन और त्रिपक्षीय स्थायी श्रम समिति में विचार-विमर्श किया गया। पहले की तरह श्रम नीति आपसी विचार-विमर्श और त्रिपक्षीय निर्णयों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। अभी तक कोई विशेष कठिनाइयाँ पैदा नहीं हुई हैं।

सीमा विवाद

***47. श्री पी० एम० सईद :**
श्री मोहन स्वरूप :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री हेम बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा बिहार के साथ सीमा-विवादों का निपटारा करने के लिये केन्द्रीय सरकार से एक आयोग नियुक्त करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के बीच बीसधारा नदी के बारे में कोई विवाद हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उसका मोटा व्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ऐसा प्रतीत होता कि बंश धारा नदी की ओर संकेत है। सरकार के सामने वंश धारा नदी से सम्बन्धित कोई अन्तर्राज्यीय सीमा विवाद नहीं आया।

(घ) प्रश्न उठता ही नहीं।

विद्युत-चालित संगणक कम्प्यूटर

* 48. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री मधुकर :
क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली से चलने वाले संगणकों (कम्प्यूटरों) या हिसाब-किताब करने वाली इसी प्रकार की अन्य मशीनों का प्रयोग में लाने से पूर्व केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों और संविहित निगमों ने उनके मंत्रालय से परामर्श किया था ;

(ख) इस समय केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों में मंत्रालयवार कितने-कितने संगणक या हिसाब-किताब करने की मशीनें प्रयोग में लाई जा रही हैं ;

(ग) उपरोक्त उपायों के लागू किये जाने के परिणामस्वरूप कितने पद फालतू हो गये हैं; और

(घ) क्या फालतू कर्मचारियों को अन्य स्थानों पर रोजगार दिलाया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं। नवम्बर, 1966 से आर्थिक कार्य विभाग ने श्रम और रोजगार विभाग से संगणकों के आयात की नई दरखास्तों के बारे में परामर्श किया था।

(ख), से (घ): सूचना प्राप्त नहीं है क्योंकि ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

वैज्ञानिकों तथा तकनिशियनों का सेवा के लिये विदेशों में चले जाना

* 49. **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री एन० एस० शर्मा :
श्री शारदा नन्द :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री रामकिशन गुप्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेवा के लिये वैज्ञानिकों और तकनिशियनों के विदेश जाने को रोकने के लिए सरकार द्वारा उपाय किये जाने पर भी अब भी वे बाहर जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) वैज्ञानिक तथा तकनीकी अर्हताओं वाले भारतीय राष्ट्रिक उच्च अध्ययन, अध्ययन-व-रोज़गार तथा रोज़गार के लिए विदेश जाते हैं, और इस पर कोई सामान्य बन्धन नहीं है।

(ख) वैज्ञानिक तथा तकनीकी व्यक्तियों को भारत वापिस आने की सुविधा देने के लिए कई कार्यवाइयां की गई हैं। इनके सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये, संख्या एल० टी० 341/67]**

प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन

***50. श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री बाबुराव पटेल :
श्री श्रीकांतन नायर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री डी० एन० पटौदिया :
श्री रा० बरुआ :
श्री सी० सी० देसाई :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार सम्बन्धी प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल ने अन्तरिम प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें तथा मंजूर की गई सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उनको कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भारत सरकार के शासन तन्त्र और उसके काम करने के ढंगों की जांच करने के लिये नियुक्त अध्ययन दल ने प्रशासनिक सुधार आयोग को एक अन्तरिह प्रतिवेदन दे दिया है।

(ख) ये सिफारिशें अध्ययन दल के अन्तरिम प्रतिवेदन में दी गई हैं जिसकी प्रतियाँ संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग ने अभी तक अध्ययन दल के सुझावों पर अपने विचार व्यक्त नहीं किये हैं ।

संथानम् समिति की सिफारिशें

***51. श्री सी० सी० देसाई :**
श्री के० लक्कप्पा :
श्री शारदा नंद :
श्री भारत सिंह :
श्री रणजीत सिंह :
श्री जे० बी० सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भ्रष्टाचार निवारण के बारे में संथानम् समिति द्वारा की गई सिफ़ारिशों में से

कौनसी शिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं, कौनसी अस्वीकार कर दी गई हैं और कौनसी अभी तक विचाराधीन हैं और इन सिफारिशों पर कब तक विचार पूरा हो जाने की आशा है;

(ख) क्या अब तक स्वीकार की गई सभी सिफारिशें क्रियान्वित हो गई हैं; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवंत राव चह्वाण) : (क) से (ग) : सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 342/67**]

आसाम-नागालैण्ड सीमा विवाद

*52 **श्री के. अनिरुधन :**
श्री के. एम. अब्राहम :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री उमानाथ :
श्री विश्वनाथ मैनन :
श्री पी. पी. एसथोस :
श्री ओंकारसिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री स. मो. बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स. चं. सामन्त :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री जार्ज फरनेंडीज :
श्री जे. एच. पटेल :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह आयरवाल :
श्री यशवंत सिंह कुशवाह :
श्री एन. एस. शर्मा :
श्री शारदा नन्द :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री स्वैल :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री ए. श्रीधरन :
श्री पी. विश्वम्भरण :
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री मनीभाई जे० पटेल :
श्री वाई. ए. प्रसाद :
श्री एन. के. संघी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम तथा नागालैण्ड के मुख्य मंत्रियों के बीच अन्तर्राज्यीय सीमा के बारे में कोई विवाद चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस विवाद का स्वरूप क्या है; और

(ग) सरकार ने इस विवाद को निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) और (ख) : नागालैण्ड तथा आसाम की सरकारों के बीच दोनों राज्यों की स्पष्ट सीमा के बारे में कुछ विवाद चलता रहा है। नागालैण्ड की सरकार ने आसाम के कुछ रक्षित वनों पर भी दावा किया है।

(ग) नागालैण्ड के मुख्य मंत्री ने एक सीमा आयोग की नियुक्ति का सुझाव दिया है। यह

मामला विचाराधीन है। इतने में दोनों मुख्य मंत्री, अधिकारी स्तर पर होने वाले वार्तालाप के लिए सहमत हो गए हैं।

दिल्ली में बच्चों और युवा लड़कियों का अपहरण

* 53 श्री हेम बरुआ :
श्री पी. एम. सईद :
श्री मनुभाई जे. पटेल :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री रामसिंह आयरवाल :
श्री ओंकार सिंह :
श्री राम किशन गुप्त :
श्री आतम दास :
श्री दे. शि. पाटिल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली में बच्चों और युवा लड़कियों के अपहरण के मामलों में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो 1966-67 में राजधानी में से विभिन्न आयु-वर्ग के कितने बच्चों और युवा लड़कियों का अपहरण किया गया;

(ग) क्या अपहरण किये गये बच्चों में से किसी को बरामद किया गया है ; और

(घ) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली पुलिस के इस दावे की ओर दिलाया गया है कि

अपहरण के अधिकतर मामले वास्तव में स्वेच्छा से भागने के मामले हैं। और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समस्या पर विचार किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) इन मामलों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है।

1966-67 (31-3-1967 तक) की अवधि में 270 मामले हुए जबकि 1965-66 में पुलिस के पास 251 मामले दर्ज कराये गए थे।

(ख) और (ग)

	7 वर्ष से कम आयु के बच्चे	7 से 12 वर्ष के बच्चे	12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे	कुल
अपहृत	36	41	198	275
बरामद किये गये	30	38	179	247

(घ) लड़कियों के अपहरण के मामलों की जांच करने पर पता चला कि उनमें से बहुत से मामले स्वेच्छा से भागने के थे।

ग्राम चुनावों में विदेशी धन का प्रयोग

* 54. श्री अब्दुल गनी दार :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री राम स्वरुप विद्यार्थी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री स्वैल :
श्री डा० कर्णी सिंह :
श्री कीकर सिंह :
श्री कोलाई बिरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ए० चं० सामन्त
श्री पी० गोपालन :
श्री पी० पी० एसथोस :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री उमानाथ :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामसिंह आयरवाल :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री राम किशन गुप्त :
श्री आर० के० बिड़ला :
श्री हेम बरुआ :
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी
श्री जार्ज फरनेंडीज :
श्री जे० एच० पटेल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी. एल. 480 निधियों सहित विदेशी धन के चुनाव के लिए प्रयोग के बारे में जांच प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन के कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

गृह-कार्य मंत्री (यशवन्तराव चव्हाण): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जांच को यथाशीघ्र पूरा करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं किन्तु समय की कोई सीमा बांधना सम्भव नहीं है ।

कर्मचारी भविष्य निधि

* 55. श्री वासुदेवन नायर :
श्री डा. रानेन सेन :
श्री धीरेश्वर कालिता :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक औद्योगिक संस्थानों ने कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदान की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है ;

(ख) इस समय कुल कितनी राशि बकाया है ; और

(ग) बकाया राशि की वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल. ना. मिश्र): (क) जी हां ।

(ख) 31 जनवरी, 1967 को कुल बकाया राशि 5. 54 करोड़ रुपये थी ।

(ग) दोषी प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सम्बन्धित राज्य सरकारों के द्वारा अभियोजनों तथा वसूली की कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन

* 56. श्री मनीभाई जे. पटेल :
श्री ओंकार सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री झूपकर :
श्री डी० एन० पटोदिया :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री राम किशन गुप्त :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री स्वैल :
श्री हेमराज :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री रा० बरुआ :
श्री चिंतामणि पाणिग्रही :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हरिजी भाई :
श्री के. प्रधानी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री जनार्दनन :
श्री पी. सी. अदीचन :
श्री मोहसिन :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री महादेव प्रसाद :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1967 के अन्तिम भाग में दिल्ली में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन विषयों पर विचार किया गया; और

(ग) सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये ?

शिक्षा मंत्री (डा. त्रिगुण सेन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग)—इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना तथा तत्काल कार्यवाई के लिए एक सर्वसम्मत कार्यक्रम की रूप रेखा तैयार करना था। सम्मेलन द्वारा स्वीकार किए गए संकल्पों की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है। [पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल. टी. 343/67]

Attack by Nagas on Indian Survey Team

*57 **Shri Onkar Singh :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the Naga rebels fired at a Survey Team at Harupani near Nagaland

border in Sibsagar District in Assam recently after which two members of the team have been missing ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) : On 6th April, 1967 a gang of Naga hostiles opened fire on a Survey Party of the Assam Government at a place 8 miles north-west of Sarupani border out-post in Sibsagar District. There was no casualty. Two labourers had been separated from the main body during the firing. They hid themselves in the forest and returned to the Survey Camp on the same day.

कृषि प्रधान शिक्षा

*** 58. श्री यशपाल सिंह :**
श्री स. चं. सामन्त :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वह कृषि प्रधान शिक्षा के हक में हैं;

(ख) यदि हां, तो इसे किस हद तक लागू किया जा सकता है; और

(ग) इस नीति को लागू करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) : एक भारी जन समूह की राय कृषि प्रधान शिक्षा के विचार के पक्ष में है। परन्तु इस पक्ष का प्रभावकारी ढंग से सूत्रपात करना कोई आसान काम नहीं है। देश को प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर एक विषय के रूप में कृषि का काफी अनुभव है और किसी न किसी एक प्रकार के कृषि सम्बन्धी स्कूलों में तथा बहूद्देशीय स्कूलों में कृषि सम्बन्धी पाठ्यक्रमों को चलाने का भी अनुभव है। लेकिन इन पाठ्यक्रमों अथवा कार्यक्रमों द्वारा पर्याप्त व्यवसायिक क्षमता प्रदान करने में या उन युवा व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने में ज्यादा प्रगति नहीं हो सकी है, जो किसान का पेशा करने के लिए खेतों पर वापस लौटना चाहते हैं। इस समूचे विषय पर 1966 के शिक्षा-आयोग ने सावधानी से पुनर्विचार किया है। आयोग ने सिफारिश की है कि "कृषि की ओर कुछ उन्मुख होना सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग बनना चाहिए, परन्तु केवल माध्यमिक स्तर पर नहीं बल्कि विश्वविद्यालय स्तर पर भी और सभी प्रकार की अध्यापका-शिक्षा में भी ऐसा होना चाहिए।" इस बारे में आयोग द्वारा सुझाये गए उपायों में अन्य बातों के साथ साथ ये भी शामिल हैं :

(i) सभी प्राथमिक स्कूलों के, जिनमें नागरिक क्षेत्रों में स्थित स्कूल भी शामिल हैं, कार्यक्रमों का कृषि की ओर उन्मुख किया जाना,

(ii) स्कूल स्तर पर 'काम के अनुभव के महत्वपूर्ण भाग के रूप में कृषि का शामिल किया जाना, और

(iii) निम्न तथा उच्च माध्यमिक स्तरों पर विज्ञान व सामाजिक-अध्यापन के पाठ्य विवरण के हिस्से के रूप में कृषि तथा ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन ।

2. शिक्षा आयोग की सिफारिशों की इस समय जांच चल रही है ।

लक्ष्मीरत्न काटन मिल्स, कानपुर

* 59. **श्री उमानाथ :**
श्री के० रमणी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेसर्स लक्ष्मीरत्न काटन मिल्स कानपुर के विरुद्ध आपराधिक विश्वासघात के अरोपों की जांच में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) जांच कब तक पूरी हो जायेगी; और

(ग) क्या इस जांच को पूरा करने के लिये सरकार का विचार कोई समय सीमा निर्धारित करने का है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हान) (क) से (ग): मैसर्स लक्ष्मी रत्न काटन मिल्स कानपुर और उसकी सहयोगी संस्थाओं के कार्यालयों की तलाशियों में बहुत सारे रिकार्डों पर कब्जा किया गया है । इनकी जांच की जा रही है और अभी यह नहीं बताया जा सकता कि जांच के कब तक पूरे होने की सम्भावना है । जांच कार्य ो यथाशीघ्र समाप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है ।

विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता

* 60. **श्री सूपकर :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उनसे कहा था कि वह विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता के कारणों तथा उसके उपचार के बारे में रिपोर्ट दें;

(ख) इन सिफारिशों को कैसे लागू किया जाये, क्या इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की प्रतिक्रिया प्राप्त हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो वह क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): (क) और (ख) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विद्यार्थियों के कल्याण और उससे सम्बद्ध मामलों के बारे में मार्च, 1965 में, मेरी अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी । समिति ने अपनी रिपोर्ट, अक्टूबर 1966 में प्रस्तुत की ।

यह रिपोर्ट राज्य सरकारों तथा विश्व-विद्यालयों को इस सुझाव के साथ भेजी गई थी कि रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें विद्यार्थियों के कल्याण की अभिवृद्धि के कार्यक्रमों के तैयार करने में उपयोगी होंगी।

(ग) इस रिपोर्ट को किस प्रकार लागू किया जाये, इस सम्बन्ध में उनकी प्रतिक्रियाएं जानने के लिए कोई खास अनुरोध नहीं किया गया था, अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता।

मन्दिरों से मूर्तियों की चोरी

* 95. **श्री बाबूराव पटेल:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पत्थर और धातु की बनी कितनी मूर्तियां तथा प्राचीन कलाकृति की कितनी वस्तुयें भारत के विभिन्न मन्दिरों से अब तक चुराई गई हैं; उनका मूल्य कितना है तथा वे किन-किन मन्दिरों से चुराई गई हैं;

(ख) चुराई गई इन मूर्तियों को बरामद कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा अब तक बरामद कराई गई मूर्तियों की संख्या कितनी है और वे कितने मूल्य की हैं;

(ग) जिन अपराधियों ने ये मूर्तियां चुराई हैं उनका ब्यौरा क्या है तथा उन्होंने ये मूर्तियां किस तरीके से चुराई थीं तथा उन्हें क्या दण्ड दिया गया है; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की चोरियों की रोक थाम के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) से (घ): सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

प्राचीन कलाकृतियों की निर्यात

* 96. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्राचीन कलाकृतियों तथा अन्य कलाकृतियों के निर्यात अथवा उन्हें विदेशों में भेजने से सम्बन्धित विनियमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 1963 में स्विटजरलैंड के संग्रहालय में पाये गये दो हजार वर्ष पुराने बुद्ध शीश को निर्यात करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा उसे सजा दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या जयपुर के निकट सांगानेर मन्दिर में दुर्लभ मूर्तियों का वर्गीकरण कर लिया गया है तथा उनकी सूची बनाई गई है और यदि हां, तो उनका मूल्य क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) पुरावशेष (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और पुरावशेष (निर्यात नियंत्रण) नियम, 1947 के अन्तर्गत पुरावशेषों

का निर्यात केन्द्रीय सरकार से ऐक लाइसेंस लिए बिना निषिद्ध है, तथा इनमें लाइसेंस के लिए आवेदन करने की क्रियाविधि निर्धारित की गई है।

(ख) और (ग) : किसी बुद्धशीर्ष के स्विटजरलैंड के संग्रहालय में पाए जाने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। किन्तु राज्य की पुलिस, 1961 में मथुरा के राज्य संग्रहालय से ऐसे ही एक शीर्ष की चोरी के बारे में जांच–पड़ताल कर रही थी, जिसे बाद में स्विटजरलैंड के एक कला विक्रेता के पास पाया गया था। उस शीर्ष को 1966 में भारत वापस लाया गया। इस समय जो जानकारी प्राप्त है उसके अनुसार यह पता नहीं है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार उस अपराधी को पकड़ने तथा उसे दण्ड देने में समर्थ हो सकी है और इस सूचना को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को लिखा गया है।

(घ) मन्दिर केन्द्र द्वारा सुरक्षित स्मारक नहीं है और मूर्तियों का वर्गीकरण अथवा उन्हें सूचीबद्ध नहीं किया गया है और न ही उनका मूल्यांकन किया गया है।

भारत में नियुक्त विदेशी लोग

97. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने विदेशी, देशवार, भारत में नौकरी करते हैं;

(ख) वे किन–किन फार्मों में नौकरी करते हैं;

(ग) उन्हें एक वर्ष में कुल कितना वेतन मिलता है;

(घ) वे प्रतिवर्ष अपनी कमाई की कुल कितनी राशि देश से बाहर भेजते हैं;

(ङ०) सरकारी तथा गैर–सरकारी क्षेत्र की फर्मों में विशेषज्ञों की हैसियत से कितने विदेशी काम करते हैं;

(च) उन्हें प्रतिवर्ष कुल कितना वेतन दिया जाता है; और

(छ) वे अपनी कमाई की कुल कितनी राशि प्रतिवर्ष देश से बाहर भेजते हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) से (छ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

Branch Post Office, Chhapra

98. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the reasons for not upgrading the Branch Post Office at Chhapra (Bihar) ; and

(b) the standard laid down for upgrading the Post Office and how far Branch Post Office Chhapra is lacking ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) There are five places with name Chhapra in Bihar State having Extra Departmental Branch Post Offices. No proposal in respect of any of these offices to be upgraded into Departmental Sub Office is pending. Proposals will be examined.

(b) The Branch Post Office should have minimum of work hours of five and on upgrading should work within the permissible limit of loss of Rs. 500/- per annum in rural areas and Rs. 240/- per annum in urban areas.

Sarafudinpur Post Office

99. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Sarafudinpur Post Office is the only Post Office in the midst of 20 villages in Muzaffarpur district of Bihar ;

(b) whether a public petition from the village Panchayat of Balthi Mushahari place with the population of about four thousand has been received for opening a separate Extra Departmental Post office ; and

(c) whether Government propose to open an Extra Departmental Post Office within the jurisdiction of Balthi Mushahari Panchayat ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Sarafudinpur Departmental sub-office is serving 25 villages through a Departmental village Postman with frequency of delivery of mails on alternate days. There are four other Post Offices within a radius of 5 miles.

(b) No Sir, A petition from the villagers of Balthi Rasulpur under Balthi Mushahari Panchayat has been received for opening a Post Office.

(c) The proposal is under examination.

टेलीफोन लगाना

100. **डा० रानेन सेन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली, तथा भारत के अन्य बड़े नगरों में नये टेलीफोन लगवाने के कितने प्रार्थना-पत्र इस समय अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ख) अधिकांश आवेदकों को टेलीफोन कब दे दिये जायेंगे ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :

शहर का नाम	प्रतीक्षक सूची
कलकत्ता	77019
बम्बई	72178
दिल्ली	58589
मद्रास	12509
बंगलोर	7112
कानपुर	8628
पूना	4197

(ख) कोई समय-सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है । उपलब्ध संसाधनों के अनुसार नये एक्सचेंज खोलने और पुराने का विस्तार करने के लिये निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

भारतीय भाषाओं का प्रचार

101. डा० रानेन सेन :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय भाषाओं के प्रचार और विकास के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कितनी राशि खर्च की गई तथा तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : भारतीय भाषाओं के प्रचार और विकास पर केन्द्रीय सरकार द्वारा खर्च की गई राशि के संबंध में सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 344/67**]

नई दिल्ली नगरपालिका के प्राथमिक स्कूलों में
बच्चों की संख्या

102. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा नियम है कि नई दिल्ली नगरपालिका के अधीन प्राथमिक स्कूलों में किसी एक स्कूल में दाखिल होने वाले बच्चों तथा किसी कक्षा अथवा सेक्शन में दाखिल होने वाले बच्चों की संख्या एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो किसी एक स्कूल अथवा कक्षा में अधिक से अधिक कितने बच्चों को दाखिला मिल सकता है; और

(ग) ऐसे स्कूल कौन—कौन से हैं जिनमें बच्चों की संख्या निर्धारित संख्या से अधिक है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) और (ख) : कोई विशिष्ट नियम नहीं है किन्तु नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा 3–3–1967 को पारित एक संकल्प के अनुसार जहां तक संभव हो किसी प्राथमिक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 600 से अधिक नहीं होनी चाहिए । किसी सैक्शन की संख्या के बारे में भी कोई नियम नहीं है किन्तु सामान्यत: 50 विद्यार्थियों की संख्या से अधिक की अनुमति नहीं दी जाती है । यदि किसी सैक्शन में विद्यार्थियों की संख्या 50 से अधिक हो जाती है तो उसे दो हिस्सों में बांट दिया जाता है और नए सैक्शन के लिए एक अलग अध्यापक की व्यवस्था कर दी जाती है । किसी कक्षा की संख्या उसके सैक्शनों की संख्या पर निर्भर करती है ।

(ग) ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ, बच्चों की संख्या किसी सैक्शन में 50 से ज्यादा हो, पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार नीचे लिखे स्कूलों में से प्रत्येक में इस समय 600 से कुछ ज्यादा छात्र हैं :–

(एक) एम० बी० प्राइमरी स्कूल नेताजी नगर नम्बर 1
(दो) " " " किदवई नगर " 2
(तीन) " " " " " 3

फिर भी सही स्थिति स्कूल खुलने के बाद जुलाई, 1967 के अन्त तक दाखिलों और बैठ जाने वालों की संख्या पर निर्भर करेगी ।

बेरोजगारी

103 श्री शिवचन्द्र झा : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली, दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधियों के अन्त में कुल कितने व्यक्ति बेरोजगार थे;

(ख) उक्त तीनों पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त में कुल कितने शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार थे;

(ग) उक्त तीनों योजनाओं के अन्त में आंशिक रूप से बेरोजगार व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी थी; और

(घ) चौथी योजना के अन्त में बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार तथा आंशिक रूप से बेरोजगार व्यक्तियों की कुल अनुमानित संख्या क्या होगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में बेरोजगार लोगों की संख्या क्रमशः 53 लाख, 70 लाख, और 90 लाख से 1 करोड़ तक थी ।

(ख) इस सम्बन्ध में निश्चित अनुमान उपलब्ध नहीं हैं । राष्ट्रीय रोजगार सेवाओं के पास जो जानकारी है उसके अनुसार पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में नियुक्ति सहायता चाहने वाले शिक्षित (मैट्रिक और इससे अधिक पढ़े लिखे) लोगों की संख्या क्रमशः 2.2 लाख, 4.8 लाख और 8.9 लाख थी ।

(ग) आंशिक रूप से बेरोजगार व्यक्तिओं से सम्बन्धित यथा–तथ्य जानकारी उपलब्ध नहीं है । योजना आयोग के अत्यधिक स्थूल अनुमानों के अनुसार आजकल 1 करोड़ 60 लाख व्यक्ति आंशिक रूप से बेरोजगार हैं ।

(घ) चौथी योजना के अन्त की यथा–तथ्य स्थिति का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

All India Judicial Services

104, Shri Kameshwar Singh : **Shri Madhu Limaye :**
Shri J. H. Patel :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 261 on the 5th April, 1967 and state :

(a) whether any replies have been received from the remaining State Governments regarding the formation of the All-India Judicial Services ; and

(b) if so, the reaction of the Central Government thereto.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidhya Charan Shukla) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

Board For Propagation of Hindi in South

105. Shri Rama Chandra Veerappa : Will the Minister of **Education** be pleased to state ;

(a) whether Government have Constituted a Board for the propagation and popularisation of Hindi in the South ; and

(b) if so, the number and names of the members of the Board ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) No Sir, But the Hindi Shiksha Samiti advises the Government of India on the propagation and popularisation of Hindi in all non-Hindi States, including South India.

(b) Does not arise.

राज्यपालों द्वारा सलाह लेना

106. श्री सी० सी० देसाई : **श्री एम० अमरसे :**
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : **श्री पाशाभाई पटेल :**

क्या गृह **कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि गैर कांग्रेसी सरकार वाले राज्यों के राज्यपाल भी प्रधान मंत्री, गृह–कार्य मंत्री तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रियों से राजनीतिक मामलों में अब भी सलाह लेते हैं।

गृह–कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : किसी राज्य विशेष में कोई भी दल सत्तारूढ़ क्यों न हो वहां के राज्यपाल प्रधान मंत्री अथवा अन्य केन्द्रीय मंत्रियों से राजनैतिक विषयों पर परामर्श नहीं लेते। इन मामलों में उन्हें अपने स्वतः विवेक से अथवा मंत्री–परिषद् की सहायता अथवा सलाह से काम करना होता है।

पराजित कांग्रेसियों की नियुक्ति

107 श्री सी० सी० देसाई : **श्री एम० अमरसे :**
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : **श्री पाशाभाई पटेल :**

क्या गृह–**कार्य** मंत्री 1962 के चुनावों में हारे हुए तथा उसके बाद 2,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन वाले उच्च पदों पर नियुक्त किये गये कांग्रेसियों के नाम दरशाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

गृह–कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : डा० वी० वी० केसकर की कुल 2,250⅜ रुपये प्रतिमास वेतन पर सड़क परिवहन कराधान जांच समिति के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया और श्री ए० के० चन्दा को 2,000 रुपये प्रतिमास पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के पद पर और साथ ही साथ 500 रुपये प्रतिमास के अतिरिक्त भत्ते पर भाषायी अल्प–संख्यकों के आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया। यह सूचना, अन्तिम नहीं भी हो सकती है और यदि कोई और अन्य नियुक्तियां की गई होंगी, तो सदन के सभा–पटल पर एक विवरण रख दिया जायेगा।

सरकारी उपक्रमों के बारे में प्रशासनिक सुधार

आयोग की सिफारिश

108 श्री डी० एन० देव :

श्री काशीनाथ पांडे :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल ने सिफारिश की है कि सरकारी उपक्रमों को अपने कार्य के साथ अपना [वार्षिक आयव्ययक संसद द्वारा स्वयं पास कराना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) अभी तक न तो सरकारी उपक्रमों के अध्ययन दल ने और न ही उसने जो आयव्ययक सुधार से सम्बन्ध रखता है, अपना प्रतिवेदन प्रशासनिक सुधार आयोग के सामने प्रस्तुत किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजधानी सलाहकार समिति, चण्डीगढ़

109. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी सलाहकार समिति चण्डीगढ़ के कृत्यों और गठन का ब्यौरा क्या है;

(ख) जनता के प्रतिनिधियों के रूप में इस समिति में लिये गये सदस्य किस-किस दल के हैं; और

(ग) वर्ष 1966-67 में इस समिति की कितनी बैठकें हुईं और अन्तिम बैठक किस तिथि को हुई थी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) समिति का गठन संलग्निका में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 345/67]**

समिति के कृत्य चंडीगढ़ प्रशासन को सफाई से सम्बन्धित मामलों पर सलाह देना, मकानों और दुकानों का निर्माण और नक्शे बनाना, बस स्टापों और रिक्शा अड्डों का स्थान निश्चित करना, कर लगाना, चंडीगढ़ में सार्वजनिक भवनों का उपयोग, और प्रशासन को जन साधारण में नागरिकता की भावना उत्पन्न करने में सहायता देना है।

(ख) सर्वश्री लछमन सिंह और दौलत राम का कांग्रेस दल से सम्बन्ध है। अन्य गैर-सरकारी सदस्यों के दलगत सम्बन्ध ज्ञात नहीं हैं।

(ग) 1966-67 के दौरान दो बैठकें हुईं। अन्तिम बैठक 11-1-1967 को हुई थी।

मिजो विद्रोहियों का जमाव

111. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे समाचार मिले हैं कि त्रिपुरा, कछार जिले तथा मिजो

पहाड़ियों के सांम पर दामछोड़ा और कानामुखाना क्षेत्रों में भारी संख्या में मिजो विदोही जमा हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह–कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख): जी नहीं । किन्तु सरकार स्थिति के बारे में सजग है और बड़ी निगरानी रख रही है ।

केरल को जेलों में पाकिस्तानी राष्ट्रजन

113. **श्री पी० पी० एसथोस :** **श्री उमानाथ :**
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री पी० गोपालन :**
श्री के० एम० अब्राहम :

क्या **गृह–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की जेलों में कोई पाकिस्तानी राष्ट्रजन नजरबन्द है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या उनमें से किसी ने, जिसके सम्बन्धी भारतीय नागरिक हैं; भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की है; और

(घ) इन आवेदन-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह–कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख): इस समय केरल में केवल एक पाकिस्तानी राष्ट्रिक विदेशी अधिनियम 1946 के अधीन नजरबन्द है । उसकी रिहाई के आदेश राज्य सरकार द्वारा पहले ही जारी किए जा चुके हैं बशर्ते कि वह उचित बौण्ड तथा जमानतें दे सके ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहा उठता ।

कलकत्ता में दंगे

114. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी : **श्री रामसिंह आयरवाल :**

क्या **गृह–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 29 मार्च, 1967 को कलकत्ता में हुए दंगों की स्वतंत्र रूप से कोई जांच कराई है ।

(ख) क्या इन आरोपों की जांच की गई है, कि पुलिस से भिन्न कुछ लोगों ने अमरीका में बने हुए अश्रु गैस के गोलों का प्रयोग किया था; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह–कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) कलकत्ता में

29 मार्च 1967 को जो दंगे हुए थे उनकी भारत सरकार ने कोई जांच नहीं कराई। ज्ञात हुआ है कि राज्य सरकार ने इन दंगों की जांच करने के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 के आधीन एक आयोग की स्थापना की है।

(ख) से (ग) आयोग के प्रतिवेदन के प्राप्त होने की प्रतिक्षा है।

समुद्र तटों पर काम करने वाले श्रमिकों की शिकायतें

115. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 5 अप्रेल, 1967 के अतारांकित **प्रश्न संख्या** 607 के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न पत्तन न्यासों के नियंत्रण में समुद्र तटों पर काम करने वाले बी, वर्ग के श्रमिकों की शिकायतो पर विचार करने के लिये नियुक्त जाँच-न्यायालय ने अपना काम अब पूरा कर लिया है और अपनी सिफारिशें भेज दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) (क) अभी तक नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सवेतन छुट्टी के रुप में "मई दिवस"

116. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने "मई दिवस" को सवेतन छुट्टी का दिन घोषित किया है और इस बारे में आदेश निकाले हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या मई दिवस को सवेतन छुट्टी का दिन घोषित करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन मिले हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) (क) सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(ख) एक प्रस्ताव की प्रति जो बंगलौर के ईसाई कामगारों द्वारा पहली मई, 1967 को पारित हुआ प्रतीत होता है और जिसमें केन्द्रीय सरकार तथा मैसूर की राज्य सरकार से पहली मई को प्रति वर्ष सामान्य छुट्टी का दिन घोषित करने की प्रार्थना की गई है, प्राप्त हुई थी।

चाय बागानों के कर्मचारियों को दिया गया महंगाई भत्ता

117. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय बागान उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड ने महंगाई भत्ते को अखिल भारतीय मूल्य सूचकांकों के साथ जोड़ने की सिफारिश की थी ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1966 में मूल्य सूचकाकं में वृद्धि के आधार पर चाय बागान मजदूरों को कितना महंगाई भत्ता मिलता है; और

(ग) क्या सरकार ने चाय बागान उद्योग द्वारा कर्मचारियों को अधिक महंगाई भत्ता दिया जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी): (क) जी हां ।

(ख) महंगाई भत्तो का हिसाब लगाने संबंधी फार्मूला अन्य सिफारिशों के सारांश के साथ सरकारी संकल्प क्रमांक डब्ल्यु बी –3(4) /66, दिनांक 4 जून, 1966 में प्रकाशित किया गया था । निर्वाह खर्च सूचकांक भी नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है और महगाई भत्ते के रूप में समय–समय पर प्राप्त होने वाली वास्तविक रकम का हिसाब संबंधित पक्षों द्वारा लगाया जा सकता है ।

(ग) सिफारिशों की क्रियान्विति संबंधी शिकायतों की जांच करने के लिये राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है ।

विदेशी तेल कम्पनियों में छटनी

118. श्री डा० रानेन सेन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री धीरेश्वर कालिता :
श्री बी. के. मोदक :
श्री उमानाथ :
श्री भगवानदास :
श्री गणेश घोश :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री जे० एच० पटेल :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत स्थित विदेशी तेल कम्पनियां स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नाम पर अब भी कर्मचारियों की छटनी कर रही हैं;

(ख) क्या इस संबन्ध में सरकार को कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : कामगारों के संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजनाओं की छटनी के आरोप हैं ।

(ग) विदेशी तेल कम्पनियों में नौकरी की सुरक्षा सम्बन्धी मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिये सम्बन्धी कामगारों और नियोजकों के प्रतिनिधियों की एक बैठक 28 अप्रेल, 1967 को आयोजित की गई । बैठक में संबन्धित पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ । लेकिन विचार-विमर्श के दौरान जो कुछ सुझाव दिये गये वे सरकार के विचाराधीन हैं ।

केन्द्रिय सरकार के कार्यालयों में छुट्टियां

119 श्री बी० एस० शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री शारदा नन्द :
श्री जे० बी० सिंह :
श्री भारत सिंह :
श्री रणजीत सिंह :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री के० एम० मधुकर
श्री अ० क० गोपालन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री के० रमणी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री ओंकार सिंह :
श्री देवेन सेन :
श्री मधु लिमये :
श्री बेदव्रत बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक छुट्टियों, वैकल्पिक छुट्टियों तथा अन्य छुट्टियों के प्रश्न पर पुनः विचार किया है;

(ख) क्या आपात काल की समाप्ति पर काम के घन्टों को कम करने के प्रश्न पर भी सरकार ने विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) : छुट्टियों तथा काम के घण्टों के प्रश्न पर सरकार द्वारा आमूल विचार किया गया और यह निश्चय किया गया कि फिलहाल छुट्टियों तथा काम के घण्टों की वर्तमान व्यवस्था ही चलती रहनी चाहिए। फिर भी इस मामले पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये स्थापित संयुक्त परामर्श व्यवस्था तथा अनिवार्य पंच निर्णय योजना के आधीन स्थापित राष्ट्राय परिषद् के साथ बात-चीत जारी है।

शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन

120. श्री बी० एस० शर्मा
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री मधु लिमये :
श्री जार्ज फरनेंडीज :
श्री डा० राममनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री राम किशन गुप्त :
श्री एन० एस० शर्मा :
श्री शारदा नन्द :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री स्वैल :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री डा० कर्णी सिंह :
श्री आर० के० बिड़ला :
श्री कीकर सिंह :
श्री कोलाई बिरुआ :
श्री रणधीर सिंह :
श्री डी० एन० पटौदिया :

श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री ओंकार सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री स० च० सामन्त :
श्री ए० के० किसकू :
श्री एस० एन० मेती :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री धीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री रा० बरुआ :
श्री सी० सी० देसाई :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशों को लागू करने के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) : शिक्षा आयोग की सिफारिशें सक्रिय रूप से भारत सरकार और राज्य सरकारों के विचाराधीन हैं।

राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन ने, जो 28-30 अप्रैल, 1967 को हुआ था, आयोग की मुख्य सिफारिशों पर विचार किया था और इस समय संसद सदस्यों की एक समिति भी सिफारिशों पर विचार-विमर्श कर रही है।

Missionaries

121. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the names of the countries from which foreign Christian Missions in India received financial aid in 1966 and the amount received from each of those countries;

(b) whether any cases of antinational activities or forced conversion on the part of these Missions have come to the notice of Government; and

(c) if so, the measures taken to prevent these activities ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) A statement giving the information for the period January to September, 1966, which is the latest available, is laid on the table of the House. [Placed in Library See No. LT. 346/67]

(b) and (c) Some Missions/Missionaries have come to notice for anti-national or objectionable activities and suitable action has been/is being taken against them. No report has, however, been received of forced conversions.

Under Secretaries/Section Officers in the Central Secretariat

122 **Shri Hukam Chand Kachwai** :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of Under Secretaries and Section Officers in various Ministries of the Central Government promoted during the last five years;

(b) whether it is a fact that some junior officers in some of the Ministries have been promoted ignoring consideration of seniority ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) Presumably, the reference is to promotions in long-term vacancies. During the last 5 years, 76 officers of Grade I of the Central Secretariat Service (Under Secretary) were promoted to the Selection Grade (Deputy Secretary) and 186 Section Officers were promoted to Grade I of the Central Secretariat Service (Under Secretary).

(b) and (c) For long-term appointments to Grade I and the Selection Grade of the C. S. S., selections are made entirely on merit on all-Secretariat basis. Where appointments are made on the basis of merit, it is obviously not possible to adhere to the order of seniority.

In short-term vacancies, promotions are made on the basis of seniority subject to suitability; but since inter-Ministry transfers for short periods are not administratively practicable, the promotions follow the order of seniority within the Ministry/Department concerned. It is, therefore, possible that junior officers in some of the Ministries may happen to officiate in short-term vacancies, but such appointments do not confer on them any claim for appointment on a regular basis.

Dharampura House Collapse (Delhi)

123. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 119 on the 29th March, 1967 and state :

(a) whether the Commission set up to enquire into the collapse of a house in Dharampura, Delhi has completed its enquiry ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the time likely to be taken in completing the enquiry ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No.

(b) Does not arise.

(c) The period for submission of report by the Commission has been extended by the Lt. Governor of Delhi for a further period upto the 31st May, 1967. The enquiry is therefore expected to be completed by that time.

Postal Forms.

124. **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri Yashwant Singh Kushwah :**
Shri Ram Singh Ayarwal

Will the Minister of Communications be pleased to state.

(a) whether it is a fact that the Postal Savings Bank Money-Order, V. P. P. and other receipt forms are supplied to the P. & T. Department in English only; and

(b) if so, the reason for not printing them in Hindi ?

The Minister of State in the Department of Parliamentrary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) A number of receipts such as receipts for depositor's P. O. S. B. Pass Book, receipts for Telegraphic Money Orders, and the addressee's acknowledgement for delivery of registered articles, have already been ordered to be printed

bilingually, i. e. in Hindi and English. The receipts issued by Branch post offices are also available in Hindi or English separately. Some other receipt forms, like V. P. P. receipts for registered letters and parcels, and Preliminary S. B. receipts, have been translated and will be available for use in the near future.

(b) Over 2000 forms are in use in the P&T Department, and the work of their translation and printing into Hindi being of enormous magnitude, is bound to take some time. However, efforts are constantly in progress to make available all forms in Hindi and English as soon as possible.

Victims of Firing in New Delhi On 7th November, 1966.

125. Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri O. P. Tyagi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of persons who were killed, who lost their limbs and who were injured respectively as a result of firing on the Cow protection agitation in front of Parliament House, New Delhi on the 7th November, 1966;

(b) the number of women, men and children amongst those who were killed and wounded;

(c) whether post-mortem of the killed was done and if so, whether a copy of the report of post-mortem will be laid on the Table;

(d) whether it is a fact that bodies of the persons killed were not handed over to their family members inspite of their request for the same; and

(e) whether it is also a fact that firing of 7th November, 1966 was carried out by the Madhya Pradesh Police ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) No. of persons killed	—	8
No. of persons who lost their limbs	—	1
No. of persons injured :	—	41

	Killed	Wounded
(b) Men	7	41
Women	—	—
Children	1 (boy of 16 years)	—

(c) Yes, Sir. It is not considered necessary to place the copies of the post-mortem report on the Table of the House.

(d) Out of the eight persons who were killed, the bodies of seven remained unclaimed or unidentified and were, therefore, disposed of by the police. One dead body was handed over to the relatives.

(e) No, Sir.

भारतीय असैनिक सेवा के अधिकारी

127. श्री एस० आर० दमानी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय असैनिक सेवा के कितने अधिकारी हैं तथा वे इस समय किन-किन स्थानों पर काम कर रहे हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में भारतीय असैनिक सेवा के किसी अधिकारी ने अपने पद से त्यागपत्र दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) भारतीय असैनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या 1. 1. 67 को 144 थी। 1. 1. 1967 के अनुसार उनकी वर्तमान नियुक्तियां भारतीय प्रशासन सेवा की सिविल सूची में दी गई है।

(ख) और (ग) : जी हां। भारतीय असैनिक सेवा अधिकारियों को 35 वर्ष की सेवा के पश्चात् त्यागपत्र देकर सेवा से अनिवार्यतः निवृत्त होना पड़ता है। ऐसे अधिकारियों की एक सूची (संलग्निका-1) सदन के सभा-पटल पर रखी गई है। **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 347/67]**

25 वर्ष की सेवा के पश्चात् भी भारतीय असैनिक सेवा अधिकारी पूरी पेंशन पर सेवा से निवृत्ति ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे अधिकारियों की एक सूची (संलग्निका-II) भी सदन के सभा-पटल पर रखी जा रही है। **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 348/67]**

भारतीय असैनिक सेवा अधिकारी आनुपातिक पेंशन लेकर 5 वर्ष की सेवा के बाद ही समय-पूर्व सेवा-निवृत्ति ग्रहण कर सकते हैं। तीन वर्ष की अवधि में समय-पूर्व नियमों के अधीन किसी भी भारतीय असैनिक सेवा अधिकारी ने निवृत्ति ग्रहण नहीं की।

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के सेवा निवृत्त न्यायाधीशों की पुर्ननियुक्ति

128. श्री एस० ग्रार० दमानी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्वोच्च न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों से गत तीन वर्षों में कितने न्यायाधीश पद निवृत्त हुए; और

(ख) उनमें से कितने न्यायाधीशों को विभिन्न न्यायाधिकरणों तथा आयोगों में नियुक्त किया गया ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हान) : (क) **सर्वोच्च न्यायालय** : त्याग पत्र देने वाले दो को मिलाकर 7.

उच्च न्यायालय : त्याग पत्र देने वाले चार को मिलाकर 29.

उपरोक्त सूचना का सम्बन्ध 15 मई, 1964 से 14 मई, 1967 तक की अवधि से है।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी राष्ट्रजनों की गतिविधियां

129. श्री एस० आर० दमानी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1965 से लेकर आज तक कितने विदेशी राष्ट्रजनों को अवांछनीय गतिविधियों में भाग लेते हुये पाया गया;

(ख) वे किन-किन देशों के हैं; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा-समय सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात में रसायन इंजीनियरिंग संस्था

130. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में एक रसायन इंजीनियरिंग संस्था स्थापित करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां। गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद में रसायन टेक्नोलोजी का एक विभाग खोलने की एक प्रार्थना प्राप्त हुई है।

(ख) इस स्तर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का संबंध नहीं है। फिलहाल एक अध्ययन दल पांचवी और छठी आयोजनाओं के लिए रसायन इंजीनियरों और रसायन टेक्नोलोजीविज्ञों की आवश्यकताओं पर विचार कर रहा है। इस अध्ययन के परिणामों के आधार पर और आगे कार्यवाई की जाएगी।

मौजाम्बीक से आने वाले विस्थापित व्यक्ति

131. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके गुजरात के दौरे के समय मोजाम्बीक से आये शरणार्थी उनसे मिले थे;

(ख) यदि हां, तो उनके अभ्यावेदन और दावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विस्थापित व्यक्तियों की सहायता के लिये सरकार का कोई प्रस्ताव है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) लौटने वालों ने अभिवेदन किया है कि उन्हें निम्न लिखित रियायतें दी जायें :

(1) लौटने वाले व्यक्ति जो पूंजी साथ लाये हैं और जो उन्होंने घोषित की है, उसे यथा सम्भव समय में आयकर विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाये; और

(2) लौटने वालों ने भारत वापिस आकर जो व्यापार चालू किया है उस पर हुये लाभ पर 5 वर्ष तक कोई आयकर न लिया जाये।

(ग) वित्त मंत्रालय से परामर्श करके मामले की छान-बीन की जा रही है।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा सरकारी साहित्य का अनुवाद

132. श्री एस० एम० जोशी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के पास अब तक विभिन्न सरकारी विभागों की कितनी प्रक्रिया सम्बन्धी नियमावलियाँ, प्रपत्र तथा कार्यालय ज्ञापन अनुवाद के लिये भेजे गये हैं;

(ख) क्या यह काम इस प्रकार के सम्पूर्ण सरकारी साहित्य का एक बड़ा अथवा संतोष-जनक भाग है जिसका अनुवाद कराना विभिन्न कार्यालयों में धीरे-धीरे हिन्दी को लागू करने के लिये आवश्यक समझा जाता है;

(ग) इस साहित्य का अनुवाद पूरा कराने के लिये कितना समय लगने की संभावना है तथा इस काम को शीघ्रता से पूरा कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) अनुवाद के लिये बाद इस सामग्री के प्रकाशन के क्या व्यवस्था की गई है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह) : (क) और (ख) : केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में अब तक भारत सरकार के मन्त्रालयों और विभागों से 1379 कार्यालय मैनुअल और 20165 फार्म, हिन्दी में अनुवाद के लिए प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों और विभागों में हिन्दी शुरूआत करने में सुविधा देने के लिए अनुवाद किये जाने वाले इस किस्म के कुल अपेक्षित सरकारी साहित्य का यह एक बड़ा हिस्सा है।

(ग) अनुवाद के लिए अब तक प्राप्त सामिग्री में से 1034 मैनुअल और 15876 फार्मों का अनुवाद किया जा चुका है। बाकी कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है, जिसके लिए इस मन्त्रालय के केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में एक विशेष सेल बनाया है।

(घ) अनूदित सामग्री की छपाई का प्रबन्ध भारत सरकार के सम्बन्धित मन्त्रालयों और विभागों द्वारा किया जाता है।

शेख अब्दुल्ला

133. श्री बाबूराव पटेल : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शेख अब्दुल्ला पर किराया, आवास, भोजन तथा पुलिस गार्ड पर 8 मई, 1965 से 31 मार्च 1967 तक कुल कितना धन खर्च हुआ है;

(ख) शेख अब्दुल्ला के परिवार के किन-किन सदस्यों को उनसे मिलने की अथवा उनके साथ ठहरने की अनुमति दी गई और कितने समय तक ठहरने की अनुमति दी गई;

(ग) क्या कुमारी मृदुला साराभाई को, उसकी गतिविधियों पर से प्रतिबन्ध हटाये जाने के बाद से, शेख अब्दुल्ला से मिलने तथा बातचीत करने की अनुमति दी गई थी;

(घ) क्या एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता शेख अब्दुल्ला से मिला था;

(ङ) यदि हां, तो कब और उसका नाम क्या है;

(च) क्या सरकार ने उसे उनसे मिलने की अनुमति दी थी; और

(छ) यदि नहीं, तो इस अभिनेता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 562991.7 रुपये।

(ख) आवश्यक सूचना को बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 349/67]

(ग) जी नहीं।

(घ) से (छ) : किसी भी फिल्म अभिनेता को शेख अब्दुल्ला से मिलने की अनुमति नहीं दी गई थी। सितम्बर, 1965 में शेख अब्दुल्ला से कुछ मौकों पर श्री दलीप कुमार की दुआ सलाम हुई। श्री दलीप कुमार उस समय कोडाम कनाल में एक फिल्म शूटिंग के संबंध में ठहरे हुए थे। 11 मई, 1967 को श्री शेख अब्दुल्ला की सैर के दौरान फिल्म अभिनेत्री श्रीमती पद्मनी की भी दुआ सलाम हुई। इन अवसरों पर सुरक्षा अधिकार मौजूद था।

फलित-ज्योतिष को मान्यता देना

134. श्री बाबूराव पटेल : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फलित-ज्योतिष विद्या को सरकारी तौर पर मान्यता प्रदान करने का है;

(ख) क्या यह सच है कि प्राचीन भारत में विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी कामों के लिये फलित-ज्योतिष विद्या का प्रयोग किया जाता था तथा ज्योतिष से आंधी, तूफान तथा भूचाल आदि विनाशकारी घटनाओं की पूर्व चेतावनी दी जाती थी, जिससे करोड़ों लोगों के प्राण बच जाते थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि फलित-ज्योतिष सम्बन्धी प्राचीन तथा दुर्लभ पाण्डुलिपियाँ जिन्हें 'नादी' नाम से पुकारा जाता है, अब भी देश के विभिन्न व्यवसायी ज्योतिषियों के पास है;

(घ) क्या इन 'नादियों' को तथा ज्योतिष सम्बन्धी अन्य दुर्लभ रचनाओं को खरीदने तथा इनकी माइक्रो-फिल्में बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर, सरकार विचार कर रही है ताकि इस दैवी प्राचीन विज्ञान के बारे में अनुसंधान किया जा सके; और

(ङ) क्या सरकार ज्योतिष अनुसंधान विभाग खोलने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ताकि इसके वैज्ञानिक निष्कर्षों को मानव की प्रगति तथा संरक्षण के लिये प्रयोग में लाया जा सके ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) प्रशनाधीन मान्यता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं है ।

(ख) इस तथ्य की पुष्टि अथवा इसे अस्वीकार करना सम्भव नहीं है, क्योंकि सरकार ने इस विषय पर कोई क्रमबद्ध खोज नहीं की है ।

(ग) ऐसी पाण्डुलिपियों का कोई सरकारी सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में ज्योतिष के अलग विभाग हैं ।

Rehabilitation of Persons Affected by Hostile Mizos Attacks

135. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the amount of expenditure incurred by Government so far and that which will have to be incurred on resettling the Mizos ?

(b) the reasons for resettling them at other places; and

(c) the reasons for not taking stern action against these hostile Mizos ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) The estimate of expenditure proposed to be incurred was about Rs. 37.5 lakhs.

(b) Small villages scattered over a wide area were found vulnerable to the attacks by Mizo hostiles. In order hence to afford greater protection to the villagers, to isolate the hostiles and also to enable own security forces to operate with greater efficiency, a limited grouping of villages extending over an area of 10-miles on either side of the Silchar-Aijal-Lungleh road in the Mizo Hill district was undertaken.

(c) Stern action against Mizo hostiles is being taken.

Unearthing of an Arms Dump in Bombay

136. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether an enquiry has been made by Government regarding an arms dump unearthed in Bombay in March, 1967;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the details of the persons held during the enquiry ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :
(a) Yes, Sir;

(b) and (c) : A gang of seven decoits was arrested in Vikroli in North Bombay. The Police recovered 3 hand made 12-bore guns and equipment for their manufacture. 4 Rampuri knives were also recovered. All the seven persons belong to Allahabad district of whom two are experienced mechanics and four are weavers by profession.

Bomb Explosion in Delhi (Shahdara)

137. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether any enquiry has been made by Government regarding the bomb explosion which took place in Shahdara, Delhi on the 3rd April, 1967 and in which four persons were injured; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) Yes, Sir.

(b) The explosion took place when some C. P. W. D. labourers were digging the ground for laying an underground water pipe in front of the General Hospital, Shahadara. and a pick-axe of a labourer struck against an old rusted mortar bomb. As a result of the explosion, another unexploded old rusted mortar bomb and 8 rusted daggers were thrown out. In the explosion, one labourer was killed on the spot and three were injured of whom one died later in hospital. The unexploded bomb was later destroyed. The entire area was combed but nothing else was found.

Since the body of the unexploded bomb which resembled a three inch mortar bomb was badly corroded and rusted with no markings or paint thereon, the type, origin and date of manufacture and the period for which it had been lying buried could not be ascertained. The bombs appeared to be some old Army ammunition buried many years ago.

आसाम का पुनर्गठन

138. श्री डी० एन० पटौदिया :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री स्वैल :
डा० कर्णीसिंह :
श्री कौकर सिंह :
श्री कोलाई बिरुआ :
श्री आर० के० बिड़ला :
डा० रानेन सेन :
श्री धीरेश्वर कालिता :
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया
श्री जार्ज फरनेंडीज :
श्री रा० बरुआ :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री रामेश्वर राव :
श्री सी० सी० देसाई :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री सूपकर :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम का पुनर्गठन करके उसको संघीय रूप देने के बारे में हाल में किये गये अपने निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये अग्रेतर कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक की गई कार्यवाही का मोटा व्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हान) : (क) और (ख) : आसाम राज्य का पुनर्गठन करने के निश्चय की घोषणा के बाद आसाम के मुख्य मन्त्री और ऑल पार्टी हिल-लीडर्स कान्फ्रेंस के प्रतिनिधियों के बीच विचार विमर्श हुआ । अपने 20 और 21 मई, 1967 के आसाम के दौरे में मैंने भी विभिन्न राजनैतिक दलों और सम्बन्धित संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया । इन विचार-विमर्शों के संदर्भ में आगे की जाने वाली कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है ।

डाक टिकिट

139. **श्री सेझियान :** **श्री यशपाल सिंह :**
श्री विभूति मिश्र : **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक टिकटों को आकर्षक बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कार्य के लिये देश में कोई बहुरंगीय मुद्रणशाला खोलने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो कब ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हाँ ।

(ख) टिकटों पर की जानेवाली चित्रकारी में सुधार करना और जहाँ तक सम्भव हो उन्हें प्राकृतिक रंगों में छापना ।

(ग) और (घ) : इस प्रस्ताव को अभी स्थगित कर दिया गया है क्योंकि इसके काम में आनेवाले उपकरणों का बाहर से आयात करने में विदेशी मुद्रा की एक बड़ी राशि की आवश्यकता होती है

पत्रकारों के लिए मजूरी बोर्ड

140. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री श्रीकान्तन नायर :**
श्री स० मो० बनर्जी **श्री दे० शि० पाटिल**
श्री मधु लिमये :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमजीवी पत्रकारों तथा गैर-श्रमजीवी पत्रकारों सम्बन्धी मजूरी बोर्डों ने अपने प्रतिवेदन दे दिये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनमें क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) अभी तक नहीं :

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

मद्य निषेध

141. श्री वासुदेवन नायर :
श्री सी० जनार्दनन् :
श्री पी० सी० अदीचन :
श्री एस० आर० दमानी :
श्री सेझियान :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राममनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेंडीज :
श्री राने :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री वी० कृष्णमूर्ति :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री बाबूराव पटेल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने मद्य निषेध समाप्त करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है तथा क्या इस सम्बन्ध में सभी राज्यों में एक समान नीति बनाई जा रही है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अभी तक दो राज्यों के मद्य निषेध वाले क्षेत्रों में मद्य निषेध समाप्त किया गया है, एक के अन्तर्गत चार जिले आते हैं और दूसरे के एक जिला ।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्थिति का अध्ययन कर रही है ।

मिजो समस्या

142. श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजो नेशनल फ्रन्ट के साथ बातचीत करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो मिजो समस्या के सम्मानपूर्ण समाधान के लिये भारत सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख)—जब तक मिजो नेशनल फ्रन्ट बिना शर्त हथियार नहीं डाल देता तब तक उसके साथ किसी प्रकार की बातचीत का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षा के लिए धन का नियतन

143. श्री मणिभाई जे० पटेल : क्या शिक्षा मन्त्री 5 अप्रेल, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 283 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० वी० के० आर० वी० राव के इस वक्तव्य पर कि शिक्षा के लिये मूल रूप से नियत की गई 1210 करोड़ रुपये की राशि कम नहीं की जानी चाहिये, योजना आयोग द्वारा किया गया निर्णय उनके मन्त्रालय को प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका मुख्य व्यौरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) आयोजना आयोग ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली के अध्यापकों की हड़ताल

144. श्री मणिभाई जे० पटेल : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के शिक्षकों ने 8 मई, 1967 को 48 घंटे की हड़ताल की थी;

(ख) यदि हाँ, तो अध्यापकों की मुख्य माँगें क्या थीं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) : अध्यापकों ने 8 मई, 1967 को हड़ताल नहीं की थी किन्तु उनकी मुख्य माँगें निम्नलिखित हैं :—

(1) वेतन-मानों में संशोधन;

(2) दिल्ली में शिक्षा पर एकीकृत नियन्त्रण ;

(3) कुछ मामलो में सेवा शर्तों में सुधार ।

ये माँगें सम्बन्धित प्राधिकारियों के विचाराधीन हैं ।

Rehabilitation of East Bengal Refugees in Champaran

145. Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :–

(a) whether it is a fact that fifty thousand displaced persons from East Bengal have been rehabilitated in Champaran; District, Bihar ;

(b) if so, the reasons for not making any arrangements for providing any work for them for their living ; and

(c) whether Government propose to open any factory for their employment in Motihari ?

The Minister of State in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra) : (a) to (c) A statement is laid on the table of the House. [Placed in Library, See No. L. T. 350/67]

Seniority of Assistants

146. **Shri Onkar Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 129 on the 29th March, 1967 and state :

(a) whether the Committee which was considering the question of fixation of seniority of Assistants have since submitted their recommendations ;

(b) whether the Committee have taken any decision with regard to the fixation of seniority in the case of Upper Division Clerk and Lower Division Clerks also ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs. (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) : No, Sir. The recommendations of the Co-ordinating Committee in regard to seniority in the grade of Assistant are expected to become available very soon. Thereafter, the Committee will take up other items referred to it.

Restrictions On Mridula Sarabhai

147. **Shri Onkar Singh :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the restrictions imposed on Miss Mridula Sarabhai, a close associate of Shekh Abdullah, have been withdrawn; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of state in the Ministry of Home affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) Yes, Sir.

(b) The orders issued in this respect were cancelled in March, 1967 on a review of the facts and circumstances of the matter.

Nagda Rayon Factory

148. **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 365 on the 10th August, 1966 and state:

(a) the Number of workers in the Nagda Rayon Factory so far affected by the rayon gas and the number of those who died due to the gas and explosions in the factory during the last five years; and

(b) the amount of compensation paid to them ?

The Minister of Labour And Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) and (b) The matter falls in the State sphere.

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा का विकेन्द्रीकरण

149. **श्री रामचरण :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क सेवा के विकेन्द्रीकरण के पश्चात् कुछ मन्त्रालयों/विभागों में तो 1 मई, 1958 तथा उसके बाद स्थायी किये गये लोअर डिवीजन

क्लर्क पदोन्नति पाकर इस बीच अपर डिवीजन क्लर्क बन गये हैं, जब कि अन्य मन्त्रालयों/विभागों में उससे पहले की तिथि से स्थायी हुए लोअर डिवीजन क्लर्क अभी तक पदोन्नत नहीं हुए हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस विषमता के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क सेवा के पश्चात् किसी संवर्ग में नियुक्त व्यक्ति अपने संवर्ग में बनने वाले पदों में ही पदोन्नति की आशा कर सकते हैं और इसलिए विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति के अवसरों के विषय में कुछ असमानता होना स्वाभाविक है। यह असमानता आंशिक रूप से कुछ मन्त्रालयों की गतिविधियों में विस्तार के फलस्वरूप कर्मचारियों की बढ़ी हुई आवश्यकताओं तथा अन्य कुछ में कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा किए गए कार्यमाप अध्ययनों अथवा प्रशासन सुधार उपायों के लागू किये जाने के कारण, कमी के कारण भी उत्पन्न हुई है।

भूतपूर्व सैनिकों की वरिष्ठता तथा वेतन का निर्धारण

150. श्री रामचरण : **श्री राम सिंह आयरवाल :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व आज़ाद हिन्द फौज के सभी भूतपूर्व सैनिकों की युद्ध-सेवा को, जिसमें आज़ाद हिन्द फौज में युद्ध-बन्दी के रूप में सेवा भी शामिल है, उन्हें असैनिक पदों पर फिर से नौकरी दिये जाने पर उनकी वरीयता तथा वेतन निर्धारित करने के मामले में जोड़ने की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या अपवादस्वरूप ऐसे कोई मामले हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) आज़ाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने आज़ाद हिन्द फौज में भरती होने से पहले कुछ समय युद्धबन्दी के रूप में गुजारा था, निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं :—

(1) वे जो सशस्त्र सेनाओं की सेवा में थे ; और

(2) वे मूल रूप से केन्द्रीय सरकार के असैनिक कर्मचारी थे। इनमें प्रतिरक्षा सेवाओं के असैनिक कर्मचारी भी शामिल हैं। श्रेणी–II के अन्तर्गत आने वाले आज़ाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिक वेतन निर्धारित किये जाते समय असैनिक पद के निर्धारित वेतन-क्रम में अग्रिम वेतन वृद्धियों के लिये अथवा उस असैनिक विभागों में अपनी सेवा/वर्ग में वरिष्ठता के लिये जहाँ वे अब नियुक्त हैं, अपनी पिछली सेवा की भी गिनने का अधिकार है। इस सेवा के अन्तर्गत सेवा में भङ्ग की अवधि भी आती है जो युद्ध बन्दी के रूप में तथा/अथवा आज़ाद हिन्द फौज की सेवा में बिताई हो। सभा-पटल पर रखे गये गृह मन्त्रालय के 29-5-57 और 5-9-55 के

कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/4/52 एस० ऐण्ड० ऐन० जी० में यह बताया गया है कि परिव्रता तथा वेतन-निर्धारण में लाभ के लिये पिछली सेवा का लाभ कहाँ तक दिया जाता है। **[पुस्तकालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 351/67]**

(ख) और (ग) : श्रेणी I में आने वाले आज़ाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों को उपरोक्त रियायतें नहीं दी गई हैं। ऐसा इसलिये है क्योंकि आज़ाद हिन्द फौज में भरती होने से पहले वे सरकार की असैनिक सेवा में नियुक्त नहीं थे। किन्तु ऐसे व्यक्तियों को कुछ अन्य रियायतें दी गई हैं।

डाक तथा तार विभाग के सर्कलों में शिकायत कक्ष (सैल)

151. **श्री काशीनाथ पाण्डे :** **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री अटलबिहारी वाजपेयी :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक डाक तथा तार सर्कल में शिकायत कक्ष (सैल) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) डाक तथा तार सर्किल के कार्यालयों में शिकायत कक्ष पहले से ही विद्यमान हैं। तथापि उन्हें पुनर्गठित करने तथा अधिक शक्तिशाली बनाने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) योजना की रूप रेखा तैयार की जा रही है।

Raids on Offices of U. P. Commercial Corporation.

152. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Officers of the Central Vigilance Bureau recently raided the offices of U. P. Commercial Corporation located at Delhi and Calcutta;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the findings of the enquiry so far ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (c) : On receipt of a complaint, the Central Bureau of Investigation have registered a case against the U. P. Commercial Corporation. During the course of investigation, C. B. I. officers visited the offices of U. P. Commercial Corporation at Delhi and Calcutta and took possession of relevant record and documents for scrutiny. The investigations are still in progress.

Religions Conversions

153. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the details of the complaints of conversions of religion during the last one year; and

(b) whether Government have looked into these cases, and if so, the result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) and (b) According to reports received from the Governments of Assam, Haryana, Himachal Pradesh, Manipur, Tripura, A and N Islands, L. M. and A Island, Pondicherry, Dadra and Nagar Haveli, and NEFA Administration, no complaints of conversion of religion have been lodged.

Information from other State Governments/Administrations is being collected and will be laid on the table of the House.

Changes in Educational System

154. Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Manibhai J. Patel :

Will the Minister of Education be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 262 on the 5th April, 1967 and state :

(a) whether any programme has since been prepared for bringing about revolutionary changes in the educational system during this period;

(b) if so, the outlines thereof; and

(c) if not, the reasons for the failure ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) to (c) : The Report of the Education Commission, which outlines the programme, is still under consideration of the Government. A Conference of State Education Ministers was held on the 28th-30th April, 1967, to consider the recommendations in this behalf. A Committee of Members of Parliament specially constituted for the purpose, is currently examining the various recommendations with the object of formulating a national policy in education.

Shri Jawahar Lal Nehru Memorial Museum

155. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether the question of shifting the Jawahar Lal Nehru Memorial Museum from Teen Murti to Nehru University has been considered;

(b) if so, the decision taken thereon; and

(c) if not, the difficulties in shifting it ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Does not arise.

Languages of States

156. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the names of the States and the languages other than their own regional languages which have been allowed to be used there as official language with necessary facilities and since when it has been so;

(b) the names of the other States and the manner in which this question is being considered there; and

(c) the policy adopted by the Centre in this regard ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) A statement is attached. [Placed inLibrary See No. LT-352/67]

(b) With the exception of States named in (a) above and Kerala and Nagaland, Legislatures of all other States have under Article 345 of the Constitution, adopted by law the language in use in the State for all or any of the official purposes of that State. Kerala has yet to enact a law for the purpose. Nagaland has decided to continue

the use of the English language for all the official purposes of the State. In the Address of the State Governor to the Bihar State Legislature in March, 1967, it was announced that Urdu will be recognised as a second official language in the State.

(c) The policy of the Central Government is contained in the memorandum on Safeguards for linguistic minorities which was laid before Parliament on 4th Sept., 1956. The provisions of the memorandum were reaffirmed by the Chief Ministers Conference held from August 10-12, 1961.

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को तन्निम्न

नियम (नेक्स्ट बिलो रूल) का लाभ

157. श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री मुहम्मद इस्माइल :

श्री बी० के० मोडक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960 से लेकर 1966 तक की अवधि में भारतीय प्रशासनिक सेवा पदालि के कितने अधिकारियों को तन्निम्न नियम का लाभ दिया गया ;

(ख) केन्द्रीय सरकार की राय में, कितने मामलों में आवेदन-पत्र अनुचित थे ;

(ग) उक्त अवधि में, वर्षवार इन सम्बन्धित अधिकारियों को कुल कितनी राशि मिली ; और

(घ) क्या पश्चिम बंगाल के महा-लेखापाल द्वारा उठाई गई आपत्ति को देखते हुए सरकार इन अधिकारियों से उनके द्वारा इस प्रकार ली गई समूची अथवा आंशिक राशि को वसूल करने का प्रयत्न कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

स्मृति डाक टिकट

158. श्री अ० क० गोपालन :

श्री पी० राममूर्ति :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष श्री नारायण गुरु के जन्म दिवस पर उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किये जायेंगे; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ. कु. गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर

159. श्री स० मो० बनर्जी :

श्री मधु लिमये :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर ने सरकार को भविष्य

निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया राशियों का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मिल के विरुद्ध मुकद्दमा दायर किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था

160. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था ठीक प्रकार नहीं चल रही है;

(ख) क्या अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ (फेडरेशन) तथा कुछ अन्य संघों ने इसमें भाग नहीं लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था में अन्य संघों तथा फेडरेशनों को शामिल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था की योजना अब तक ठीक-ठीक चलती रही है ।

(ख) अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी जो संघ ऐसा एक मात्र प्रमुख संघ है जो अब तक संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था योजना में शामिल नहीं हुआ ।

(ग) अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ उस स्थायी परामर्श व्यवस्था को पुनः लागू कराना चाहता है जो उस मंत्रालय में 1960 से पहले लागू थी । यह व्यवस्था उस समय समाप्त हो गई जब अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ की मान्यता समाप्त कर दी गई । 1960 से पहले यह संघ अपने प्रकार का अकेला संगठन था । अब परिस्थितियां 1960 से पहले की परिस्थितियों से भिन्न हैं और संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था के रूप में केन्द्रीय सरकार के सभी मन्त्रालयों तथा विभागों के लिए एक व्यापक परामर्श तथा पंच निर्णय योजना लागू कर दी गई है । अब प्रतिरक्षा कर्मचारियों के दो संघ हैं, एक तो भारतीय राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ और दूसरा अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ और इनमें से पहला योजना में शामिल है । अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ को व्यवस्था में शामिल होने के लिए मनाने की

चेष्टा की जा रही है। इसके अन्तिम निर्णय के मई 1967 के पहले सप्ताह में दिए जाने का वायदा था। अभी तक उसके प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है।

मोहित चौधरी और सुनील दास जासूसी काण्ड

161. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री एन० एस० शर्मा :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री शारदा नन्द :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री के० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जासूसों के उस मामले की जांच पूरी हो चुकी है जिसमें श्री मोहित चौधरी और श्री सुनील दास अन्तर्ग्रस्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जांच कार्य की अपनी अन्तिम स्थिति चल रही है।

(ख) और (ग) : अभी तक जांच जारी है इसके पूरा होने के बाद अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों तथा अधिकारियों के टेलीफोन बिलों की बकाया राशि

162. श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फर्नेन्डीज :

क्या संचार मंत्री 30 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 587 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 नवम्बर, 1965 तक केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों तथा अधिकारियों की ओर 2 करोड़ 30 लाख रुपये की कुल बकाया राशि में से अब तक कितनी राशि वसूल की जा चुकी है;

(ख) उस तारीख से अब तक और कितनी बकाया राशि जमा हो चुकी है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्री तथा सचिव स्तर के अधिकारियों की ओर बकाया राशि का ब्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ. कु. गुजराल) : (क) से (ग) : 30-11-65 के समय तक जारी किये गये बिलों के अनुसार 2.30 करोड़ रुपये की जो

राशि 1-6-66 को बकाया थी वह न केवल केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों तथा अधिकारियों की ओर बकाया थी बल्कि सभी सरकारी ग्राहकों की ओर बकाया थी, जिसमें राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार प्रतिरक्षा के कर्मचारी भी शामिल हैं। केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों तथा अधिकारियों की ओर कितनी बकाया राशि है, इसकी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। आँकड़ों को एकत्र किया जा रहा है और उपयुक्त समय के बाद सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।

पुंछ जिले के परिवारों को सहायता

163. श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुंछ जिले (जम्मू तथा काश्मीर) के उन परिवारों को, जो कि वर्ष 1965 में पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान बेघरबार हो गये थे, फिर से बसने के लिये कोई वित्तीय अथवा अन्य सहायता दी है।

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने परिवारों को सहायता दी गई है;

(ग) मुख्यत: किस प्रकार की सहायता दी गयी है; और

(घ) उक्त सहायता कार्यों पर कुल कितना व्यय किया गया ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : राजौरी, पूंछ तथा रीआसी क्षेत्रों से लगभग 40,000 परिवार अस्थायी रूप से विस्थापित हुये थे। युद्ध विराम के बाद इनमें से अधिकांश परिवार दिसम्बर, 1965 तक और शेष मार्च, 1966 तक अपने मूल रिहायशी स्थानों को वापिस चले गये थे। प्रारंभिक अवस्था में, त्वरित सहायता के लिये, इन परिवारों को, मुफ्त राशन, 20 रु० से 30 रु० के बीच में प्रत्येक परिवार को तदर्थ नकद अनुदान, कम्बल, बरतन और सुपात्र परिवारों को कुछ अन्य आवश्यक वस्तुएं दी गई थीं। उनके पुनर्व्यवस्थापन के लिये निम्नलिखित सहायता मंजूर की गई :—

(1) परिवार के आकार के आधार पर प्रत्येक परिवार 100 रु० से 300 रु० तक भरण-पोषण अनुदान।

(2) मकान मरम्मत के लिये अनुदान--

(i) पूर्ण रूप से विनाश हुये मकानों के पुनर्निर्माण के लिए 500 रु० तक।

(ii) बरबाद हुये मकानों की मरम्मत के लिये 300 रु० तक।

इसके अतिरिक्त एक वृक्ष तथा दो बल्लियां या दो वृक्ष राज्य सरकार द्वारा अपने जंगलों में से दिये जाते हैं।

(3) विनाश-बरबाद हुई दुकानों के पुनर्निर्माण के लिये अनुदान—500 रु०

(4) छोटे कार्य : व्यापार के लिये ऋण
ग्रामीण क्षेत्र में 2,000 रु० तक।
शहरी क्षेत्र में 5,000 रु० तक।

भरण-पोषण अनुदान 38.70 परिवारों को दिया गया है, किन्तु आवास सहायता केवल 3239 परिवारों को ही दी जा सकी है।

(घ) 127.89 लाख रु०

अखिल भारतीय सेवाओं में जम्मू तथा काश्मीर के अधिकारी

164. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर के सभी कर्मचारी भी अखिल भारतीय सेवा संवर्ग में लिये गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो कितने; और

(ग) इस समय जम्मू तथा काश्मीर राज्य में अन्य राज्यों के कितने अधिकारी कार्य करते हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) जम्मू व काश्मीर राज्य सेवा के 16 अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा के जम्मू व काश्मीर संवर्ग की प्रारम्भिक संरचना के समय उसमें नियुक्त किये गए थे।

(ग) भारतीय सिविल सेवा, भारतीय प्रशासन सेवा के अन्य राज्य संवर्गों के 7 अधिकारी जम्मू व काश्मीर में प्रतिनियुक्त हैं।

छम्ब-जौरियां क्षेत्र में पुनर्वास कार्य

165. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्रा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा काश्मीर के छम्ब-जौरियां क्षेत्र में पुनर्वास-कार्य की स्थिति क्या है ;

(ख) अब तक वहां पर कुल कितने परिवारों को बसाया जा चुका है ;

(ग) कुल कितने परिवार अब तक शरणार्थी शिविरों में हैं: और

(घ) क्या उनको बसाने की भी कोई योजनाएँ हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : 1965 में हुये भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान छम्ब-जौरियां क्षेत्र से लगभग 24,000 परिवार विस्थापित हुये थे। उनमें से 68 परिवारों को छोड़कर, सबको उनके मूल घरों को वापिस भेज दिया गया है या पुनर्व्यवस्थापन के लिये जो स्थान उन्हें दिये गये हैं। इनमें से लगभग 16,000 परिवारों को अखनूर जौरियां-परगोवाल क्षेत्र में पुनर्वास दिया गया है। इन परिवारों को मकान बनाने और कृषि-कार्य के लिये ऋण दिये गये हैं।

छम्ब-नियाबत क्षेत्र के लगभग 6000 परिवारों को उनकी भूमि का ट्रैक्टरों द्वारा उद्धार करने के बाद बसाया जायेगा। लगभग 2000 परिवार गैर-किसान हैं जिनको छोटे-कार्य व्यापार के लिये ऋण देकर पुनर्व्यवस्थापन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) : लगभग 68 परिवार (207 व्यक्ति) अभी शिविरों में हैं। इन व्यक्तियों ने अपने घरों के अतिरिक्त अन्य स्थानों में बसने की इच्छा प्रकट की है। मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

कोचीन गोदी मजदूर बोर्ड

166. **श्री सी० जनार्दन :** **श्री पी० सी० अदिचन :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन गोदी में जो कि कोचीन गोदी मजूरी बोर्ड के नियंत्रण में है, अधिकारियों द्वारा 41 गोदी कर्मचारियों को सामान्य बुकिंग के काम पर लगाने से इन्कार कर देने के कारण औद्योगिक विवाद चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें किसी हड़ताल में भाग लेने के कारण काम नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन रजिस्टर्ड गोदी कर्मचारियों को काम पर न रखने के क्या कारण हैं और उन्हें फिर से काम पर लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : स्थिति यह है कि लगभग 368 गोदी कामगारों ने एक हड़ताल में 1 से 8 दिसम्बर, 1966 तक भाग लिया था। कोचीन बोर्ड ने 28 मार्च, 1967 की दूसरी पारी के 41 कामगारों को छोड़कर बाकी सभी कामगारों को उनके जवाबों पर विचार करने के बाद काम कर वापिस ले लिया। शेष 41 कामगारों में से 35 कामगारों को 21 अप्रैल, 1967 के बाद नौकरी पर वापिस ले लिया गया। केवल 6 कामगारों के मामले विचाराधीन हैं।

167 **अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय परिषद्**

17. **श्री प्र० के० देव :** **श्री पी० पी० एस्थोसे :**
श्री के० पी० सिंह देव : **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री डी० एन० देव : **श्री के० एम० अब्राहम**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : **श्री उमानाथ :**
श्री सेझियान : **श्री पी० गोपालन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1967 में दिल्ली में केन्द्र राज्य सम्बन्धों के बारे में हुई विचार गोष्ठी ने संविधान के अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत परिकल्पित एक अन्तर्राज्यीय परिषद् बनाने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह–कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर भारतीय वैधिक मंडल द्वारा अप्रैल, 1967 के मध्य में आयोजित की गई गोष्ठी के बारे में समाचार-पत्रों में छपी सूचनाओं के अनुसार यह विचार व्यक्त किया गया था कि इस बात पर विचार करने के लिए, कि क्या विद्यार्थी सम्बन्धों के बारे में कोई संवैधानिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। संविधान के अनुच्छेद 263 के अधीन अन्तर्राज्यीय परिषद् की प्रकृति के एक आयोग की नियुक्ति करना आवश्यक होगा। सरकार को इस गोष्ठी का आयोजन करने वाले अधिकारियों से इस बारे में कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मद्रास राज्य के नाम में परिवर्तन

168. श्री प्र० के० देव :
श्री डी० एन० देव :
श्री के० पी० सिंह देव :

क्या **गृह–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के मुख्य मंत्री ने मद्रास राज्य का नाम बदल दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार के पत्र व्यवहार में भी इस प्रकार का परिवर्तन किया गया है; और

(ग) क्या भारत के संविधान में दिये इस नाम के परिवर्तन को कानूनी रूप देने के लिये संविधान संशोधन विधेयक पुनः स्थापित किया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) अभी कुछ दिन हुए समाचार पत्रों में इस आशय की सूचना प्रकाशित हुई कि मद्रास सरकार ने उस राज्य का नाम बदलने क निश्चय किया था किन्तु भारत सरकार को इस बारे में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) संविधान के अन्तर्गत राज्य का नाम मद्रास है और केन्द्रीय सरकार द्वारा पत्र व्यवहार में इसी नाम का प्रयोग किया जाता है।

(ग) फिलहाल सरकार का ऐसा कोई विधेयक पुनः स्थापित करने का विचार नहीं है।

हिन्दी में पत्र-व्यवहार

169. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री शारदा नन्द :
श्री रणजीत सिंह :
श्री भारत सिंह :
श्री जे० बी० सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी भाषी राज्यों ने केन्द्रीय सरकार के साथ केवल हिन्दी में पत्र-व्यवहार करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) क्या हिन्दी भाषी राज्यों में अन्तर्राज्यीय पत्र-व्यवहार हिन्दी में होता है; और

(ग) कौन-कौन से राज्य केन्द्र के साथ अँग्रेजी में पत्र-व्यवहार करते हैं और क्या इनमें से किन्हीं राज्यों ने अपने प्रशासनिक कार्य प्रादेशिक भाषा में करना आरम्भ किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) अहिन्दी भाषी राज्य केन्द्रीय सरकार के साथ केवल अँग्रेजी में पत्र-व्यवहार करते हैं। मैसूर, केरल और नागालैंड को छोड़कर सभी राज्यों ने कुछ निश्चित राजकीय प्रशासन कार्यों के लिये क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया है।

उड़ीसा के बारे में केन्द्रीय जांच विभाग का प्रतिवेदन

170. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
डा० रानेन सेन :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्र० के० देव :
श्री के० पी० सिंह देव :
श्री डी० एन० देव :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री ओंकार सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री 5 अप्रैल, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 279 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के भूतपूर्व मंत्रियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच विभाग के प्रतिवेदन की प्रतियां राज्य सरकार को दे दी गई है; और

(ख) क्या प्रतिवेदन का सारांश, जो 3 मार्च, 1965 को तथा पूरा प्रतिवेदन जो 19 अप्रैल, 1965 को सभा पटल पर रखे गये थे, दोनों ही उड़ीसा सरकार को दे दिये गये हैं अथवा उन दोनों प्रतिवेदनों में से केवल एक प्रतिवेदन ही राज्य सरकार को दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों का वेतन

171. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रामकिशन गुप्त :

क्या शिक्षा-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को अच्छा वेतन देने के हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कोई सहायता दी गई है ताकि वे निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के बारे में संविधान के निदेशक सिद्धान्तों को क्रियान्वित कर सकें; और

(ग) क्या सरकार ने राज्यों के परामर्श से संविधान के इस उपबन्ध को क्रियान्वित करने के लिये कोई समय-बद्ध कार्यक्रम तैयार किया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 1966 के शिक्षा आयोग ने इस विषय पर कुछ सिफारिशें की हैं। इन पर विचार हो रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रत्येक राज्य को कौनसी तारीख तक संविधानी निदेश पर अमल करने में समर्थ होगा, इसका निश्चय राज्यों द्वारा अपनी शैक्षिक, वित्तीय तथा अन्य सम्बद्ध परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा। तथापि, 1966 के शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया है कि 1985-86 तक सारे देश में सात वर्ष की सर्वजनीन अनिवार्य शिक्षा देना सम्भव होना चाहिए।

सूती कपड़ा उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड

172. श्री के० रमणी : **डा० राममनोहर लोहिया :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री उमानाथ : **श्री जार्ज फर्नेन्डीज :**
श्री मधु लिमये :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूती कपड़ा उद्योग सम्बन्धी दूसरे मजूरी बोर्ड ने कितनी प्रगति की है;

(ख) इस मजूरी बोर्ड द्वारा अपनी सिफारिशों को कब तक अंतिम रूप दिये जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या मजदूरों को अन्तरिम सहायता देने के सम्बन्ध में इस मजूरी बोर्ड ने कोई सिफारिशें की हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) बोर्ड ने कुछ केन्द्रों में सम्बन्धित पक्षों की बातें सुनी हैं और शेष सुनाई शीघ्र पूरी होने की आशा है।

(ख) इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि बोर्ड अपनी अंतिम सिफारिशें कब तक प्रस्तुत करेगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) अंतरिम सहायता के बारे में बोर्ड सिफारिशें नहीं कर सका, क्योंकि इस मामले में कोई समझौता नहीं हो सका।

रसायनों और उर्वरकों के लिये मजूरी बोर्ड

173. श्री के० रमणी : श्री उमानाथ :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत रसायनों तथा उर्वरकों सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड के अन्तर्गत कुल कितने कारखाने आते हैं;

(ख) क्या सरकार ने अन्तरिम सहायता देने के बारे में मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के प्रश्न पर नियोजकों से बातचीत की है;

(ग) यदि हां, तो नियोजकों की क्या प्रतिक्रिया रही;

(घ) मजूरी बोर्ड की अन्तरिम सहायता देने की सिफारिशों को कुल कितने कारखानों ने क्रियान्वित किया है; और

(ङ) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सब प्रबन्धकों को बाध्य करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) से (ङ) : अन्तरिम सहायता के बारे में सरकार द्वारा बोर्ड की सिफारिशों की स्वीकृति की घोषणा 29 अप्रैल, 1967 को ही की गई है । सिफारिशों की क्रियान्विति राज्य सरकारों द्वारा कराई जाती हैं । उनसे आवश्यक कार्यवाई करने और क्रियान्विति के सम्बन्ध में हुई प्रगति की रिपोर्ट भेजने के लिये प्रार्थना की गई है । मजूरी बोर्ड असांविधिक निकाय हैं और उनकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये नियोजकों को सरकार द्वारा कानूनन बाध्य नहीं किया जा सकता ।

सड़क-परिवहन सम्बन्धी मजूरी बोर्ड

174. श्री के० रमणी : श्री शारदानन्द :
श्री मुहम्मद इस्माइल : श्री बृजभूषण लाल :
श्री उमानाथ : श्री मधु लिमये :
डा० रानेन सेन : डा० राम मनोहर लोहिया
श्री धीरेश्वर कालिता : श्री स० मो० बनर्जी :
श्री एन० एस० शर्मा : श्री जार्ज फर्नेन्डीज :
श्री राम सिंह आयरवाल :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़क परिवहन उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड के कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या उस मजूरी बोर्ड ने अन्तःकालीन राहत देने के बारे में कोई सिफारिश की है;

(ग) यदि नहीं, तो इन सिफारिशों की कब तक किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या मजूरी बोर्ड के कार्य को पूरा करने के लिये सरकार ने कोई समय सीमा निर्धारित की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) बोर्ड की अब तक नौ बैठकें हुई हैं ।

(ख) जी नहीं । यह मामला अभी तक विचाराधीन है ।

(ग) और (घ) : विभिन्न मजूरी बोर्डों के कार्य की समाप्ति के लिए सरकार द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जाती है ।

केन्द्र तथा राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध

175. श्री स्वैल :
श्रीमती निर्लेप कौर :
श्री ओंकारसिंह :
डा० कर्णीसिंह :
श्री बैरो :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री कोलाई बरुआ :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री रा० बरुआ :
श्री डी० एन० पटौदिया :
श्री सी० सी० देसाई :
श्री अटलबिहारी वाजपेयी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्यों में गैर-कांग्रेसी मंत्री मण्डलों के होते हुए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच अच्छे तथा स्वस्थ सम्बन्ध स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार का कोई व्यवस्था करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उसके कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी कर्मचारी–विधायक सम्बन्ध

176. डा० कर्णीसिंह :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रामकिशन गुप्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों और विधायकों के सम्बन्धों को नियमित करने के लिये किसी संहिता का प्रारूप तैयार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संहिता की मुख्य बातें क्या हैं और राज्य सरकारों की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इससे सरकारी तौर पर कब प्रकाशित तथा लागू किया जायेगा; और

(घ) सरकारी कर्मचारियों अथवा विधायकों को गलतियां करने से रोकने के लिये क्या प्रतिबन्ध लगाये गये हैं और किस प्रकार लगाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वान) : (क) से (घ) : संसद तथा राज्य विधानांगों के सदस्यों और प्रशासन के सम्बन्धों का नियमन करने के लिये एक संहिता का प्रारूप तैयार किया गया है। इस प्रारूप संहिता की एक प्रति लोक सभा के सभा–पटल पर 21 मार्च, 1967 को रखी गई थी। इस संहिता को विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और संसदीय दलों की एक बैठक में विचार विमर्श हो चुकने और राज्य सरकारों से परामर्श कर लिए जाने के बाद अन्तिम रूप देने का विचार है।

"Chinland" Movement

177 **Shri Mohan Swarup :**
Shri R. S. Vidyarthi :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Yashpal Singh :
Shri S. C. Samanta :
Shri K. P. Singh Deo :
Shri A. Sreedharan :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that "Chins" inhabitations of Manipur State have started an agitation for the formation of 'Chinland' ;

(b) whether it is also a fact that propaganda pamphlets in which a map of Chinland has also been shown are being distributed in Manipur on a large scale; and

(c) if so, the reaction of Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) & (b) : This issue was raised by certain people in 1958 when some pamphlets were also distributed. There is no such agitation.

(c) The Government altogether disagree in this regard.

Release of Political Prisoners

178. **Shri Mohan Swarup :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chief Minister of Kashmir has declared that all the political prisoners and detenues in Kashmir would be released immediately; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) : The Chief Minister of Jammu and Kashmir has stated that the intention of the State Government is not to detain any person beyond the period for which his detention is essential. Accordingly a number of detenues are being released after reviewing the position from time to time. In this the policy of the Government of India is the same as of the State Government.

कार्यालयों में स्वचालित मशीनों का प्रयोग

179. डा० रानेन सेन : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्य सरकारों ने कार्यालयों में स्वचालित मशीनों के प्रयोग पर आपत्ति उठाई है और अपनी राय से केन्द्रीय सरकार को अवगत किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां। अनेक राज्यों के श्रम मंत्रियों ने 10 मई, 1967 को स्थायी श्रम समिति की अन्तिम बैठक में ऐसा मत व्यक्त किया।

(ख) श्रम मंत्रालय के विचार जैसे कि सम्मेलन में व्यक्त किये गये, ये थे कि किसी प्रतिष्ठान में क्लर्कों के काम के लिये संगणकों के लगाने से यदि उस प्रतिष्ठान के कर्मचारियों की छंटनी होती हो या उससे बेरोजगारी फैलती हो तो ऐसे संगणक लगाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेफा (उपूसी) के बारे में प्रतिवेदन

180. डा० रानेन सेन :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री प्र० के० देव :
श्री जी० सी० नायक :
श्री के० पी० सिंह देव :
श्री ए० दीपा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री डी० एन० पटौदिया :
श्री गार्डिलिंगन गौड :
श्री मुहम्मद इमाम :
श्री एस० के० तापडिया :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री वाई० ए० प्रसाद :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस संसदीय प्रतिनिधि मण्डल ने जिसने गत वर्ष 'नेफा' का दौरा किया था सरकार को कोई प्रतिवेदन पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में मुख्य-मुख्य क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने उस प्रतिवेदन का अध्ययन कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो उन सिफारिशों पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) : संसदीय प्रतिनिधि मण्डल की मुख्य सिफारिशों और सरकार द्वारा उन पर लिये गये निर्णयों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 353/67**]

कोयला खान उद्योग संबंधी मजूरी बोर्ड

181. **श्री देवेन सेन :** **श्री शारदानंद :**
श्री जे० बी० सिंह : **श्री भारत सिंह :**
श्री रणजीत सिंह : **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों पर सरकार ने कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लेने का है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस मामले में विचार विमर्श करने के लिए नियोजकों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है;

(घ) यदि हां, तो किन विवादों पर ऐसा परामर्श करना जरूरी समझा गया है; और

(ङ) क्या सरकार अपने निर्णय को 1 जनवरी, 1967 से लागू करेगी जैसी कोयला मजूरी बोर्ड ने सिफारिश की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : मजूरी बोर्ड की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है और उन पर सरकारी निर्णयों की घोषणा यथाशीघ्र की जायेगी ।

(घ) और (ङ) : जी नहीं । बोर्ड की सिफारिशों पर की जाने वाली कार्यवाई के बारे में विचार-विमर्श करने के लिये नियोजकों व कामगारों के प्रतिनिधियों की एक बैठक 12 मई 1967 को बुलाये जाने का विचार किया गया था । लेकिन यह बैठक मंसूख कर दी गई और कोई नई बैठक निश्चित नहीं की गई है ।

उद्योगों के लिए प्रोत्साहन योजना

182. **श्री काशीनाथ पाण्डे :**
श्री न० प्र० यादव :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्रकार के उद्योगों में आदर्श के रूप में एक प्रोत्साहन योजना लागू करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों का भाग लेना

183. श्री काशीनाथ पाण्डेय :
श्री न० प्र० यादव :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्योगों के प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लेने सम्बन्धी योजना लागू करके प्रयोग किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कैसी चल रही है और इससे प्रबन्धकों तथा श्रमिकों को कितना लाभ पहुंचा है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) रिपोर्ट मिली है कि सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में यह योजना अच्छी तरह चल रही है और सम्बन्धित पक्षों की एक साथ बैठने और मामलों पर विचार विमर्श करने में सहायता करने के लिए, जो कि इस योजना का लक्ष्य है, लाभदायक रही है ।

शिक्षा को समवर्ती विषय बनाना

184. श्री दी० चं० शर्मा : **श्री विभूति मिश्र :**
श्री काशीनाथ पाण्डे : **श्री क० ना० तिवारी :**
श्री न० प्र० यादव : **श्री श्रीचंद गोयल :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा को समवर्ती विषय बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इससे क्या लाभ होंगे ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुणसेन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भाषा सम्बन्धी सूत्र

185. श्री रामस्वरूप विद्यार्थी : **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री काशीनाथ पाण्डे : **डा० रानेन सेन :**
श्री कँवरलाल गुप्ता : **श्री हेमराज :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री हलदर :**
श्री ए० क० किसकू : **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री एस० एन० मैती : **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री त्रिदिबकुमार चौधरी : **श्री डी० एन० देव :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री सन्तोषम :**
श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा सम्बन्धी संसदीय समिति ने एक द्वीय-भाषीय सूत्र की सिफारिश की है जिसमें तीसरी भाषा सीखने के लिये सुविधायें प्रदान की जायें;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है तथा क्या हाल में हुए राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में इस बारे में विचार विमर्श किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय किये गये तथा उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये कितना समय लगने की सम्भावना है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) स्कूल तथा कालेज स्तर पर भाषाएँ पढ़ाने सम्बन्धी शिक्षा आयोग की सिफारिशें अभी तक संसद सदस्यों की शिक्षा सम्बन्धी समिति के विचाराधीन हैं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्कल विश्वविद्यालय को अनुदान

186. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्कल विश्वविद्यालय को वर्ष 1960-61 से लेकर 1967-68 तक, वर्षवार, कितनी राशि के अनुदान दिये गये ;

(ख) क्या ये अनुदान पूरी तरह से उपयोग में लाये गये ;

(ग) क्या इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास अनुदानों के लिये कोई प्रार्थना पत्र अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा में कागजात का पकड़ा जाना

187. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री जार्ज फरनेंडीज :
श्री जे० एच० पाटिल :
श्री मधु लिमये :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सचिवालय के राजनैतिक सेवा विभाग के कुछ कागजात केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा अप्रैल, 1967 में उड़ीसा में पकड़े गये हैं ;

(ख) क्या ये कागजात उड़ीसा के बालासोर जिले में एक केन्द्रीय संस्थान के एक उच्चा अधिकारी के विरुद्ध लगाये गये कुछ आरोपों के बारे में पकड़े गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो वे आरोप क्या हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हान) : (क) से (ग) : उड़ीसा सरकार से एक केन्द्रीय संस्थान के बालासोर स्थित एक अधिकारी के विरुद्ध जांच से सम्बन्धित कुछ रिकार्ड केन्द्रीय जांच

विभाग द्वारा मार्च/अप्रैल, 1967 में प्राप्त किए गए। इस अधिकारी के विरुद्ध पद के दुरुपयोग तथा आपराधिक दुराचरण सम्बन्धी आरोप थे।

उड़ीसा के डाक तथा तार विभाग के लिए पत्र पुनः प्रेषण डाकघर

188. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि डाक तथा तार विभाग के अन्तर्गत उड़ीसा में कोई पृथक् पत्र पुनः प्रेषण डाक घर (आर० एल० ओ०) नहीं है;

(ख) उड़ीसा में इस प्रकार का एक पथक् केन्द्र स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या उड़ीसा सर्किल में इस प्रकार का केन्द्र स्थापित करने के लिये प्राथमिक कार्यवाही के रूप में अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा केन्द्र स्थापित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हाँ।

(ख) कटक में 1 जुलाई 1967 तक एक पत्र पुनः प्रेषण डाकघर खोलने के लिये 16 मई 1967 को आदेश जारी कर दिये गये हैं।

(ग) जी, हाँ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

हरियाणा में गांधी विद्यामंदिर को अनुदान

189. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चरखी दादरी (हरियाणा) में गांधी मंदिर जी० आर० हरिवारिया कॉलिज के प्रोफेसरों के लिये क्वार्टर बचाने के लिये अनुदान दिये जाने के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) सरकार को कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। कॉलेज ने स्टाफ के क्वार्टरों और प्रिंसिपल के निवास स्थान के निर्माण के हेतु एक अनुदान के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आवेदन भेजा था।

(ख) आयोग ने केवल प्रिंसिपल के निवास स्थान के निर्माण को सिद्धान्त रूप में अनुमोदित किया है और संशोधित नक्शों तथा प्राक्कलनों समेत ब्यौरों की मांग की है।

पूर्वी पाकिस्तान से पहले आये हुये लोगों का पुनर्वास

190. श्री राम कृष्ण गुप्त : **श्री राम सिंह आयरवाल :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व पाकिस्तान से आये हुये पुराने प्रवासियों के पुनर्वास सम्बन्धी कार्य के बारे में पुनर्वास पुनर्विलोकन समिति की प्रगति रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है;

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला है; और

(ग) उनको शीघ्र ही फिर से बसाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) : पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य की समीक्षा समिति ने हाल ही में अपना कार्य प्रारंभ किया है और इसे अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने में कुछ समय लगेगा।

समिति ने सरकार को कोई प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करना है।

बेगम अब्दुल्ला पर लगे प्रतिबन्ध

191. श्री एन० एस० शर्मा :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री शारदा नन्द :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री पी० पार्थसारथी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेगम अब्दुल्ला के स्वतन्त्र रूप से आने जाने पर लगे प्रतिबन्ध में हाल ही में ढील कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बेगम अब्दुल्ला की अवांछनीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले सभी परिणामों पर विचार किया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हान) : (क) से (ख) : बेगम अब्दुल्लापर लगाया गया यह प्रतिबन्ध 14 अप्रैल, 1967 से उठा लिया गया है कि वह जम्मू व कश्मीर के किसी स्थान पर नहीं जाएंगी। सरकार ने उक्त निर्णय लेने से पूर्व मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया था।

कॉलटैक्स आयल कम्पनी, कलकत्ता

192. श्री बी० के० मोदक :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री उमानाथ :
श्री भगवान दास :
श्री गणेश घोष :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री पी० राममूर्ति :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिमी बंगाल के श्रम मंत्री के समाचार पत्रों में प्रकाशित उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने बताया था कि केन्द्रीय श्रम मंत्री उनके इस

प्रस्ताव पर सहमत हो गये थे कि कॉलटैक्स प्रबन्धकों को कम्पनी कार्यालय से हटाई गई फाइलों को वापिस लाना चाहिए और बातचीत के लिये उचित वातावरण तैयार करना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या वह समाचार सही है; और

(ग) इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : पश्चिमी बंगाल के श्रम मंत्री के इस सुझाव को कि कॉलटैक्स के प्रबंधकों को फाइलें कलकत्ता लानी चाहिए जिससे बातचीत के लिए उचित वातावरण तैयार हो, केन्द्रीय श्रम मंत्री ने नियोजक तथा कामगारों के प्रतिनिधियों से हुई अपनी 28 अप्रैल, 1967 की बैठक में नियोजक के सामने रखा। नियोजक ने इस सुझाव को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की।

Foreign Scholarships

193. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of students given foreign scholarships and sent abroad during the years 1965-66 and 1966-67 ;

(b) the number of applications received therefor ;

(c) whether Government have received complaints in connection with the procedure for selection of the students: and

(d) if so, the nature of the complaints and the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) :

(a) 1965-66........ 372.

1966-67.........396.

(b) 1965-66.........10,381.

1966-67......... 9,448.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Department of Youth Services

194. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 556 on the 5th April, 1967 and state.

(a) the outlines of the Division of Youth Services created in his Ministry; and

(b) the annual expenses likely to be incurred thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) :

(a) The Youth Services Division broadly covers at present the following ;—

(i) Physical Education including the implementation of the National Fitness Corps Programme. Lakshmibai College of Physical Education, Gwalior and strengthening of Physical Education Training Institutions in the Country, National Physical Efficiency Drive and promotion of research in special branches of Physical Education including Yoga;

(ii) Games and Sports including development of the National Institute of Sports, Patiala, grants to National Sports Federation and State Sport Councils, sending teams abroad, inviting foreign teams to India, organisation of coaching camps, purchase of Sports Equipment, establishment of Rural Sport Centres and award of scholarships under the Sport-talent Scholarship scheme etc.

(iii) Construction of Utility Stadia, establishment of National Sports Centre and development of the National Stadium at Delhi, Mountaineering Institutes and grant in aid to the Indian Mountaineering Foundation for expeditions.

(iv) Scouting and Guiding and Youth Welfare activities for students and non-students community including grant-in-aid to Universities for establishment of Boards and Committees, Labour & Social Service Camps and Campus Work Projects Scheme, Inter-University Youth Festival and Inter-Collegiate Youth Festivals.

(a) 1967-68

Plan	—	Rs	71.44 Lakhs
Non-Plan	—	Rs	204.395 Lakhs
Total	—	Rs	275.835 Lakhs

राजधानी में आत्म-हत्याएं तथा हत्याएं

195. श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक वर्ष में राजधानी में आत्म-हत्याओं और हत्याओं की घटनाएँ बहुत बढ़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इनके कारणों का पता लगाने के लिये कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) : जी नहीं। सभा के पटल पर एक विवरण रखा गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 354/67**]

पिछले वर्ष के इन आंकड़ों के साथ तुलना करने पर पता चलता है कि चालू वर्ष में इन दोनों प्रकार के अपराधों का घटनाओं में कुल मिला कर कमी हुई है।

(ग) इस प्रकार के अपराध अधिकतर अत्यन्त भावुक विक्षिप्त मनः स्थिति में बिना सोचे समझे किये जाते हैं; और अकसर इन्हें रोकने के लिए कोई कार्यवाही करने का मौका ही नहीं दिया जाता।

एक विदेशी व्यक्ति द्वारा एक बस ड्राइवर की मार-पीट

196. श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेंडीज :
श्री राम सिंह आयरवाल :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उस घटना की जानकारी है जिसमें 12 अप्रैल, 1967 को एक

सी० डी० कार चलाते हुए एक विदेशी व्यक्ति तथा एक बस ड्राइवर अन्तग्रस्त है;

(ख) क्या उस विदेशी व्यक्ति ने बस ड्राइवर के साथ अभद्र व्यवहार किया और उसकी मारपीट की; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि उसके द्वारा हस्तक्षेप किए जाने योग्य कोई अपराध नहीं लगाया गया था ।

विदेशी दूतावासों में सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्धी

197. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अब भी अपने कर्मचारियों से भारत स्थित विदेशी दूतावासों में काम करने वाले उनके निकट सम्बन्धियों (पति/पत्नी/भाई/बहिन/पुत्र/पुत्री) के बारे में विवरण मांगती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अगर सचिव से ऊंचे स्तर के उन अधिकारियों की एक सूची सभा पटल पर रखेगी जिनके निकट सम्बन्धी इस समय विदेशी दूतावासों में कार्य करते हैं।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) इस बारे में 1955 में जारी की गई हिदायतें अभी तक लागू हैं । इन हिदायतों के अनुसार ऐसे सरकारी कर्मचारी को, जिसकी पत्नी अथवा कोई आश्रित व्यक्ति भारत में स्थित किसी विदेशी दूतावास की सेवा में नियुक्ति पाना चाहता हो, इस तथ्य की सूचना सरकार को देनी चाहिए। यदि सरकार आवश्यक समझे तो वह इस प्रकार की नियुक्ति को रोकने के लिए स्वतन्त्र हैं ।

(ख) अधिकारियों द्वारा दी गई सूचना केवल सरकारी उपयोग के लिए है और इसलिए उसे जाहिर नहीं किया जा सकता ।

Emotional Integration Through Inter-Caste Marriages

198. **Shri O. P. Tyagi.** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that through inter-caste and inter-state marriages, the evils of communalism, provincialism and untouchability can be combated and greater emotional integration achieved; and

(b) if so, whether Government have any proposal under consideration in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) Inter-caste and inter-State marriages do certainly help in this direction.

(b) No, Sir. This is a field in which the voluntary organisations have to play a key role.

Governors and Lt. Governors

199. Shri Ram Charan : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of Governors and Lt. Governors in India; and

(b) whether the party affiliation gets precedence over capability in the appointnents to these offices ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs. (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) Governors -- 15

Lt. Governors — 4

(b) No, Sir.

स्तरकाष्ठ (प्लाइबुड) उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड

200. श्री के० एम० अब्राहम : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्तरकाष्ठ (प्लाइबुड) उद्योग सम्बन्धी एक मजूरी बोर्ड स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसे कब स्थापित किया जायेगा ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में नये विश्वविद्यालय

201. श्री पी० पी० एस्थार्स : **श्री के० एम० अब्राहम :**
श्री वासुदेवन नायर : श्री सी० जनार्दनन् :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में दो विश्वविद्यालय स्थापित करने के संबंध में केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;,

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इन विश्वविद्यालयों को कहां खोलने का विचार है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नागालैंड और मिजोलैंड में स्थिति

202. श्री स्वैल : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड और मिजो पहाड़ियों की स्थिति के बारे में विचार-विमर्श करने के लिये अप्रैल, 1967 में वह मन्त्रि-मंडल सचिवालय के सचिव तथा प्रतिरक्षा मंत्री शिलांग गये थे;

(ख) क्या उन्होंने अपने विचार-विमर्श के परिणामों के सम्बन्ध में सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया है; और

(ग) क्या इस प्रतिवेदन में कोई खास सिफारिशें की गई हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

नये विश्वविद्यालय

203. श्री स्वैल : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यह आग्रह करता है कि उसकी सहमति के बिना देश में कोई नया विश्वविद्यालय न खोला जाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का यह विचार है कि कोई नया विश्वविद्यालय खोलने से पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पूर्व-परामर्श करना चाहिए तथा उसकी सहमति प्राप्त करनी चाहिए।

(ख) भारत सरकार भी आम तौर पर इस विचार से सहमत है।

डाक विभाग की लेखन-सामग्री (पोस्टल स्टेशनरी)

204. श्री हेमराज : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के गांवों तथा कस्बों में डाकखानों में डाक विभाग की लेखन-सामग्री (पोस्टल स्टेशनरी) उपलब्ध नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि डाक सामग्री के मुद्रण का कार्य नासिक प्रिंटिंग प्रेस में होता है और इसका वितरण जिले में राजकोषों द्वारा तथा सब-डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में उप-राजकोषों द्वारा किया जाता है ;

(घ) क्या डाक व तार बोर्ड का विचार यह कार्य डाक तथा तार विभाग को सौंपने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) अन्तर्देशीय यंत्र के कार्डों के यदा-कदा अभाव के अतिरिक्त डाकघरों में कहीं भी डाक सम्बन्धी लेखन-सामग्री (पोस्टल स्टेशनरी) के अभाव की शिकायत नहीं की गई ।

(ख) ऐसे पत्र-कार्डों के अभाव का मुख्य कारण नासिक स्थित सुरक्षा मुद्रणशाला (प्रेस) में अपर्याप्त मुद्रण क्षमता है । अपेक्षित मुद्रण—उपकरणों को आयात करने के लिये कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है और आशा की जाती है कि वे शीघ्र ही यहाँ पहुँच जायेंगे । छपाई के लिये अतिरिक्त उपकरण लग जाने के बाद अन्तर्देशीय पत्रों के कार्डों के अभाव सम्बन्धी शिकायतें भी दूर हो जायेंगी ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) वर्तमान कार्य-प्रणाली ठीक प्रकार से चल रही है ।

प्रादेशिक इंजीनियरिंग कॉलेज, सिल्वर

205. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निकट भविष्य में सिल्वर में प्रादेशिक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के संबंध में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस काम के लिये भूमि अर्जित कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो निर्माण-कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) कॉलेज को एक सोसायटी के रूप में रजिस्टर कराया गया है । पहले प्रिंसिपल की नियुक्ति हो गई है । गवर्नर्स बोर्ड का गठन हो गया है । बोर्ड की पहली बैठक फरवरी 1967 में हुई थी । जुलाई 1968 में विद्यार्थियों के पहले दल को दाखिल करने के उद्देश्य से बोर्ड ने आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ कर दी है ।

(ख) जी हां ।

(ग) नक्शे तथा प्राक्कलन जैसे ही तैयार हो जाएँगे और कॉलेज के गवर्नर्स बोर्ड तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया जाएगा, विभिन्न इमारतों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा ।

कचार शिविरों में प्रव्रजक

206. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि वर्ष 1964 के नये प्रव्रजकों में से कुछ हजार लोग गत-वर्षों से कचार जिले के शिविरों में रह रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार खेती करने वाले लोगों को भूमि देने के लिये कचार जिले में भूमि को कृषि योग्य बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) नये प्रवजकों के प्रत्येक परिवार को, जो अब भी शिविरों में रहे हैं, कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां, कचार जिले के शिविरों में 12,000 व्यक्तियों के 3,000 नये प्रवजक परिवार रह रहे हैं।

(ख) 2,000 नये प्रवजक कृषि परिवारों के पुनर्व्यवस्थापन के लिये निम्नलिखित दो योजनायें मंजूर कर दी गई है :—

(ग) कचार जिले के गुमरा क्षेत्र में कृषि योग्य बनायी गई 3,000 बीघा भूमि पर 500 नये कृषि परिवारों को बसाने के लिये, 15.75 लाख रुपये की अनुमानित लागत की एक योजना भारत सरकार द्वारा जनवरी, 1967 में मंजूर की गई है।

स्थान का नाम	क्षेत्र जिसका उद्धार करना है (उन एकड़ों में)	परिवारों की संख्या जिन्हें पुनर्व्यवस्थापन दिया जायेगा
जिला गारो पहाड़ी	9,000	3,000
जिला नोगोनूग	3,500	1,200
गोआलपारा जिले में धामर रिजर्व	1,420	500
कचार जिले में गुमरा	1,000	500
जोड़	14,920	5,200
या	15,000	

अब तक जितने एकड़ भूमि का उद्धार किया जा चुका है उसके बारे में जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आसाम में पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों का पुनर्वास

207. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों को बसाने के हेतु आसाम में भूमि को कृषि योग्य बनाने का कोई प्रयास किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कहां तथा कितनी भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है ;

(ग) वहां पर कितने व्यक्तियों को बसाया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) पूर्वी पाकिस्तान से आये 5,200 नये विस्थापित कृषक परिवारों को असम के विभिन्न क्षेत्रों में पुनर्व्यवसथापन के लिये लगभग 15,000 एकड़ भूमि के उद्धार के लिये अब तक निम्नलिखित योजनायें मंजूर की गई हैं :

(ख) 1,500 नये प्रवजकों के कृषि परिवारों को टीला भूमि पर बसाने के लिये 24.67 लाख रुपये की अनुमादित लागत की एक योजना असम सरकार द्वारा सितम्बर, 1966 में मंजूर की गई है।

(ग) वे परिवार जिन्हें नकद सहायता स्वीकार्य है, परिवार के आकार के आधार पर इन परिवारों को 30 रुपये से 75 रुपये तक प्रति मास की दर से प्रत्येक परिवार को दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, उनको वस्त्र, विवाह तथा अन्तेष्टि अनुदान और चिकित्सा, इनके बच्चों को शिक्षा, सांस्कृतिक और मनोरंजन के क्रियाकलापों की सुविधायें भी दी जाती हैं।

औद्योगिक प्रतिभूतियों में भविष्य निधि का विनियोजन

208. श्री सुदर्शनम : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासधारियों ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि वह भविष्य निधि का अधिक लाभ देने वाली औद्योगिक प्रतिभूतियों में विनियोजन करें; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि में जमा धनराशि को अब तक केवल केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में लगाया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासधारी बोर्ड ने सिफारिश की है कि उसे भविष्य निधि की रकम को अन्य प्रकार की निधियों, प्रतिभूतियों आदि में लगाने की इजाजत दी जाए, ताकि यह अधिक आय प्राप्त कर सके और निधि के धन को सुरक्षित रखकर सदस्यों को ब्याज की पहले से ऊंची दर देने में समर्थ हो सके।

(ख) बोर्ड की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

विशाखापत्तनम् में चुनाव के दिन छुट्टी

209. श्री तेन्नेटी विश्वनाथम् : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 27 अप्रैल, 1967 को विशाखापत्तनम् (एक) निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव के दिन केन्द्रीय सरकार के संस्थानों तथा कार्यालयों में छुट्टी क्यों घोषित नहीं की गई थी ;

(ख) क्या विशाखापत्तनम् के कलेक्टर ने उस दिन स्थानीय छुट्टी घोषित की थी और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों ने इस मामले में कलेक्टर के निर्देशों की अवहेलना क्यों की थी ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि उस निर्वाचन क्षेत्र के 86 हजार मतदाताओं में से दस प्रतिशत से अधिक मतदाता केन्द्रीय संस्थाओं तथा कार्यालयों के कर्मचारी हैं; और

(घ) क्या कई कार्यालयों में काम करने वाले मतदाताओं को तीन बजे तक कार्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई थी जिसके परिणाम स्वरूप अधिकांश मतदाताओं के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करना असम्भव हो गया था ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) इस बारे में यह प्रथा है कि यदि किसी क्षेत्र में राज्य विधान सभा का उपचुनाव होता है तो उस क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय चुनाव के दिन बन्द नहीं किये जाते। किन्तु केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मतदान की पूरी सुविधाएं दी जाती हैं। विशाखापत्तनम् में चुनाव के दिन भी इसी प्रथा के अनुसार कार्य किया गया।

(ख) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों का नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के आदेशों द्वारा होता है न कि राज्य सरकार अथवा स्थानीय कलक्टर के।

(ग) सरकार के पास इस बारे में कोई निश्चित सूचना नहीं है कि विशाखापत्तनम् निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का अनुपात क्या है।

(घ) सरकार के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि उपरोक्त भाग 'क' में दी गई हिदायतों का पालन नहीं किया गया।

शिक्षा सम्बन्धी सुधारों के लिये धन का नियतन

210. श्री दी० चं० शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक संघ ने उन्हें 1 मई, 1967 को प्रस्तुत किये गये अपने एक ज्ञापन-पत्र में यह मांग की है कि केन्द्रीय योजना के कुल परिव्यय की कम से कम 10 प्रतिशत राशि तथा बजट में निश्चित किये गये व्यय की 10 प्रतिशत राशि का नियतन शिक्षा संबंधी सुधार के लिये किया जाय तथा देश भर में अध्यापकों के लिये सेवा की एक जैसी शर्तें निश्चित की जायें ;

(ख) क्या उनकी मांगों पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है।

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) मांग से सहमत होना संभव नहीं हो सका है।

कैरों हत्या कांड

211. श्री दी० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैरों हत्या काण्ड का कोई निर्णय हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण है; और

(ग) इस मामले में शीघ्र निर्णय करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) : यह मामला रोहतक के विशेष सब न्यायालय में विचाराधीन बाकी है।

Translation Work in Ministries

212. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the nomenclature, pay-scale, class and number of posts connected with the translation work from Hindi into English and vice versa in various Ministries and attached offices of the Central Government ;

(b) the specific duties and responsibilities attached to each post and the daily quota of work in each case ;

(c) whether the pay-scale, class and actual quantum of work on each of the posts of similar nature is the same in all the Ministries ;

(d) if not, the reasons for the disparity ;

(e) the action proposed to be taken to remove this disparty ; and

(f) whether some advance increments are proposed to be granted if there is heavy quantum of work and a lower pay scale and if so, the number thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (f) : The imformation is being collected and will be laid on the Table of the House.

अजन्ता भित्ति चित्र को क्षति

213. श्री अगड़ी :

श्री सेझियान :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में गुफा संख्या 1 में विश्वविख्यात अजन्ता भित्ति चित्रों से एक चित्र गहरी खरोंच के कारण विकृत तथा खराब हो गया था और यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (शेर सिंह) : (क) जी हां। मामले की जांच की जा रही है।

(ख) सर्किल अधिकारियों द्वारा प्रारम्भिक जांच की गई है। जिम्मेदारी निश्चित करने और कसूरवार पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही का निर्णय करने के लिए व्यापक जांच चल रही है।

सरकारी दफ्तरों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

214. श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल, 1967 तक भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा सम्बन्ध कार्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिए अरक्षित स्थानों को भरा जा चुका है; और

(ख) यदि नहीं, तो कितनी कमी की पूर्ति होनी बाकी है और उसे पूरा न किये जाने के क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में (उप-मंत्री) (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) : भारत सरकार के अधीन सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले सभी पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए संरक्षण किया जाता है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए पदोन्नति द्वारा, चयन द्वारा अथवा विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जाने वाली उन वर्गों की श्रेणी III तथा IV की नियुक्तियों में भी आरक्षण किया जाता है जिनके लिए किसी भी प्रकार का सीधी भरती नहीं की जाती। यह आरक्षण केवल नई नियुक्तियों के लिए ही लागू होते हैं। यह बताने वाले आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि 1 अप्रैल, 1967 को भारत सरकार के मंत्रालयों तथा संलग्न कार्यालयों के कुल कर्मचारियों में से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति कर्मचारियों का क्या अनुपात था। किंतु भारत सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के 1959 से 1966 तक के वर्षों में उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रतिनिधित्व को बताने वाला एक विवरण संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 355/67**]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधित्व में कमी का मुख्य कारण यह है कि उनके लिए आरक्षित पदों की भरती के लिए इन जातियों से सम्बन्ध रखने वाले उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते। यह बात विशेष रूप से उन पदों के बारे में लागू होती है जिनके लिए तकनीकी अथवा विशेष योग्यतायें की जरूरत होता है।

प्राथमिक पाठशालाओं के बच्चों को मध्यह्न भोजन

215. श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिक पाठशालाओं के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करने की योजना, जिसका सूत्रपात 1962-63 में किया गया था, सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई है;

(ख) इस योजना में होने वाले खर्च में केन्द्रीय सरकार का कितना अंश है तथा केन्द्रीय सरकार ने इस दिशा में 1962-63 से वर्षवार कितनी राशि खर्च की है;

(ग) इस समय कुल कितने बच्चे यह लाभ उठा रहे ; और

(घ) इस योजना को प्राथमिक एवं माध्यमिक पाठशालाओं के विद्यार्थियों के लिए कब तक देश भर में लागू किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं । फिलहाल यह योजना 13 राज्यों और 5 संघीय क्षेत्रों में चल रही है ।

(ख) तीसरी आयोजना के दौरान यह योजना केन्द्र प्रायोजित क्षेत्र में थी और केन्द्र का हिस्सा कुल व्यय का एक-तिहाई था । केन्द्रीय अनुदान के वर्ष—वार आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	केन्द्र द्वारा दिया गया अनुदान
	रुपये
1962–63	39,02,470
1963–64	65,40,484
1964–65	70,00,000
1965–66	1,78,00,000
	3,52,42,954

चौथी आयोजना में यह योजना राज्य क्षेत्र में स्थान्तरित कर दी गई है ।

(ग) लगभग 90 लाख प्राथमिक स्कूलों के बच्चे ।

(घ) फिलहाल योजना को माध्यमिक स्कूलों में लागू करने की कोई योजना नहीं है क्यों कि अभी तो प्राथमिक स्कूलों के समस्त बच्चे भी इसके अन्तर्गत नहीं आ पाये हैं । मंत्रालय में राज्यों को सुझाव दिया है कि चौथी आयोजना के अन्त तक वे प्राथमिक स्कूलों के कम से कम 40 प्रतिशत न्यूनतम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करें ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवा–निवृति की आयु

216. श्री ओंकार लाल बेरवा : श्री मीठा लाल :
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या गृह–कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृति की आयु को 58 वर्ष से घटा कर 55 वर्ष करने के बारे में सर्वोच्च स्तर पर निर्णय किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय की घोषणा किये जाने के तुरन्त पश्चात् लगभग कितने अधिकारी तथा कर्मचारी सेवा निवृत हो जायेंगे ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पाकिस्तानी जासूस

217. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री मीठा लाल

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 25 अप्रैल, 1967 को को एक संदिग्ध पाकिस्तानी जासूस पंजाब में गिरफ्तार कर लिया गया था;

(ख) यदि हां तो क्या उसका सम्बन्ध देशव्यापी जासूसों के गिरोह से हैं; और

(ग) देश में जासूसों के गिरोह समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जासूसों की गतिविधियों के विरुद्ध उपयुक्त उपाय किये गये हैं ।

अखिल भारतीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदि जातियों के लोग

218. श्री मीठा लाल :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को इस आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है कि उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले दस वर्षों में इन सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व कितना प्रतिशत कम था ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं। 1963 के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सुरक्षित पदों में भरती में कोई कमी नहीं हुई ।

(ख) सुरक्षित पदों के लिए भरती में प्रतिशत कमी संलग्न विवरण में दिखाई गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 356/677]**

Mercy Petitions

219. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of mercy petitions received by the President from January, 1955 up to-date ; and

(b) the number of those among them which are under consideration and of those on which decision has been taken ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) : 205 mercy petitions were recieved by the President from January, 1966 to 15th May, 1967. Decision has been taken on 155 mercy petitions and 50 are under consideration.

Concession to Goldsmith

220. Shri P. L. Barupai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are contemplating to give five year age concession to the children of such goldsmiths who have suffered as a result of the Gold Control Ordinance, for appearing in examinations conducted for Government Services as well as for I. A. S.; and

(b) if not, whether cultivable lands can be allotted to those goldsmiths for earning their livelihood ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) No such proposal is under consideration of the Government.

(b) In one of the schemes for rehabilitation of goldsmiths, land is provided free by the State Governments and rehabilitation grant sanctioned on the pattern of assistance for landless people authorised by the Ministry of Food and Agriculture except that the Centre would meet the full expenditure in respect of grant of loan given to the famliy.

Muslims of Rajasthan

221. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that thousands of Muslims of Rajasthan, who had gone over to Pakistan after India's partition in 1947, again infiltrated in 1955 and have settled in Districts of Bikaner, Ganganagar, Jaiselmer, Barmer, Jalaur etc. ; and

(b) if so, the action taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is available.

Entry of P. K. Nationals into Rajasthan

222. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that hundreds of Pakistani nationals [illegible] ss over to India and [illegible] via Rajasthan border without passports ; and

(b) if so, the reasons for which preventive measures are not [illegible]

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) No

(b) Does [illegible] ise.

पुरातत्व सम्बन्धी क्षेत्र

2[illegible] : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृ[illegible]

(क) पुरातत्व सम्बन्धी क्षेत्र देश में किस आधार पर बनाये

(ख) क्या जनरल ह्वीलर की अध्यक्षता में बनाई गई विशेषज्ञ समिति ने मैसूर के लिये एक पृथक् क्षेत्र बनाने की सिफारिश की थी, जिसका मुख्यालय बंगलौर में हो; और

(ग) यदि हां, तो इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (शेर सिंह) : (क) पुरातत्व प्रमंडल (सर्किल) स्मारकों की संख्या, क्षेत्रों का भौगोलिक वितरण, संचार के विद्यमान तरीके और प्रशासनिक कारण जैसी बहुत सी बातों को ध्यान में रख कर बनाये गए हैं।

(ख) ह्वीलर समिति ने सिफारिश की है कि विद्यमान प्रमंडलों का पुनर्वितरण किया जाए और दक्षिण के लिए एक अतिरिक्त प्रमन्डल स्थापित किया जाय जिसका मुख्यालय उपयुक्त रूप से बंगलौर में हो। समिति द्वारा प्रस्तावित नए प्रमण्डल में मैसूर के केवल दक्षिणी जिले सम्मिलित होंगे।

(ग) समिति की सिफारिशें सिद्धान्तरूप में स्वीकार कर ली गई है और मामले की आगे जांच की जा रही है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़ी हुई जातियों की शिक्षा सम्बन्धी समस्यायें

224. श्री सिद्धय्या : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़ी हुई जातियों की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं के बारे में विचार करने के लिए शिक्षा आयोग ने किसी अध्ययन दल की स्थापना की है ;

(ख) क्या अध्ययन दल ने आयोग को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो अध्ययन दल ने कौन-कौन सी सिफारिशें की हैं ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सैन) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) इस कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर शिक्षा आयोग द्वारा यथाविधि विचार किया गया था और इसकी महत्वपूर्ण सिफारिशों को शिक्षा आयोग की रिपोर्ट के छठे अध्याय (पैरा 6.59 से 6.75) में शामिल कर लिया गया है।

विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम

225. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय स्तर पर प्रादेशिक भाषाओं

को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार करने के बारे में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की सिफारिशों को लागू करने के बारे में विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ये सिफारिशें कब तक लागू हो जायेंगी ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) : अप्रैल, 1967 में हुए राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों पर अभी विचार किया जाना है ।

विद्यार्थियों के लिये रोजगार

226. **श्री शिवचन्द्र झा : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूलों और कालेजों में पढ़ने वाले ऐसे विद्यार्थियों को रोज़गार दिलाने की कुछ सुविधायें दी गई हैं जो स्कूलों और कालेजों में अपनी पढ़ाई के लिए काम करना चाहते हैं, और

(ख) यदि हां, तो वे क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : रोजगार कार्यालयों और विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्ग दर्शन केन्द्रों द्वारा नियुक्ति सहायता चाहने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त अंशकालिक नियोजन अवसरों की जानकारी दी जाती है । रोजगार कार्यालय इस श्रेणी के उम्मीदवारों को उपयुक्त नियुक्ति सहायता भी देते है ।

नैमित्तिक मजदूरों के लिये बेरोजगारी बीमा

227. **श्री शिवचन्द्र झा : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या औद्योगिक क्षेत्र के नैमित्तिक मजदूरों को बेरोजगारी बीमा लाभ देने की कोई व्यवस्था है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : औद्योगिक कामगारों के लिए बेरोजगारी बीमे की इस समय कोई योजना नहीं है । परन्तु ऐसा प्रत्येक कामगार जो किसी उद्योग में कम से कम एक वर्ष तक लगातार नौकरी पर रहा हो, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत छंटनी मुआवज़ा पाने का हकदार है ।

देहाती क्षेत्रों में डाकघर

229. **श्री ए० दीपा :**
श्री प्र० के० देव :
श्री के० पी० सिंह देव :
श्री डी० एन० देव :
श्री जी० सी० नायक :
श्री डी० अमत :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निकट भविष्य में देहाती क्षेत्रों में कोई नये डाकघर न खोलने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) : राजनीतिक तथा प्रतिरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सीमान्त जिलों के अतिरिक्त सभी जगह नये अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने पर आर्थिक संकट के कारण प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं । परन्तु यदि सम्बन्धित लोग हानि को पूरा करने का वचन दें तो शाखा डाकघर अब भी खोले जा सकते हैं ।

डाक व तार सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण

230. श्री जी० कुचेलर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967 से पहले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये डाक व तार सेवाओं में एल० एस० जी० पद श्रेणी में चयनात्मक पदों के लिये कोई आरक्षण होता था ;

(ख) यदि हाँ, तो इस आरक्षण को समाप्त करने के क्या कारण थे ;

(ग) क्या डाक और तार विभाग के कर्मचारियों ने यह माँग की है कि अखिल भारतीय डाक और तार फेडरेशन को मान्यता दी जानी चाहिये ताकि वह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की माँगों को पेश कर सकें ;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार उनकी मांग को पूरा करने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो डाक व तार विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विशेषाधिकारों की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) डाकघरों, रेलवे डाक सेवा, विदेशी डाक सेवा, पत्र पुनः प्रेषण डाकघर तथा टेलीफून एक्सचेंजों में लोवर सिलेक्शन ग्रेड में विद्यमान रिक्त स्थानों में से ¦ स्थानों पर पदोन्नति के लिये आरक्षण की व्यवस्था थी । ऐसे रिक्त स्थानों पर 1964 से 1966 तक सरकार के एक निर्णय के अनुसार वरण के आधार पर नियुक्तियां की जाती रही थी । सरकार का निर्णय यह था कि तीसरी तथा चौथी श्रेणी के पदों के लिये ऐसे आरक्षण की व्यवस्था की जाये, जिनको सीधी भरती के बजाय वरण के आधार पर पदोन्नति से भरे जाने की व्यवस्था है ।

(ख) जब 1-1-1967 से टेलीफोन एक्सचेन्ज के अतिरिक्त सभी अन्य विभा[illegible]त्मक ग्रेड में चयन का तत्व समाप्त कर दिया गया था तो आरक्षण व्यवस्था समाप्त [illegible] ।

(ग) और (घ) हाल में ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है । तथापि [illegible] की नीति धर्म [illegible]ति तथा कबीलों के आधार पर गठित की गई संस्थाओं को [illegible] नहीं है । सरकार द्वारा कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त कोई भी तथा प्रत्येक संस्[illegible]त जाति तथा [illegible]नुसूचित आदिम जाति के सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती [illegible]दस्य हैं ।

(ङ) गृह-कार्य मंत्रालय के स्थायी अनुदेशों के अनुसार वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर पदोन्नित किये गये ऐसे अधिकारियों के अधिक्रमण के सभी मामलों को यह सुनिश्चित करने के हेतु मन्त्री महोदय के पास भेजा जाता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के किसी अधिकारी का बिना पर्याप्त औचित्य के अधिक्रमण तो नहीं हुआ है।

तेलुगू समाचार पत्र में प्रकाशित लेख तथा उसके परिणाम

231. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह समाचार मिला है कि आन्ध्र प्रदेश के "आन्ध्र प्रभा" नामक एक तेलुगू समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख के कारण, जिसमें उड़ीसा वासियों के विरुद्ध आरोप लगाये गये थे कि तेलुगू और उड़ीसा वासियों के पारस्परिक सम्बन्धों को गम्भीर आघात पहुंचा है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके लेखक तथा इस पत्र के मुद्रक और प्रकाशक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने इस मामले की ओर गृह मन्त्रालय का ध्यान आकर्षित किया है ; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही करने का सुझाव दिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सूचना मिली है कि "आन्ध्र-प्रभा" के 10 अप्रेल, 1967 के अङ्क में "उड़िया ग्रामों के त्यौहार और दावतें" शीर्षक लेख के प्रकाशन से उड़ीसा के कुछ वर्गों में कुछ दुर्भाग्य पूर्ण प्रतिक्रिया हुई।

(ख) उक्त पत्र के सम्पादक ने अपने पत्र के 25 अप्रैल, 1967 के अङ्क में अनजाने उड़ीसा के लोगों को कष्ट पहुँचाने के लिए बिना शर्त क्षमा प्रार्थना प्रकाशित की और उसने उड़ीसा के मुख्य मन्त्री को व्यक्तिगत रूप से अपना स्पष्टीकरण भेजा। पत्र के 7 मई, 1967 के अङ्क में लेख के लेखक की ओर से भी उसके लेख के प्रकाशन की दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिक्रिया के लिए खेद प्रकाशित करने वाला एक पत्र प्रकाशित किया गया। यह भी पता चला है कि उड़ीसा की सरकार ने प्रेस कौन्सिल का ध्यान इस मामले की ओर आकृष्ट किया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में पंचायत समिति के कार्यालय

232. श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री के० प्रधानी :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री हीरजी भाई :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1967 तक उड़ीसा के कितने पंचायत समिति कार्यालयों में टेलीफोन लगे हुए थे ; और

(ख) 1967-68 में उस राज्य के कितने पंचायत समिति कार्यालयों में टेलीफोन लगाये जायेंगे ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) उड़ीसा में ऐसे स्थानों की संख्या दिनांक 30-4-67 को 142 थी जहाँ पंचायत समितियां थीं और टेलीफोन की सुविधाएं उपलब्ध थी। इन सभी स्थानों पर पंचायत समिति के कार्यालयों में, मांगे जाने पर टेलीफोन लगाये जा सकते थे।

(ख) वर्ष 1967-68 के दौरान राज्य में ऐसे 15 स्थानों को टेलीफोन की सुविधाएँ देने का प्रस्ताव है जहाँ पंचायत समितियाँ हैं।

उड़ीसा में शिक्षित बेरोजगार

233. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री धुलेश्वर मीना :
श्री के० प्रधानी : श्री हीरजी भाई :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1967 को उड़ीसा में कितने शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार थे, और

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के थे ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : यह अर्द्ध वार्षिक जानकारी जून और दिसम्बर में एकत्र की जाती है। अधुनातम् आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(क) उड़ीसा स्थित रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में 31 दिसम्बर, 1966 को दर्ज नियुक्ति सहायता चाहने वाले शिक्षितों (मैट्रिक और इससे अधिक पढ़े) की संख्या 13,402 थी,

(ख) अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार 398

(ग) अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार 366

उड़ीसा में डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के लिये मकान

234. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई : श्री के० प्रधानी :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में डाक व तार विभाग के कितने कर्मचारियों को 30 अप्रैल, 1967 तक सरकारी रिहायशी मकान मिल गये थे ;

(ख) क्या 1967–68 में उड़ीसा राज्य में डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के लिये मकान बनाने की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) सरकार ने 756 कर्मचारियों को आम रिहायशी मकान दिये हुए हैं ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) (एक)	कटक में	6	मकान
(दो)	अंगुल में	1	मकान
(तीन)	भुवनेश्वर में	110	मकान
(चार)	बलसोर में	16	मकान
(पांच)	संबलपुर में	1	मकान

यदि नियत निधि उपलब्ध रही तो चालू वर्ष में उपरोक्त कार्य को हाथ में लिया जायेगा ।

उड़ीसा में डाकघर

235. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री के० प्रधानी :
श्री धुलेश्वर मीना : श्री हीरजी भाई :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1967 को उड़ीसा में कितने शाखा डाकघर, उप-डाकघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन थे ; और

(ख) उस राज्य में 1967–68 में कितने ऐसे कार्यालय स्थापित करने का विचार है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) शाखा डाकघर	4153
उप-डाकघर	540
सार्वजनिक टेलीफोन	278
(ख) शाखा डाकघर	100

इस उपबन्ध के साथ कि अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने पर लगे वित्तीय पाबन्दियां उठ जायें ।

उप डाकघर	27
सार्वजनिक टेलीफोन	20

राज्यों में काम दिलाऊ दफ्तर

236. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री धुलेश्वर मीना :
श्री के० प्रधानी : श्री हीरजी भाई :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967–68 में विभिन्न राज्यों में राज्यवार कितने काम दिलाऊ दफ्तर खोलने का विचार है, और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : इस सम्बन्ध में निश्चित लक्ष्य कोई नहीं है। महत्वपूर्ण स्थानों में, रोजगार कार्यालय स्थापित करने के लिए प्राप्त राज्य सरकारों के अनुरोधों पर उनकी पात्रता के अनुसार विचार किया जाएगा।

भारत सुरक्षा नियम

237. श्री हीरजी भाई : श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री के० प्रधानी :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1967 को भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या क्या थी ; और

(ख) अब तक कितने व्यक्तियों को सजा दी जा चुकी है और कितने व्यक्ति रिहा कर दिये गये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार 30 अप्रैल 1967 तक 15731 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। जिनमें से 8448 व्यक्तियों को सजा दी गई और 2585 को रिहा किया जा चुका था। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में सूचना सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चालू रजिस्टरों में दर्ज भूतपूर्व सैनिक

238. श्री के० प्रधानी : श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1967 को प्रत्येक राज्य के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में ऐसे कितने भूतपूर्व सैनिकों के नाम दर्ज थे जो रोजगार चाहते थे; और

(ख) उनमें से कितने सैनिकों को अप्रैल 1967 के अन्त तक रोजगार मिल गया था ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : त्रैमासिक जानकारी इकट्ठी की जाती है। संलग्न विवरण में जनवरी–मार्च 1967 से सम्बन्धित तिमाही जानकारी दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 357/67]

कोयला खानों में दुर्घटना

239. श्री के० प्रधानी : श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 में भारत में विभिन्न कोयला खानों में कितनी दुर्घटनाएँ हुईं जिनके फलस्वरूप लोगों की मृत्यु हुई अथवा लोग अपङ्ग हुए ; और

(ख) दुर्घटनाओं के कारण क्या थे ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : 1966–67 में भारत में विभिन्न कोयला खानों में हुई घातक दुर्घटनाओं की संख्या व गम्भीर दुर्घटनाओं की संख्या जिसमें ऐसी दुर्घटनाएं भी शामिल हैं जिनमें लोग अपङ्ग हुए। क्रमशः उनकी संख्या 159 और 1899 थी। दुर्घटनाओं के मुख्य कारण थे। छत का गिरना, दिवालों का गिरना, कर्षण, विस्फोट, मशीनें, गैसों से दम घुटना, बिजली इत्यादि।

दिल्ली में जामा मस्जिद तथा लाल किले की मरम्मत पर व्यय

240. श्री हीरजी भाई : श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री के० प्रधानी :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966–67 में दिल्ली के जामा मस्जिद और लाल किल का कुछ मरम्मत की गई थी, और

यदि हां, तो इस पर कितना व्यय हुआ ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह): (क) जी, हाँ।

(ख)	जामा मस्जिद	10,780	रुपए।
	लाल किला	2,392	रुपए।

P. & T. Offices in Mysore State

241. Shri Ramachandra Veerappa : Will the Minister of Communications pleased to state :

(a) the number of Posts and Talegraph Offices proposed to be opened in Mysore State during the Fourth Five Year Plan period; and

(b) the amount of expenditure to be incurred thereon ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentry Affairs and Communications : (Shri I. K. Gujral) : (a) Owing to the financial stringency certain restrictions have been imposed on the opening of new Extra Departmental Branch Post Offices. In case these are removed 876 Extra Departmental Branch Offices are proposed to be opened during IV

Plan in addition to 27 EDBOs opened since 1-4-1966. 11 Sub Offices have also been opened since 1-4-66 and 88 more sub-offices are likely to be established. During IV Plan it is also proposed to provide 100 Telegraph Offices.

(b) Rs. 31.43 lakhs (approximately).

टेलीफोन उपकरण निर्माण कारखाना

242. श्री शशि रंजन : **श्री सीता राम केसरी :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने बंगलौर में टेलीफोन उपकरण बनाने के लिए इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड जैसे और कारखाने स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार का विचार बिहार में इस प्रकार के कारखाने स्थापित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग) : चतुर्थ पंचवर्षीय आयोजन अवधि में, लम्बी दूरी के पारेषण उपस्कर के निर्माण के लिये एक नया कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित कारखाने के स्थान के विषय में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

अतिबारम्बारता वाली सूक्ष्म तरंग व्यवस्था

243. श्री शशि रंजन : **श्री सीताराम केसरी :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कौन-कौन से स्थान संचार की अतिबारम्बारता वाली सूक्ष्म तरंग व्यवस्था से मिले हुए हैं ; और

(ख) संचार की व्यवस्था का विस्तार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) कलकत्ता, असंसोल, कटिहार, दार्जलिंग, सिलिगुड़ी कूचबिहार, शिलांग, गोहाटी, तेजपुर, जोरहट, खड़गपुर, अम्बाला, शिमला, चण्डीगढ़, जालन्धर, डलहौजी, पठानकोट, उधमपुर तथा जम्मू पहले से ही सूक्ष्म तरंग व्यवस्था से जुड़े हुए हैं और उनमें परस्पर टेलीफोन की लाइनें भी हैं। डिबरूगढ़, तिनसुकिया और श्रीनगर को भी संचार की सूक्ष्म तरग व्यवस्था से शीघ्र ही जोड़ दिया जायेगा।

(ख) कुछ सूक्ष्म तरंग व्यवस्थाओं को अभी बनाया जा रहा है और उनका ब्यौरा निम्नलिखित है :

(1) दिल्ली–अलवर–जयपुर

(2) देहरादून–मंसूरी–मुजफ्फरनगर–हरिद्वार

(3) बेलगांव–पंजिम

(4) असंसोल–रांची

(5) कोयम्बटूर–ऊटी–कोझिकोड़

(6) पूना–शोलापुर–सिकन्दराबाद

चौथी योजना के दौरान देश में विद्यमान ट्रंक लाइन में कुल 8500 किलो मीटर लम्बी सूक्ष्म तरंग लाईन और जोड़ने का प्रस्ताव है।

राजस्थान में अधिसूचित तथा भरे गये रिक्त स्थान

244. श्री के० प्रधानी : श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1967 तक राजस्थान में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के संस्थानों में कितने रिक्त स्थान अधिसूचित किये गये, और

(ख) अप्रैल, 1967 के अन्त तक विभिन्न रोजगार दफ्तरों के माध्यम से उन संस्थानों में कितने रिक्त स्थान भरे गये ?

श्रम, तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : जानकारी नीचे दी गई है:–

संस्थापन का क्षेत्र	जनवरी से अप्रैल, 1967 के बीच अधिसूचित रिक्त स्थान	जनवरी से अप्रैल 1967 के बीच भरे रिक्त–स्थान
सरकारी क्षेत्र	6, 189	4, 599
निजी क्षेत्र	519	106

राजस्थान में शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति

245 श्री धुलेश्वर मीना : श्री के० प्रधानी :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रेल, 1967 को राजस्थान में कितने शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार थे, और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : यह अर्द्ध वार्षिक जानकारी जून और दिसम्बर में एकत्र की जाती है। अधुनातम् आंकडे नीचे दिए गए हैं :—

(क) राजस्थान स्थित रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में 31 दिसम्बर 1966 को दर्ज नियुक्ति सहायता चाहने वाले शिक्षितों (मैट्रिक और इससे अधिक पढ़े) की संख्या 31, 729 थी,

(ख) अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार 1, 713

(ग) अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार 533

राजस्थान और उड़ीसा में संस्कृत का विकास

246. श्री रामरान्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री के० प्रधानी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में राजस्थान और उड़ीसा में संस्कृत का विकास करने के लिये उन राज्यों की स्वेच्छिक संस्थाओं को कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० शेर सिंह) (क) और (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 358/67]**

राजस्थान और उड़ीसा में हिन्दी का विकास

247 श्री धुलेश्वर मीना :
श्री के० प्रधानी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री हीरजी भाई :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में हिन्दी के विकास के लिये राजस्थान और उड़ीसा राज्यों की किन-किन स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान दिये गये; और

(ख) इसी कालावधि में प्रत्येक संगठन को कितनी कितनी धन राशि मंजूर की गई थी ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) : 1966–67 के दौरान हिन्दी के प्रचार तथा विकास के लिए उड़ीसा राज्य के स्वेच्छिक संगठनों को निम्नलिखित अनुदान दिये गये थे :—

	रुपए
उत्कल प्रांतीय राष्ट्र भाषा प्रचार सभा, कटक ।	16, 290
हिन्दी राष्ट्र भाषा परिषद्, पुरी ।	12, 000
जोड़ :—	28, 290

विश्वविद्यालय स्तर के मानक ग्रन्थों की रचना, अनुवाद और प्रकाशन की योजना के अधीन राजस्थान विश्वविद्यालय और राजस्थान साहित्य अकादेमी उदयपुर को वित्तीय सहायता दी जा रही है, किन्तु 1966–67 के दौरान उनके कोई अनुदान नहीं दिया था, क्योंकि पिछले वर्षों में स्वीकृत अनुदानों का पूरी तरह से वे उपयोग नहीं कर सके थे ।

मनीपुर के एक गांव में आग लगने से नष्ट हुए मकान

248. श्री एम० मेघचन्द : क्या **गृह–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के उखरूल सब–डिवीजन में सानाकेथल नामक गांव में मार्च, 1967 के पहले सप्ताह में आग लग जाने से अनेक मकान नष्ट हो गये थे; और

(ख) नष्ट हुए मकानों की संख्या क्या है और कितने मूल्य के खाद्यान्नों की हानि हुई है ?

गृह–कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (की विद्या चरण शुक्ल) (क) और (ख) : मार्च 1967 में ऐसी कोई घटना नहीं हुई । हां, 11. 4. 67 को उखरूल सब डिविजन के साना-केथल नामक गांव में 73 मकानों को नागा--विद्रोहियों ने आग लगा दी और 3,000 रुपये मूल्य का धान भी नष्ट कर दिया ।

मनीपुर में ग्राम सेवक दल का आक्रमण

249. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या **गृह–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम सेवक दल ने 31 जनवरी, 1967 को मनीपुर के तामेंगलोंग सब-डिवीजन के अन्दर एक आदिम जाति गांव चारोइचकतलोंग पर आक्रमण किया था ;

(ख) क्या उक्त दल के व्यक्तियों ने 4 अप्रेल, 1967 को उक्त ग्राम के मकानों को जलाया था ;

(ग) क्या उक्त कार्यवाहियां मनीपुर सरकार तथा सुरक्षा अधिकारियों की जानकारी में तथा उनके आदेशों से की गई थीं; और

(घ) क्या ग्राम अधिकारियों की और से इस शिकायत से सम्बन्धित कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं । वास्तविकता तो यह है कि नागा विद्रोहियों ने मनीपुर राइफल्स (सशस्त्र पुलिस) की चौकी के चारों ओर ग्राम सेवक दल के कैम्प में 29. 1. 1967 को आग लगा दी ।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

विदेशी धर्मप्रचारक

250. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय बीमा पर धर्म प्रचार करने के लिये कितने विदेशी धर्म-प्रचारक भारत में हैं; और

(ख) यह वीसा कितनी-कितनी अवधि के लिये दिये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) 1 जनवरी, 1967 को भारत में पंजीकृत विदेशी ईसाई मिशनरियों की संख्या 4214 थी।

(ख) वीसा एक बार में एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं दिए जाते।

गोआ में गिरजाघरों आदि में खाद्यान्नों का वितरण

251. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि गोआ में मतसंग्रह को प्रभावित करने के लिये गिरजाघरों आदि की ओर से खाद्यान्नों का वितरण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में जांच करायी गयी थी; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) से (ग) तक इस मामले में की जाने वाली जांच से पता चला कि पिछले कुछ वर्षों से मिशनरियों तथा अन्य धर्मार्थ गैर ईसाई संस्थाओं द्वारा अनाज और दुग्ध चूर्ण, गेहूँ का आटा आदि जैसी अन्य सामग्रियां बांटी जा रही है। गिरजाघर ने इस वर्ष के प्रारम्भ में पहले की भांति ही अपने सामान्य वितरण के कार्य-क्रम के अन्तर्गत अनाज बांटा।

थाना जिला (महाराष्ट्र) में आदिम जाति के लोगों का धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनाया जाना

252. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री हुकमचन्द कछवाय :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि थाना जिला

(महाराष्ट्र) के 15 हजार आदिम जाति के लोगों को अनाज देकर उनकी निर्धनता का अनुचित लाभ उठाकर उन्हें धर्म परिवर्तन कराके ईसाई बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सरकार को ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Setting up of a University in Meerut

253 **Shri Maharaj Singh Bharti** : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the extent of financial assistance sanctioned to the U. P. Government for setting up the University in Meerut and the amount actually paid to the State Government ; and

(b) the amount proposed to be given during the current year ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) No financial assistance has been sanctioned to the Government of U. P. for setting up a University in Meerut.

(b) Does not arise.

Central Assistance to U. P. for Teachers

254 **Shri Maharaj Singh Bharti** : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the amount asked for by the Uttar Pradesh Government to increase the pay and dearness allowance of teachers working in Government recognised schools in the State :

(b) the amount provided for this purpose last year and the amount to be provided during the current year; and

(c) whether Government have framed a policy to provide as much amount as would be sufficient for uniform pay and dearness allowances to teachers of both Government and private schools ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) No such request has been received from the State Government.

(b) Nil

(c) Ministry's policy is that there should be parity between the pay scales of the Government and Private school teachers.

Radio Licences

255. **Shri Maharaj Singh Bharti** : Will the Minister of Communications be pleased to state

(a) the policy regarding the issue of radio licences without producing a purchase receipt; and

(b) whether it is a fact that licences are also issued for those smuggled radio sets which are sold in the country ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) A person in possession of a wireless receiver for which no licence has been taken out can obtain a licence from any post office on payment of surcharge equal to one year's licence fee in addition to the fee payable for the period he has been in possession of the set. In the absence of a documentary proof of the source or date of receipt of the set the licence is issued on the basis of the owner's own declaration.

(b) We are not aware whether the sets referred to in (a) above are smuggled or not.

अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पश्चिमी बंगाल के श्रम मंत्री द्वारा मई दिवस के अवसर पर भाषण का प्रसारण

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : श्रीमान, समाचार पत्रों में एक समाचार छपा है जिसके अनुसार संविधान में उल्लिखित मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक झोंपड़ी के स्वामी से............

अध्यक्ष महोदय : इस मामले का सम्बन्ध राज्य सरकार से है। ऐसे मामले यहाँ नहीं लिये जा सकते ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान, मैं सूचना तथा प्रसारण मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"कलकत्ता में आकाशवाणी के अधिकारियों द्वारा पश्चिमी बंगाल के श्रम मंत्री को 1 मई, 1967 को 'मई दिवस' पर भाषण प्रसारित करने से इन्कार करना" ।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : 29 अप्रैल, 1967 को आकाशवाणी, कलकत्ता के स्टेशन डायरेक्टर ने पश्चिमी बंगाल के श्रम मंत्री से "घेराओ" सम्बन्धी एक चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रार्थना की। श्रम मंत्री इसके लिये सहमत हो गये। स्टेशन डायरेक्टर ने भाषण की एक प्रति की मांग की। उसे पढ़ने पर उन्होंने देखा कि उसमें लिखा है कि "इस प्रयोजन के लिए क्रान्ति आवश्यक है। यदि हम शोषण से बचना चाहते हैं तो राजनैतिक प्रणाली में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।" इसके आगे चल कर लिखा गया कि "यह आवश्यक नहीं कि जिस बात को अवैध समझा जाता है, वह अनिवार्यतः अन्याय नहीं है" इसके अतिरिक्त उसमें यह भी कहा गया है कि "कांग्रेस के शासन के परिणामस्वरूप प्रशासन में बुरी प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए काँग्रेस की पराजय अनिवार्य थी। कांग्रेस के लम्बे शासन के दौरान न्यायपालिका भी निष्पक्ष नहीं रही था।"

इन बातों से प्रथाओं का उल्लंघन होता है। स्टेशन डायरेक्टर ने श्रम मंत्री को इस सम्बन्ध में चर्चा करने के लिए कहा। मंत्री महोदय अपने भाषण में परिवर्तन करने के लिए सहमत न हुए और उन्होंने प्रसारण में भाग लेने से इन्कार कर दिया।

यह भाषण आकाशवाणी द्वारा स्वीकृत प्रथा के विरुद्ध था। यदि एक दल को दूसरे दल पर आक्षेप करने की अनुमति दी जाय तो दूसरे दल को भी ऐसा करने की अनुमति देनी होगी। इसके अतिरिक्त किसी को भी संविधान पर आक्षेप करने की और संवैधानिक साधनों के अतिरिक्त अन्य साधनों से सरकार में परिवर्तन करने के लिए रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायपालिका पर आक्षेप करने में रोकना भी आवश्यक है।

पहले भी ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई थीं। 6 जुलाई, 1949 को भारत के उस समय के गवर्नर-जनरल श्री राजगोपालचारी को अपने भाषण में परिवर्तन करना पड़ा था। पिछले वर्ष बिहार के मुख्य मंत्री संयुक्त समाजवादी दल तथा साम्यवादी दल का नाम लेकर उनका उल्लेख करना चाहते थे। स्टेशन डायरेक्टर ने मामला महानिदेशक को भेजा। महानिदेशक से हिदायतें आने से पहले भाषण हो चुका था परन्तु मुख्य मंत्री का ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी बात है तो मैं भविष्य में आकाशवाणी से भाषण नहीं दूँगा।

इसके बाद मंत्रालय के महानिदेशक को हिदायतें दीं कि ऐसे मामलों में स्टेशन डायरेक्टर को भाषण प्रसारित करने से इन्कार कर देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इस पर प्रश्न दो बजे पूछे जा सकते हैं।

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में

RE : CALL ATTENTION NOTICES

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : हमने एक ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : वह सूचना इस प्रकार नहीं ली जा सकती है। आप एक दल के नेता हैं; आपको यह प्रश्न इस प्रकार नहीं उठाना चाहिये। मैं उस पर विचार करूंगा।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

आर्थिक समीक्षा

वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं "इकोनौमिक सर्वे (आर्थिक समीक्षा) 1966-67" की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 336/67]**

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : मैं राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 337/67**]

आश्वासनों पर की गई कार्यवाही

संसद–कार्य तथा संचार मन्त्री (**डा० राम सुभग सिंह**) : मैं लोक–सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरण सभा-पटल पर रखता हूं :—

चौथी लोक-सभा

1. अनुपूरक विवरण संख्या 1	पहला सत्र, 1967

तीसरी लोक-सभा

2. अनुपूरक विवरण संख्या 3	सोलहवां सत्र, 1966
3. अनुपूरक विवरण संख्या 6	पंद्रहवां सत्र, 1966
4. अनुपूरक विवरण संख्या 10	चौदहवां सत्र, 1966
5. अनुपूरक विवरण संख्या 11	तेरहवां सत्र, 1965
6. अनुपूरक विवरण संख्या 26	सातवां सत्र, 1964

[**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 338/67**]

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : पिछले अधिवेशन के दौरान मैसर्स अमीनचन्द प्यारेलाल द्वारा काश्मीर में की गई कुछ अनियमितताओं के बारे में एक आश्वासन दिया गया था। आश्वासन पूरे किये जाने चाहियें।

अध्यक्ष महोदय : आश्वासनों सम्बन्धी समिति इन पर ध्यान देती है।

हसन जिले में खान में हुई दुर्घटना सम्बंधी जांच के बारे में प्रतिवेदन

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं 25 दिसम्बर, 1966 को हसन जिले में श्री वेंकटेश्वर अभ्रक तथा बेरिल खान में हुई घातक दुर्घटना सम्बन्धी जांच के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 339/67**]

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम आदि के अंतर्गत अधिसूचनायें

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं निम्नलिखित पत्र पुनः सभापटल पर रखता हूं :

(एक) दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 191 की उप-धारा (3) के

अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(क) दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 8 जुलाई, 1966 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०/(3) एल० आर० ओ० 66 में प्रकाशित हुए थे ।

(ख) दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 30 जून, 1966 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ/(4) एल० आर० ओ०/66 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 131/67]**

(दो) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(क) भारतीय वन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1966 जो दिनांक 31 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1672 में प्रकाशित हुए थे ।

(ख) भारतीय वन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) संशोधन विनियम, 1966 जो दिनांक 31 अक्तूबर 1966 के भारत के राजापत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1673 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग) भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 जो दिनांक 26 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1774 में प्रकाशित हुए थे ।

(घ) भारतीय वन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1966 जो दिनांक 7 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 17 में प्रकाशित हुए थे **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 134/67]**

(ङ) भारतीय वन सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 25 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 387 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्त-कालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 233/67]**

(च) जी० एस० आर० 26 जो दिनांक 7 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में एक संशोधन किया गया ।

(छ) जी० एस० आर० 347 जो दिनांक 18 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

(ज) जी० इस० आर० 348 जो दिनांक 18 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में एक संशोधन किया गया । **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 301/67]**

गृह-कार्यमंत्रालय में (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(क) जी० एस० आर० 422 जो दिनांक 1 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

(ख) जी० एस० आर० 423 जो दिनांक 1 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

(ग) जी० एस० आर० 424 जो दिनांक 5 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 31 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित जी० एस० आर० 1993 का शुद्धि-पत्र दिया गया है ।

(घ) जी० एस० आर० 472 जो दिनांक 8 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में एक संशोधन किया गया ।

(ङ) जी० एस० आर० 541 जो दिनांक 22 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

(च) भारतीय प्रशासन सेवा (वरीयता का विनियमन) संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 23 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 564 में प्रकाशित हुए थे ।

(छ) भारतीय पुलिस सेवा (वरीयता का विनियमन) संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 22 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 565 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 359/67]**

(दो) आयोजन मशीनरी के बारे में प्रशासन सुधार आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 360/67]**

(तीन) शस्त्रास्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 44 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत शस्त्रास्त्र (संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 29 अप्रैल 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1461 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 361/67]**

प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थान तथा अवशेष (संशोधन नियम)

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह) : मैं प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थान तथा अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 38 की उपधारा (4) के अन्तर्गत प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थान तथा अवशेष (संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति पुनः सभा-पटल पर रखेंगे जो दिनांक 20 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3520 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 237/67]**

संसदीय समितियां--कार्यवाही का सारांश

PARLIAMENTARY COMMITTEES-SUMMERY OF WORK

सचिव : श्रीमान्, मैं 1 जून, 1966 से 3 मार्च, 1967 तक की अवधि से सम्बन्धित ' संसदीय समितियां---कार्य का सारांश'' की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

सचिव : श्रीमान्, मैं पिछले सत्र में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये निम्नलिखित तीन विधेयक, जिन पर, 3 अप्रैल, 1967 को सभा में पिछली बार प्रतिवेदन देने के पश्चात् राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी, सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 1967

(2) खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) संशोधन विधेय 1967

(3) वित्त विधेयक, 1967

मैं पिछले सत्र में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये निम्नलिखित चार विधेयकों की, जिन पर 3 अप्रैल, 1967 को सभा में पिछली बार प्रतिवेदन दिये जाने के पश्चात् राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी, राज्य-सभा, के सचिव द्वारा विधिवत प्रमाणिकृत प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) जारी रखना विधेयक, 1967

(2) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1967

(3) भूमि अर्जन (संशोधन तथा मान्यकरण) विधेयक, 1967

(4) अत्यावश्यक वस्तुएँ (संशोधन) विधेयक, 1967

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS

पहला प्रतिवेदन

श्री खाडिलकर (खण्डे) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन उपस्थित करता हूँ ।

यूरोपीय साझा बाजार (ई० सी० एम०) में प्रवेश के लिये ब्रिटिश सरकार द्वारा फिर से किये गये आवेदन

STATEMENT ON U. K. S. RENEWED APPLICATION FOR ENTRY INTO E.C.M.

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : 1. माननीय सदस्यों को हाल की घोषणाओं से पता चल गया होगा कि 11 मई, 1967 को ब्रिटिश सरकार ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन के प्रवेश के लिये आवेदन किया था ।

2. इस संबन्ध में ब्रिटिश सरकार तथा भारत सरकार ने एक दूसरे के साथ सम्पर्क बनाये रखा और हमने इस बात को दोहराया है कि यह ब्रिटिश सरकार को ही निर्णय करना है कि इस मामले में उसे, राष्ट्रमंडल के हितों का समुचित ध्यान रखते हुए, क्या करना चाहिए ।

3. 2 मई, 1967 को हाउस ऑफ कामन्स में ब्रिटिश प्रधान मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में एशिया के राष्ट्रमंडलीय देशों का विशेष रूप से उल्लेख, उन प्रमुख प्रश्नों के रूप में, जिन पर ब्रिटिश सरकार पूर्व-प्रवेश बात-चीत के दौरान सुरक्षण मांगेगी, नहीं किया गया था । इस उल्लेख के न होने से हमें बहुत चिन्ता हुई है ।

4. हमारे अभ्यावेदन के उत्तर में श्री विलसन ने अपने बाद के 8 मई के वक्तव्य में यह स्पष्ट करने की कृपा की है कि बातचीत के दौरान "कुछ एशिया के राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ व्यापक व्यापार करारों की पेशकश पर पूरी तौर से ध्यान दिया जाना" सम्भव हो सकेगा । इस के अलावा राष्ट्रमंडलीय मामलों के मन्त्री श्री बोडन ने भी कहा है कि समुदाय में ब्रिटेन के प्रवेश के फलस्वरूप ब्रिटेन के साथ भारत के वर्तमान व्यापार की रूपरेखा पर सम्भावित प्रभाव का विषय भी उन विषयों में जिन पर हमें राष्ट्रमंडल तथा अन्य छः देशों के साथ विचार विमर्श करना है, अवश्य होगा ।

5. हमको भेजे गये एक अन्य संदेश में ब्रिटिश सरकार ने यह आशा प्रकट की है कि समुदाय के साथ बातचीत करते समय, 1962 में किये गये अन्तःकालीन करारों को पुनः लागू करना

सम्भव हो सकेगा, जिसमें ब्रिटेन में भारतीय हितों की रक्षा के लिये अतिरिक्त अन्त:कालीन तथा अन्य विशिष्ट व्यवस्थाओं के साथ एक व्यापक व्यापार करार पर बातचीत करने का वचन भी शामिल होगा।

6. मैं सभा को स्मरण कराना चाहूंगा कि समुदाय में ब्रिटेन द्वारा प्रवेश किये जाने के परिणामस्वरूप हमारे लिये खड़ी होने वाली समस्याओं के लिये हमने उस समय भी इन अन्त:-कालीन व्यवस्थाओं को उपयुक्त हल नहीं समझा था। तब से अब तक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नीति के क्षेत्र में काफी नई बातें हो चुकी हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक होगा और हमें आशा है कि इनके परिणाम स्वरूप हमारी समस्याओं के समाधान तथा हमारे हितों की रक्षा के बारे में अधिक रचनात्मक तथा आशाजनक दृष्टिकोण अपनाया जाना सम्भव हो सकेगा।

7. ब्रिटिश सरकार तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय दोनों ही हमारे हितों को भली प्रकार जानते हैं। जिस अवधि में ब्रिटेन अपने आयात को कम करने का प्रयत्न कर रहा था, उस समय भी हमारे कुल निर्यात का 19 प्रतिशत भाग ब्रिटेन में गया था। सूती कपड़े के भारतीय निर्यात के लगभग 30 प्रतिशत भाग की खपत ब्रिटेन में ही होती है। ब्रिटिश आयतकों द्वारा पसंद किये जाने वाले सूती कपड़े की विशिष्ट किस्मों के विषय में तो हमारे उत्पादक ब्रिटिश बाजार पर और भी अधिक निर्भर हैं। इनका निर्यात एक द्विपक्षीय करार के अन्तर्गत किया जाता है जो 1970 में समाप्त हो जायेगा और जिसको हम बहुत अधिक महत्व देते हैं।

8. हमारी खली के लिये भी ब्रिटेन ही प्रमुख बाजार है तथा भारत से होने वाले समस्त निर्यात का लगभग 35 प्रतिशत भाग ले रहा है। तम्बाकू के मामले में, भारतीय तम्बाकू का इस्तेमाल करने के लिये उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन देने के निमित्त सभी सम्भव उपाय करने के लिये ब्रिटेन वचनबद्ध है: हमारे कुल निर्यात का 40 प्रतिशत भाग ब्रिटेन के आयातकों द्वारा लिया जा रहा है। हमारी चाय का 58 प्रतिशत, अर्द्ध-कमायी खालों तथा चर्मों का 45 प्रतिशत, हमारी ऊन का 25 प्रतिशत, अरंडी तेल का 25 प्रतिशत कायर चटाइयों का 30 प्रतिशत और ऊनी नमदों का 45 प्रतिशत भाग ब्रिटेन में बिकता है।

9. ये तमाम उत्पाद ब्रिटेन में बहुत पसन्द किये जाते हैं। परन्तु यूरोपीय आर्थिक समुदाय वनस्पति तेलों जैसे तैयार कृषिगत उत्पादों पर 5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत, सूती वस्त्र तथा अन्य साधारण माल पर 14 से 32 प्रतिशत और अनिर्मित तम्बाकू जैसी वस्तुओं पर 50 प्रतिशत और इससे अधिक की दर पर आयात शुल्क लगाता है। समुदाय से माल के आयात पर ब्रिटिश टैरिफ समाप्त हो जाने से समुदाय को भी उसी प्रकार के लाभ प्राप्त हो जायेंगे जो हमें ब्रिटिश बाजार में प्राप्त हैं और ब्रिटेन में आयात होने वाले भारतीय उत्पादों पर समुदाय वाले टैरिफ लागू हो जाने से हमें और भी अधिक हानि होगी और भारतीय उत्पादकों, निर्माताओं तथा निर्यातकों को गम्भीर क्षति पहुंचेगी।

10. इन परम्परागत वस्तुओं में व्यापार के अलावा ब्रिटेन बढ़ते हुए विभिन्न प्रकार के भारतीय औद्योगिक उत्पादों के प्रवेश के लिये अधिमान्यता देता है। इन अधिमान्यताओं के समाप्त हो जाने से हमारे उस प्रयत्न को भारी आघात लगेगा जिसका उद्देश्य, अपने माल में विविधता लाकर, विदेशों से माल खरीदने के लिये अपनी आर्थिक क्षमता को बढ़ाना और विदेशों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करना है।

11. टैरिफ और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के भाग 4 को स्वीकार करके ब्रिटेन इस बात के लिये वचनबद्ध हो गया है कि वह विकासशील देशों के हित से संबद्ध उत्पादों पर वर्तमान टैरिफ तथा गैर-टैरिफ संबन्धी बाधाओं को नहीं बढ़ायेगा। आशा की जाती है कि ब्रिटेन तथा समुदाय के बीच भावी बातचीत में इस वचनबद्धता को ध्यान में रखा जायेगा।

12. सभा को उन प्रयत्नों के बारे में ज्ञात है जो ब्रुसेल्स स्थित भारतीय मिशन, समुदाय को द्विपक्षीय बातचीत के लिये तैयार करने के हेतु कर रहा है ताकि एक ऐसा व्यापक व्यापार करार हो सके जिसके अन्तर्गत समुदाय के बाजारों में भारतीय उत्पादों के प्रवेश के लिये सहायक परिस्थितियां बन सकें।

13. यह स्मरण होगा कि अक्तूबर और दिसम्बर 1963 में समुदाय के मंत्रियों की परिषद् ने भारत के हित से सम्बद्ध कुछ वस्तुओं पर, जिनमें चाय भी शामिल है, आयात शुल्क को स्थगित करने का निर्णय किया था। आशा है कि केनेडी वार्ता के दौरान इस स्थगन को अन्तिम निर्णय का रूप दिया जायेगा।

14. समुदाय के सदस्य राज्य "विकासशील देशों के निर्यात आय में उल्लेखनीय तथा शीघ्र वृद्धि करने के लिये अपेक्षित निश्चित् उपाय" करने के लिये और 'विकासशील देशों के निर्यातहितों से सम्बद्ध निर्मित तथा अर्द्ध-निर्मित उत्पादों पर लगे शुल्कों में अधिकतम कमी करने, और जहां भी सम्भव हो, उन्हें समाप्त करने के लिये, व्यापार वार्ताओं में उच्च प्राथमिकता देने' के लिये भी वचनबद्ध हैं।

15. हमें आशा है कि जब समुदाय के वार्ता करने वाले अधिकारी केनेडी राउण्ड की वार्ताओं से निबट जायेंगे तब वे हमारे साथ बहुत देर से प्रतीक्षित वार्ताओं की ओर ध्यान देंगे। इन वार्ताओं से समुदाय के बाह्य टैरिफों और उनकी वाणिज्यिक नीति में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं जो उनके सदस्य राज्यों के द्वारा दिये गये वचनों और उनके साथ हमारी व्यापारिक स्थिति की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगे।

16. विकासशील देशों के उत्पादों के सम्पन्न देशों में प्रवेश के लिये अधिमान्यता देने के प्रस्तावों के विषय में कुछ औद्योगिक राष्ट्रों के नेताओं ने हाल ही में जो वक्तव्य दिये हैं, उनसे सभा परिचित है। यदि इन वक्तव्यों से वह वचन पूरा हो जाता है जो उनमें सन्निहित है तो उस विरोधाभास की स्थिति का परिहार करना सम्भव हो सकेगा, जिसके अनुसार ब्रिटेन समुदाय में प्रवेश करने के फलस्वरूप कुछ विकासशील देशों को वे व्यापारिक सुविधाएँ देता है जो उन्हें समुदाय के बाजारों में प्राप्त हैं, परन्तु समुदाय के सदस्य देश कुछ अन्य विकासशील देशों को वे सुविधाएं नहीं देते जो इस समय उन्हें ब्रिटिश बाजार में प्राप्त हैं।

17. हमारे विचार में ब्रिटेन के प्रवेश के विषय में वार्ता करने वाले अधिकारियों के सामने, 1962 में तैयार किये गये अस्थायी करारों को पुनः लागू कराने का ही काम नहीं है, अपितु उस नई परिस्थिति को देखते हुए जिसकी मैंने चर्चा की है, उन वचनों को देखते हुए जिनकी ओर मैंने ध्यान आकर्षित किया है और निर्यात आय को बढ़ाने की हमारी घोर आवश्यकता को देखते हुए, उन करारों को नया रूप देने का काम भी है।

18. ब्रिटिश सरकार ने हमारे साथ यथा संभव शीघ्र विचार विमर्श आरंभ करने और उसके बाद वार्ता के दौरान सम्पर्क बनाये रखने के लिये विशेष व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया है।

हमने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है और मैं सभा को आश्वासन देता हूँ कि हम ब्रिटिश वार्ता अधिकारियों की भरसक सहायता करेंगे ताकि वे, समुदाय से अपनी बातचीत के दौरान, ब्रिटिश बाजार में हमारे हितों के लिये यथासम्भव अच्छे से अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें।

Shri Madhu Limaye : Even after so many years of independence, we continue to cling to the Commonwealth. I would like the Hon. Minister to inform regarding the action being taken to incaase trade with the Common Market. Who will lead us in those negotiations ? What steps are being taken to decrease our dependence on the Britishers ?

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मालूम होता है कि मंत्री महोदय ब्रिटेन के साझा बाजार में शामिल होने के दुष्प्रभाव जानते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में सरकार इस बात के लिए क्या उपाय कर रही है कि इससे हमारी नियति पर कोई प्रभाव न पड़े।

Dr. Ram Manohar Lohia (Kanauj) : The Hon. Minister has told the House regarding exports to Britain, but he has not referred to imports from Britain. If he had told that, we would have come to know that who is benefiting out of this trade. I would like to know from the Hon. Minister the date by which our dependence on Britishers would end ?

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : India cannot block Britain's entry into Common Market. I would, however, like to know whether Government would consider the question of severing connections with the Commonwealth in the light of Britain's entry in Common Market.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : माननीय मंत्री ने कहा है कि हम आशा करते हैं कि ब्रिटेन व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार के अन्तर्गत अपने वचन पूरे करेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि ऐसा न हो, तो उसका हमारे समूचे विदेशी व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : इससे हमें दूहरी हानि होगी। साझा बाजार के देशों से सीधे बातचीत करने के लिए तथा ब्रिटेन पर दबाव डालने के लिए कि वह देखे कि हमारे हित सुरक्षित हों, सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। यदि हमारे हित सुरक्षित न हों तो क्या हम इस मामले पर राष्ट्रमण्डल छोड़ने पर विचार करेंगे।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : A spokesman of the British Government had stated that the British Government will, even after entry into the Common Market, take steps to see that Indian interests do not suffer as aresult thereof. May I know whether the Government of India have asked British Government regarding the nature of such steps ? Whether they have given any suggestions regarding exemption of Indian goods from customs duty or certain concessions therein ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) यह जरूरी नहीं ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय साझा बाज़ार में शामिल होने के लिए प्रार्थना करने से ही ब्रिटेन को शामिल हुआ समझा जायेगा। इस बारे में साझा बाज़ार के अन्य सदस्यों की प्रतिक्रिया पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी तो स्थिति बहुत अस्पष्ट सी है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ने अन्य सदस्य देशों से कुछ रियायतें प्राप्त करने की कोशिश की है।

Shri Sidheshwar Prasad (Nalanda) : May I know whether Government's attention has been drawn to draft submitted by Britain to E. C. M. in which no mention has been made about the concessions to be given to India ? I want to know whether U. K. Government has given any assurance that it would look after the interests of India ?

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि ब्रिटेन ने राष्ट्रमंडल के अफ्रीकी तथा एशियाई सदस्य देशों के हितों की रक्षा के लिए क्या आश्वासन दिया है ?

श्री उमानाथ (पुदूकोटै) : सरकार को इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिये ।

श्री म. ला. सोंधी (नई दिल्ली) : वाणिज्य मंत्री के वक्तव्य से यह मालूम होता है कि जैसे यह ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किया गया हो । हमें यूरोप के अन्य देशों से भी सम्पर्क स्थापित करना चाहिये और सम्पूर्ण यूरोप की स्थिति को समझने का प्रयत्न करना चाहिये और ब्रिटेन पर अधिक निर्भर नहीं करना चाहिये ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदाई) : क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर गया है कि ब्रिटेन ने साझा बाजार में शामिल होने के अपने निर्णय से पूर्व आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड से सलाह की है और भारत जोकि राष्ट्रमंडल का सदस्य है की उपेक्षा कर दी गई है !

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : क्या भारत सरकार ने अन्य राष्ट्रमंडल देशों से सलाह की है, यदि हां, तो क्या वे देश भारत के दृष्टिकोण से सहमत हैं ?

श्री अमृत नाहाटा (बाडमेर) : क्या यह सरकार महसूस करती है कि ब्रिटेन के यूरोपीय साझा बाजार में शामिल होने वाले प्रभाव को समाप्त करने के लिये एक अफ्रीकी–एशियाई बाजार स्थापित किया जाना चाहिये, यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : मैं जानना चाहता हूं कि ब्रिटेन के इस बाजार में शामिल होने से भारत के निर्यात व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा और निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री दामानी (शोलापुर) : ब्रिटेन के साझा बाजार में शामिल हो जाने से भारत के निर्यात व्यापार पर बुरा प्रभाव न पड़ने देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या ब्रिटेन हमें क्षतिपूर्ति कर देगा ?

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : ब्रिटेन ने हमारे देश से इस बारे में मश्विरा तक नहीं किया है । क्या हमें राष्ट्रमंडल से सम्बन्ध विच्छेद नहीं कर लेना चाहिये और अफ्रीकी एशियाई देशों के साथ मिलकर एक साझा बाजार नहीं बनाना चाहिये ?

इसके पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात 2 बजे म० प० पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassemble after lunch at Fourteen of the clock

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए }
{ Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

अविलम्बीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना-जारी

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE-CONTD.

पश्चिमी बंगाल के श्रम मंत्री द्वारा मई दिवस के अवसर पर भाषण का प्रसारण

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के. के. शाह) : मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब मंत्री महोदय से अनुरोध किया गया था कि 'घेराव' पर बोलें तो उन्होंने कहा कि वह मई दिवस पर बोलेंगे ।

श्री स. मो. बनर्जी (कानपुर) : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस पार्टी आकाशवाणी को अपने दल के प्रचार के लिये प्रयोग में नहीं ला रही है ? क्या इस मामले में एक गैर-कांग्रेसी मंत्री से भेद-भाव नहीं बरता गया है ? मैं जानना चाहता हूँ कि मई दिवस के उपलक्ष्य में श्री सुबोध बनर्जी को भाषण न करने देने के क्या कारण हैं ?

श्री के. के. शाह : मैं इस बारे में पूछताछ करूंगा । सभी दलों को चाहिये कि किसी अन्य दल का नाम बीच में न लायें । दूसरे हमें संविधान के उपबन्धों का पूरा पूरा आदर करना चाहिये । लोकतन्त्र की सफलता में ये दो बातें बहुत आवश्यक हैं । हमारे अधिकारियों को अपना कार्य करते हुए किसी प्रकार के बोझ में नहीं दबाना चाहिये । बल्कि हम सबको चाहिये कि उनकी हर प्रकार की सहायता करें और उनको सहयोग दें । यहाँ पर अब विभिन्न अर्थ निकालने की बात है ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I want that the statement should be placed on the table of the House.

श्री के. के. शाह : मैं तो चाहता हूँ कि किसी भी दल के नाम का उल्लेख न किया जाये । यह एक स्वस्थ सिद्धान्त है ।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : Sir, I rise on a point of order. It is not correct that the Congress Party has never mentioned the names or other parties on All India Radio. Here I have a speech of Shri Gulzari Lal Nanda.......

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें कोई औचित्य प्रश्न नहीं है ।

Shri George Fernandes (Bombay South) : The Hon. Minister is talking about principle but there is no principle at all. I would like to tell you.........

अध्यक्ष महोदय : इसको सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : कार्यवाही के वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मंत्री महोदय ने अभी कहा कि सामान्य अधिकारी इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकते। मेरा कहना भी यही है कि आप अधिकारियों को राज्य के मंत्रियों विशेषकर विरोधी दलों के भाषणों में हेर फेर करने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। मेरा प्रश्न यह है कि सरकार आकाशवाणी को स्वायत्त निगम में बदलने से क्यों हिचकिचा रही है जैसा कि चन्दा आयोग ने सिफारिश की है। यह मामला गत 10 अथवा 15 वर्षों से सरकार के विचाराधीन है।

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री श्री (के. के. शाह) : वे इस पर बातचीत करने के लिए सहमत नहीं हुए थे। यदि बातचीत के बाद राय में कुछ भेद होता तो मंत्री से परामर्श किया जा सकता था। परन्तु उन्होंने कहा था कि मैं चर्चा करना नहीं चाहता और कि मैं अपने प्रसारण को ही रद्द कर दूँगा। अलग-अलग लोग उक्त वक्तव्य का अलग-अलग तरीके से विवेचन कर सकते हैं।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मेरा निवेदन केवल इतना था कि यदि किसी मंत्री का मामला हो तो अधिकारी को दिल्ली में अपने अधिकारियों से परामर्श करना चाहिये।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : यह संहिता कांग्रेस सरकार द्वारा बिना दूसरों से परामर्श किये बनाई गई थी। इस घटना के पश्चात पश्चिमी सरकार के सम्पूर्ण मंत्रिमंडल ने आकाशवाणी से प्रसारण न करने का निर्णय किया है अब जबकि देश के राजनैतिक दृश्य में परिवर्तन हो गया है क्या सरकार सभी राज्य सरकारों तथा अन्य दलों के परामर्श से ऐसी संहिता बनाने के प्रश्न की वांछनीयता पर विचार करेगी जो कि सभी को स्वीकार हो ताकि आकाशवाणी को महानिदेशक या कोई अधिकारी अपनी इच्छा से इसकी विवेचना न कर सकें।

श्री के. के. शाह : यदि कोई अन्य तरीका हो अथवा संचालन की कोई अच्छी संहिता हो तो हम सदा उस पर चर्चा कराने के लिए तैयार हैं।

श्री त्रिदिबकुमार चौधरी : क्या मंत्री महोदय को पश्चिमी बंगाल सरकार अथवा उसके मुख्य मंत्री से कोई पत्र प्राप्त हुआ है और क्या उन्होंने उनके बातचीत की कोई पेश-कश की है।

श्री के. के. शाह : जहां तक मुख्य मंत्री का सम्बन्ध है कुछ दिन पूर्व उनसे मुझे एक पत्र मिला है और हम अवश्य ही मिलकर उस पर चर्चा करेंगे।

Shri Yashpal Singh (Dehra Dun) : Having been given the right of criticism under the constitution. I would like to know whether it was proper for the Director to cancell the speech of a minister ? I would also like to know the part of the speech which was unconstitutional ?

श्री के. के. शाह : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं। सिद्धान्त यह है कि किसी भी दल के नाम नहीं लिया जाना चाहिए।

Shri Atal Behari Vajpayee (Balrampur): I agree with the Hon. Minister that political parties should not be mentioned by name in speeches over the All India Radio.

But I don't know since when that code of conduct is being implemented. I would like to know whether keeping in view the changed political picture of the country Government would like to formulate new code of conduct in consultation with State Governments or other political parties or the Government will reconsider the present code of conduct which is being implemented ? Secondly is it not a strange thing that an official of the All India Radio has cancelled the speech of a Minister and Chief Minister ? In the circumstances whether it is not possible for the official to inform the person concerned through the Minister in Delhi regarding cancellation or amendement of the speech.

श्री के. के. शाह : यदि किसी दल के नेता अथवा किसी सदस्य के पास कोई सुझाव हो तो मैं उस पर चर्चा करने को तैयार हूं। परन्तु यदि हम यह कहें कि किसी दल का नाम नहीं लिया जाना चाहिए तो किसी भी अधिकारी के लिए इस बारे में निर्णय करना आसान है ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Shri Gulzari Lal Nanda criticised the left Communist Party by name over the All India Radio when the present Prime Minister was incharge of Information and Broadcasting ministry. I would like to know whether any action would be taken against the official who passed the speech at that time. I would also like to know whether it is the policy of the All India Radio not to mention the political parties or other concerns such as Birlas or Tatas because it was objected to when few years back I mentioned their names in a broadcast for the Bombay Centre of the All India Radio ? I would request the Hon. Minister to place a copy of the speech in question on the Table of the House.

श्री के. के. शाह : जब बिहार में इस प्रकार की घटना हुई थी तो सर्वप्रथम माननीय सदस्य ने ही ध्यान दिलाने वाली सूचना रखी थी। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि स्वयं माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि किसी दल का नाम न लिया जावे । नन्दा जी के मामले के बारे में मैं हां अथवा ना में कुछ नहीं कह सकता ।

श्री सेभियान (कुम्बकोणम) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 368 के अन्तर्गत यदि कोई मंत्री राज्य के किसी पत्र आदि का उल्लेख करता है तो उसको उक्त पत्र सभा पटल पर रखना चाहिये ।

श्री के. के. शाह : मुझे उस भाषण को सभा पटल पर रखने में कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री श्री अ. डांगे (बम्बई-मध्य दक्षिण) : मैं जानना चाहता हूँ कि आपत्ति कांग्रेस शासन अथवा इन्कलाब जिन्दाबाद के शब्दों पर है ।

Shri George Fernandes : The Mayor of Bombay wanted to make an appeal over the Poona Station of the All India Radio for the help of the Bihar but the permission was not granted to him by the Director of the said station. When some Congress Member of Rajya Sabha approached the hon. Minister the necessary permission was granted. The Hon. Minister should clarify the position.

श्री के. के. शाह : किसी सदस्य के मिलने तथा किसी के पत्र के मुझे मिलने से पूर्व ही जैसे ही पूना से इस बारे में मुझसे कहा गया अनुमति दे दी गई थी। सामान्य नियम यह है कि आकाशवाणी द्वारा किसी को 'चन्दा' आदि के लिए अपील करने की अनुमति नहीं दी जाती ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : तथा कथित आचरण संहिता का भूतकाल में कई बार उल्लंघन किया गया है । सरकार के भूतपूर्व गृह-कार्य मंत्री ने इसका उल्लंघन किया है । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आकाशवाणी पर राजनैतिक दलों का ही नाम नहीं लिया जा सकता अथवा भारत के भिन्न देशों का भी अपमानजनक तरीकों से नाम नहीं लिया जा सकता । यदि ऐसा है तो मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ जबकि कई साम्यवादी देशों के विरुद्ध प्रचार किया गया है जो कि भारत के मित्र हैं । इसको देखते हुए क्या कारण है कि मंत्री महोदय कांग्रेसी तथा गैर-कांग्रेसी राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से मिल बैठ कर इस समूची संहिता पर विचार विमर्श नहीं करते तथा आवश्यक परिवर्तन नहीं करते ?

श्री के. के. शाह : यह प्रथम समय है जबकि इस आचरण संहिता पर आपत्ति की गई है । यदि मेरे ध्यान में कोई ऐसी बात लाई गई कि किसी मित्र देश के विरुद्ध प्रचार किया जा रहा है तो मैं सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करूँगा ।

श्री तेन्नेटि विश्वानाथम (विशाखापतनम्) : क्या मैं जान सकता हूँ कि यह आचरण संहिता कहाँ पर उपलब्ध है ।

श्री के. के. शाह : यह सप्लाई की जा सकती है ।

श्री जि. मो. बिस्वास (बाँकुरा) : इस चर्चा से एक बात स्पष्ट है कि एक बार बिहार के मुख्य मंत्री ने किसी राजनैतिक दल का उल्लेख किया था तथा एक भूतपूर्व गृह-मंत्री श्री नन्दा ने वामपंथी साम्यवादियों का नाम लिया था । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन स्टेशन निदेशकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है जिन्होंने इन भाषणों की अनुमति दी थी और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री के. के. शाह : जहाँ तक नन्दा जी के भाषण का सम्बन्ध है मुझे रिकार्ड देखने का अभी अवसर नहीं मिला है । मैं इस बारे में जाँच करूँगा ।

श्री उमानाथ (पुद्दकोटै) : जहाँ तक अन्य दलों का सम्बन्ध है मंत्री महोदय को 1949 से पुराना इतिहास देखने का अवसर मिला है । इसका अर्थ यह है कि इन्होंने इस बारे में सभी पुराना इतिहास देखा हैं कि माननीय मंत्री नन्दा जी वाले मामले को जानबूझ कर टाल रहे हैं । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय के लिये किसी विशेष बात को टालना उचित है जो-कि सरकार को असुविधाजनक हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय पहिले ही कह चुके हैं कि वह इस बारे में जाँच करेंगे ।

श्री उमानाथ : क्या वह किसी तथ्य को दबा सकते हैं जो कि उनको असुविधाजनक हो ।

श्री के. के. शाह : यहां मेरे रिकार्ड का प्रश्न है, आकाशवाणी पर दिये गये भाषणों की बड़ी-बड़ी फाइलें हैं । रिकार्ड कोई छोटा सा नहीं है ।

श्री उमानाथ : महोदय उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । सरकारी रिकार्ड एक ही है ।

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : सूचना तथा प्रसारण मंत्री पर नन्दा जी के आकाशवाणी पर भाषण प्रसारित करने के बारे में सूचना को छिपाने का आरोप लगाना अनुचित है। आकाशवाणी से विभिन्न व्यक्तियों के भाषण प्रसारित होते हैं, उन्होंने उन दो भाषणों का उल्लेख किया जिनकी जानकारी उन्हें थी। यदि कोई ऐसी सूचना मिली तो वह सभा को बता दी जायगी। **(व्यवधान)**

डा. रानेन सेन (बारसात) : मंत्री महोदय ने भाषण पढ़ते समय कुछ कठिनाइयों का उल्लेख किया था जो आकाशवाणी, पटना ने तत्कालीन बिहार के मुख्य मंत्री के साथ अनुभव की थीं और संचार व्यवस्था में गड़बड़ी के कारण स्टेशन डायरेक्टर, पटना, दिल्ली के साथ सम्पर्क स्थापित करने में असफल रहा। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या इस मामले में भी जिसका सम्बन्ध गैर कांग्रेसी सरकार के एक मंत्री के भाषण से है, क्या स्टेशन डायरेक्टर इस सम्बन्ध में मंत्री या उपमंत्री के विचार जानने के लिये ने दिल्ली से सम्पर्क स्थापित किया था यदि हाँ, तो मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में क्या कहा था ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के. के. शाह) : मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में चर्चा करने से इन्कार कर दिया और प्रसारण रद्द कर दिया गया। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : इतने माननीय सदस्यों का एक साथ उठ कर खड़ा हो जाना अनुचित है। मंत्री महोदय ने बताया कि जब स्टेशन डायरेक्टर ने सूचना दी कि सम्बन्धित मंत्री ने अपनी पांडुलिपि को पुनरीक्षित करने या उस सम्बन्ध में बातचीत करने से इन्कार कर दिया है तो उनसे सलाह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। सही स्थिति यह है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : आप सभा में शांति बनाये रखने के लिये उप प्रधान मंत्री को उठने के लिये क्यों प्रेरित कर रहे थे। यह बात अनुचित है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सरकारी बेंचों की ओर देखने का अधिकार है (**व्यवधान**) यदि कुछ सदस्य इस उत्तर से संतुष्ट नहीं तो इस विषय की चर्चा किसी और रूप में उठाई जा सकती है। इस प्रकार सभा का समय नष्ट नहीं किया जाना चाहिये।

श्री स. मो. बनर्जी (कानपुर) : बिहार के विषय में तो टेलीफोन खराब हो गया था और दिल्ली से सम्पर्क स्थापित न हो सका। परन्तु यहाँ प्रश्न यह है कि 'मई दिवस' के महत्वपूर्ण अवसर पर जब पश्चिम बंगाल के श्रम विभाग के राज्य मंत्री को आकाशवाणी से भाषण देने के लिये मनाही की जा रही थी, तो ऐसी अवस्था में क्या स्टेशन डाइरेक्टर, कलकत्ता ने, आकाशवाणी नई दिल्ली के महानिदेशक या मंत्री या किसी ओर से सम्पर्क स्थापित किया था। प्रश्न का टालमटोल करने की बजाय उत्तर दिया जाना चाहिये और यदि मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिये समय की आवश्यकता है, तो वह समय के लिये कह सकते हैं।

श्री के. के. शाह : क्योंकि मंत्री महोदय ने उस सम्बन्ध बातचीत करने से इन्कार कर दिया तो स्टेशन डायरेक्टर ने दिल्ली से सम्पर्क स्थापित करने की आवश्यकता ही नहीं

समझी। जब स्टेशन डायरेक्टर को प्रदर्शन और घेराओ की धमकी दी गई और उसने हमसे सुरक्षा के लिये प्रार्थना की तो हमने मुख्य मंत्री से सम्पर्क स्थापित किया। **(व्यवधान)**

डा० रानेन सेन : मंत्री महोदय गलत बात कह रहे हैं, उन्हें त्याग-पत्र दे देना चाहिये। **(व्यवधान)** वह सभा को पथभ्रष्ट कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को इस प्रकार के आरोप नहीं लगाने चाहिये। मंत्री महोदय ने केवल इतना ही कहा है कि उस दिन उनसे सम्पर्क स्थापित नहीं किया गया था।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मंत्री महोदय ने कहा है कि जब स्टेशन डायरेक्टर को घेराओ की धमकी दी गई तो उन्होंने मंत्री महोदय से टेलीफोन पर सम्पर्क स्थापित किया। **(व्यवधान)**

डा० रानेन सेन : मंत्री महोदय ने गलत बात कही है। स्टेशन डायरेक्टर, कलकत्ता के घर मामूली प्रदर्शन हुआ था घेराओ नहीं।

श्री ह० प० चटर्जी (कृष्णनगर) : मंत्री महोदय को इस्तीफा देना चाहिये अध्यक्ष की पीठ के आदेशानुसार निकाला गया। **(व्यवधान)**

Shri R. Shastri (Patna) : In view of the sentiments expressed in the House, whether Hon'ble Minister is ready to admit his mistake and the lapse on the part of the Government.

उपाध्यक्ष महोदय : यह अपना-अपना विचार है।

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore) : The way, the Hon'ble Minister has answered the questions put to him, shows that he knows nothing about his Department. I want to know the reason for branding the left communists, the agents of China. Where was the code of conduct at that time. Has the Minister of West Bengal not been insulted when he was deprived of broadcasting speech at All India Radio.

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

श्री वासुदेवन नायर (परिमाडे) : आकाशवाणी से कई कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं क्या यह आचार-संहिता सत्र पर लागू होती है और यदि यह बात ठीक है तो क्या उस आचार संहिता का सख्ती से अनुकरण किया जाता है। प्रायः आकाशवाणी का प्रयोग कांग्रेस दल को प्रोत्साहित करने के लिये किया जाता है। यदि आकाशवाणी से प्रसारित 22 मई के 'टूडे इन पार्लियामेंट कार्यक्रम' को पढ़ा जाय तो उससे मेरी उक्त बात का प्रमाण मिल जायेगा। यहां तक इस कार्यक्रम में विरोधी दलों की हँसी की गई थी।

श्री के० के० शाह : मैं 22 मई की उक्त पांडुलिपि को देखूँगा और आचार संहिता के अनुसार उस पर कार्यवाही करूँगा। **(व्यवधान)**

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न

है। क्या बहुत से सदस्यों का एक साथ खड़े हो जाना और शोर मचाना सभा के नियमों के अनुकूल है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा में विभिन्न दलों के नेताओं से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने दल के सदस्यों से सम्मानजनक ढंग से व्यवहार करने के लिये कहें।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : The Chief Minister of Bihar was not permitted to broadcast his speech from the A. I. R. It was also clear in the orders issued to that effect that the speech should not be broadcasted till further orders. In spite of this, the speech was broadcasted from A. I. R. I, therefore, want to know whether action has been taken against the Station Director, Patna for his lapse ?

It is understood that State Minister of Labour, West Bengal wanted to say that revolution has not taken place so far. In fact we want economic and social revolution as no one is satisfied with the present state of affairs in the country. (Interruptions) I want to know whether you will ban the use of word 'revolution' ?

श्री के० के० शाह : जहाँ तक पटना रेडियो स्टेशन के अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का सम्बन्ध है, मेरे पूर्ववर्ती ने इस मामले की जांच पड़ताल की थी परन्तु उन्होंने उस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझा। **(व्यवधान)** । मुख्य मंत्री का जब उनके प्रसारण की ओर ध्यान दिलाया गया तो उन्होंने विरोध स्वरूप कह दिया कि मैं आकाशवाणी भवन कभी भी नहीं जाऊँगा, जिसका सबने स्वागत किया।

यूरोपीय साझा बाज़ार (इ० सी० एम०) में प्रवेश के लिये ब्रिटेन द्वारा फिर से किये गये आवेदन के बारे में वक्तव्य—जारी

STATEMENT ON U.'s RENEWED APPLICATION FOR ENTRY IN TO E. C. M.—Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : अब वाणिज्य मंत्री संसद सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर देंगे।

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : मैं एक-एक माननीय सदस्य का नाम लेने की बजाय उनके प्रश्नों का विषयानुसार उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। कुछ सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया था कि हमारा विदेशी व्यापार मुख्यतः ब्रिटेन के साथ होता है और श्री मधु लिमये ने कहा था कि हमारा उस देश के साथ 40 प्रतिशत व्यापार है जबकि वास्तव में यह लगभग 19 या 20 प्रतिशत बनता है। यह सच है कि ब्रिटेन के साथ हमारा काफी व्यापार चलता है। स्वतंत्रता पश्चात् हालांकि ब्रिटेन के साथ हमारा व्यापार बढ़ गया है परन्तु विभिन्न देशों के साथ व्यापार बढ़ जाने के कारण ब्रिटेन के साथ व्यापार का प्रतिशत काफ़ी कम हो गया है। पूर्व-यूरोपीय देशों तथा रूस के साथ हमारा काफी व्यापार है। हमारा व्यापार यूरोपीय साझे बाज़ार, अमरीका, अफ्रीकी देशों तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ भी है और हमने निरन्तर प्रयास करके यूरोपीय सांझे बाजार के तीन देशों—फ्रांस, पश्चिम जर्मनी और इटली के साथ परस्पर व्यापारिक समझौता कर लिया है। इसके अतिरिक्त हमने इस सम्बन्ध में

उक्त साझे बाज़ार के अन्य देशों से भी सम्पर्क स्थापित किया है । हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ब्रिटेन यूरोपीय साझा बाज़ार में शामिल हो रहा है, भारत में नहीं । इसलिये अपने हित का तो वह स्वयं ध्यान रखेंगे, हाँ हमें आशा है कि उक्त साझे बाज़ार में शामिल होते समय वह हमारे दोनों देशों के बीच व्यापारिक सम्बन्धों का ध्यान भी अवश्य रखेंगे। ब्रिटेन से निर्यात लगभग 175 करोड़ रुपये का तथा आयात लगभग 180 करोड़ रुपये का होता है । परन्तु अपने हितों का ध्यान रखते हुये उक्त साझे बाज़ार में शामिल होने का निश्चय वे स्वयं करेंगे वैसे वे हम से इस विषय में बातचीत करते रहते हैं और अब भी उनके निमन्त्रण पर हमारे दो प्रतिनिधि उनसे बातचीत करने के लिये ब्रिटेन जा रहे हैं । हमने साझे बाज़ार के साथ सीधे रूप से भी बातचीत की है और कुछ करों में कमी और कुछ कर स्थगित करवाने में हम सफल हुए हैं । ब्रिटेन के यूरोपीय साझे बाज़ार में शामिल होने से कितनी हानि होगी, यह कहना कठिन है, परन्तु उसका प्रभाव तो हमारे व्यापार पर अवश्य पड़ेगा। यह अलग बात है कि यदि हमारा साझे बाज़ार के साथ समझौता हो गया तो हमें हानि नहीं होगी । यूरोपीय साझा बाज़ार में शामिल होने के लिये बातचीत के दौरान हम भी ब्रिटेन की सहायता करेंगे ताकि हम अपने हितों का ध्यान रख सकें । जहाँ तक राष्ट्रमंडल के साथ सम्बन्धों का विषय है यह एक राजनीतिक मामला है और इस सम्बन्ध में यदि वैदेशिक कार्य मंत्री से प्रश्न पूछे जायें तो उपयुक्त होगा । एशियाई तथा अफ्रीकी देशों की समस्याएं भिन्न भिन्न हैं हम एशिया के सदस्यों की समस्याओं से परिचित हैं, वे लगभग एक जैसी हैं, हमें आशा है कि हमें उनका पूरा सहयोग मिलेगा ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि कौन से देश हमारे सुझावों से सहमत हैं ।

श्री दिनेश सिंह : यह कोई सुझाव विशेष नहीं है, परस्पर हित के ऐसे कई सुझाव हैं जिनके बारे में बातचीत होगी । क्योंकि जो सुविधाएँ हम चाहते हैं वह भी उनके लिये कहेंगे ।

श्री उमानाथ (पुद्दूकोटै) : यदि ब्रिटेन यूरोपीय साझा बाज़ार में शामिल होता है तो वह भारत पर भी दबाव डालेगा कि वह भी शामिल हो क्योंकि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं । मैं इस बात का आश्वासन चाहता हूँ कि हम उनके दबाव के आगे नहीं झुकेंगे ।

श्री दिनेश सिंह : अभी तक हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं । अभी तक हमने साझे बाज़ार अथवा साझे बाज़ार के अलग-अलग देशों से बातचीत की है ।

श्री उमानाथ : क्या सरकार सभा को इस बात का आश्वासन दिलायेगी कि हम किसी भी स्थिति में यूरोपीय साझा बाज़ार में शामिल नहीं होंगे या सहयोगी सदस्य की स्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे ।

श्री दिनेश सिंह : मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारा सहयोगी सदस्य के रूप में शामिल होने का कोई विचार नहीं ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : चाहे कितने ही दबाव क्यों न हों ।

श्री दिनेश सिंह : मैं सदा के लिये वचन नहीं दे सकता।

श्री उमानाथ : वर्ष 1961 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने इस बात का आश्वासन दिया था। मैं पुनः वही आश्वासन चाहता हूँ।

श्री दिनेश सिंह : यदि हमने यूरोपीय साझा बाजार में शामिल होने के बारे में सोचा तो इस प्रकार का प्रस्ताव सभा के सामने रखा जायेगा और यदि सरकार ने कोई आश्वासन दिया है तो सरकार उस पर अडिग रहेगी। मैं सभा को इतना बता देना चाहता हूँ कि व्यापारिक एवं आर्थिक मामले तकनीकी मामले होते हैं, इस सम्बन्ध में बातचीत के दौरान काफी कठिनाई होता है। इस सम्बन्ध में मैं सभी माननीय सदस्यों से सहयोग के लिये निवेदन करता हूँ। बातचीत पूरी होने के बाद हम सभा को अवश्य सूचित करेंगे।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : पिछली बार ब्रिटेन ने जब यूरोपीय साझा बाजार की सदस्यता के लिये आवेदन दिया था तो उन्होंने कहा था कि भारत के हितों का ध्यान रखा जाय, परन्तु मुझे पता चला है कि इस बार ऐसा नहीं किया गया। क्या यह बात ठीक है ?

श्री दिनेश सिंह : अब भी उन्होंने ऐसा किया है।

समिति के लिये निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं डा० त्रिगुण सेन की ओर से प्रस्ताव करता हूँ :

> "कि प्रौद्योगिक संस्थाएं अधिनियम, 1961 की धारा 31 (2) (के) और 32 (1) और (4) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, निर्वाचन की तारीख से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 31 (1) के अन्तर्गत स्थापित परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

पहला प्रतिवेदन

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के पहले प्रतिवेदन से, जो 22 मई 1967 को सभा में उपस्थापित किया गया था सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

श्री उमानाथ (पुद्दूकोटै) : एकस्व विधेयक की क्या स्थिति है। पिछले सत्र में जब इस विधेयक को लाने में देरी करने का आरोप लगाया गया था तो सरकार ने कहा था कि संयुक्त समिति ने अभी इस पर पूरी तरह विचार नहीं किया था, इसलिये देरी हुई। बाद में इस सम्बन्ध में प्रस्ताव तो पुनः स्थापित हुआ था परन्तु उसके बाद की स्थिति का पता ही नहीं। अब जबकि गत लोक सभा के प्रस्ताव निकाले जा रहे हैं, तो यह प्रस्ताव अब तक क्यों नहीं लाया गया। इस विधेयक को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इसी प्रकार संविद् श्रमिक (विनियमन और उत्पादन) विधेयक की भी स्थिति मालूम नहीं। क्या मंत्री महोदय इन विधेयकों की स्थिति के बारे में प्रकाश डालेंगे ?

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : दिल्ली माध्यमिक शिक्षा विधेयक पर इस सभा का कितना समय व्यय किया गया था ? संयुक्त समिति ने भी इस पर विचार किया समिति का प्रतिवेदन भी सभा पटल पर रखा गया, परन्तु अब तक वह विधेयक अधिनियम का रूप नहीं ले सका।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार के मामले समिति की आगामी बैठक में उठाये जाने चाहिये।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The time allotted for general discussion on Railway Budget is 4 hours and 8 hours for discussion on the demands of grants. As the time is insufficient, it should be extended by two hours in each case.

डा० राम सुभग सिंह : श्री उमानाथ ने यह आरोप लगाया है कि हम किसी के दबाव के अन्तर्गत काम कर रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत बात है। यह मामला कार्य मंत्रणा समिति की आगामी बैठक में उठाया जा सकता है। जहाँ तक रेलवे बजट पर चर्चा के लिये समय बढ़ाने का सम्बन्ध है, यह समय सभी दलों की सहमति से निर्धारित किया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के पहले प्रतिवेदन से जो 22 मई 1967 को सभा में उपस्थापित किया गया था सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

भ्रष्टाचार-निरोध विधियां (संशोधन) विधेयक

ANTICORRUPTION LAWS (AMENDMENT) BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं यशवन्तराव चव्हाण की ओर से भ्रष्टाचार-निरोध विधियों में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भ्रष्टाचार निरोध विधियों में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ।

भ्रष्टाचार-निरोध विधियां (संशोधन) अध्यादेश 1967 के बारे में विवरण

STATEMENT RE: ANTICORRUPTION LAWS (AMENDMENT) ORDINANCE 1967

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं भ्रष्टाचार-निरोध विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1967 द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ, जैसा कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71 (1) के अन्तर्गत अपेक्षित है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 362/67**]

संघ लोक सेवा आयोग के 1964-65 के बारे में प्रतिवेदन, प्रस्ताव-जारी

MOTION RE: REPORT OF UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION, 1964-65—Contd.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : संघ लोक सेवा आयोग के इस प्रतिवेदन के विषय में बोलते हुए मैंने पिछली बार कहा था कि यह प्रतिवेदन बहुत सुन्दर है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। सुन्दर मैंने इसलिए कहा था कि इस प्रतिवेदन का एक ही पुराना ढांचा है। नाम बदल दिए गये हैं परन्तु दृष्टिकोण वही हैं। इस परिवर्तनशील संसार में संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन अपरिवर्तनशील मालूम होता है। इस प्रतिवेदन का विषय वही है, इसकी शैली, शब्द और पैराग्राफ तक वही हैं। इस सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग का यदि कोई पिछला प्रतिवेदन देखा जाय तो पता चलेगा कि इन दोनों में अधिक अन्तर नहीं।

संघ लोक सेवा आयोग के सभी सदस्य सेवा-निवृत व्यक्ति है और इसलिए वे भारत के आधुनिक युवकों तथा युवतियों की आशाओं एवं आकांक्षाओं से अनभिज्ञ होते हैं इस प्रकार के वयोवृद्ध व्यक्ति यदि और कहीं न जा सकें तो राज्य सभा में जा सकते हैं। इस आयोग का स्वरूप बदलना चाहिये। यहां ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो आज के भारत और 20 वर्ष बाद के भारत के अन्तर के बारे में सोच सकें। इस लिए इस आयोग में युवक सदस्य नियुक्त किये जाने चाहियें।

{ **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य पीठासीन हुए**
Shri C. K. Bhattacharya *in the Chair* }

इस प्रतिवेदन में कहा गया है कि यहां विभिन्न प्रकार की परीक्षायें होती हैं। कुछ व्यक्तियों के लिखित परीक्षा के साथ 2 साक्षात्कार भी होता है और कुछ व्यक्तियों का केवल

साक्षात्कार ही होता है । वास्तव में संघ लोक सेवा आयोग को लोगों को रोजगार दिलाने के लिए एक-सा तरीका अपनाना चाहिए । कुछ लोग लिखित या क्रियात्मक परीक्षाओं के माध्यम से नियुक्त किये जाते हैं और कुछ लोग अन्य तरीकों से नियुक्ति के योग्य समझते हैं । यह अनुचित है । सभी व्यक्तियों के लिए नियुक्तियों के सम्बन्ध में एक ही प्रकार का तरीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए ।

संघ लोक सेवा आयोग भारत के उच्चतम न्यायालय की तरह होना चाहिए । इस आयोग का बहुत से काम राज्य आयोगों को सौंप देने चाहिए । राज्य आयोगों को अधिक शक्तियां दी जानी चाहिएँ और यदि कोई अन्याय या किसी अन्य असंगति का मामला हो तो इस प्रकार के मामले संघ लोक सेवा आयोग में आने चाहिये । इस आयोग-द्वारा तो केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा आर भारतीय विदेश सेवा की परीक्षायें की जानी चाहिए । अन्य सेवाओं को राज्य आयोगों को ले लेना चाहिये । संघ लोक सेवा आयोग की गरिमा को बढ़ाया जाना चाहिए । उसके काम को कम करना चाहिए ताकि वह वास्तव में कोई उपयुक्त कार्य कर सके ।

मुझे इस आशय की कई सूचनायें प्राप्त हुई हैं और जो ठीक मालूम होती है कि जब कभी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कोई नियुक्त की जानी होती है तो आयोग पर कई प्रकार के दबाव डाले जाते हैं जिसके फलस्वरूप आयोग अपना काम निष्पक्ष रूप से नहीं कर सकता । इस सम्बन्ध में डा० नारायण मेनन का उदाहरण दिया जा सकता है । डा० मेनन की नियुक्ति आकाशवाणी के निदेशक के पद के लिए होनी थी । पहले तो उक्त आयोग ने उनकी नियुक्ति से सम्बन्धित प्रस्ताव को ठुकरा दिया परन्तु बाद में किसी कारणवश उनकी नियुक्ति फिर हो गई । संघ लोक सेवा आयोग को एक ऐसा निकाय बनाना चाहिए जिस पर इस प्रकार के दबाव न डाले जा सकें । अखिल भारतीय सेवाओं के सम्बन्ध में नियुक्तियों के लिए अखिल भारतीय दृष्टिकोण होना चाहिए ताकि ऐसे व्यक्ति चुने जायें जो देश की सेवा के लिए उपयुक्त हों ।

श्री अ० कु० किस्कु (झाडग्राम) : पिछले 20 वर्षों से हमारा शासक दल समाजवाद का नारा लगा रहा है । दूसरे शब्दों में सरकार का कहना है कि वह पिछड़ी हुई जातियों की सहायता करती रही है । इस प्रतिवेदन में भी सुरक्षित पदों की नियुक्तियों के विषय में चर्चा की गई है । मेरे विचार में 20 वर्ष का समय पर्याप्त होता है और अब असुरक्षित पदों पर भी अनुसूचित तथा जन-जातियों के सदस्यों की नियुक्ती की जानी चाहिए । दूसरी ओर इतनी बात पर ही संतोष व्यक्त किया गया है कि सुरक्षित पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की नियुक्ति की गई है । आज भी समस्त पश्चिम बंगाल में अनुसूचित-जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का एक भी सदस्य भारत प्रशासन सेवा का अधिकारी नहीं । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में भी इस सम्बन्ध में काफी असन्तोष व्यक्त किया गया है । इसलिए हमें गम्भीरता पूर्वक सोचना है कि क्या सरकार निचले दर्जे के व्यक्तियों को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए पूरी कोशिश करती रही और क्या इस सम्बन्ध उसे कुछ सफलता मिली है । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय दर्जे के केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में उक्त जातियों के सदस्यों की वृद्धि संतोषजनक नहीं हुई । गृह मंत्रालय के अनुसार

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है जबकि वास्तव में यह वृद्धि नगण्य है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नियोजन सम्बन्धी गोष्ठी में की सिफारिशों का भी उल्लेख किया गया है। स्वर्गीय प्रधान मन्त्री, श्री जवाहर लाल नेहरू ने इस गोष्ठी की सिफारिशों को ठोस, व्यावहारिक तथा समर्थन योग्य बताया था, परन्तु इन्हें अब तक कार्यान्वित नहीं किया गया। यदि सारे प्रतिवेदन का अध्ययन किया जाय तो उससे स्पष्ट पता लग जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की अवहेलना की है।

संरक्षण हटाने के भी कई मामलों का उल्लेख किया गया है। जब अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित सुयोग्य व्यक्ति नहीं मिल सके तो संरक्षण हटाया गया। परन्तु उक्त जातियों की शिकायत है कि पिछले 20 वर्षों से उनके साथ न्याय नहीं किया जा रहा। इसलिये अब उन्हें और अधिक अवसर प्रदान किए जायें। शिक्षा का यह मूल प्रश्न है। इसलिये इस मामले की जांच करवाना आवश्यक है।

संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन में भारतीय शिक्षा सेवा का कोई उल्लेख नहीं किया गया। मैं यह कहना चाहता हूँ कि भारतीय शिक्षा सेवा के अन्तर्गत जब सुयोग्य व्यक्तियों के लिए भर्ती की जाये तो कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही की जाये।

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : यह खेद जनक बात है कि संघ लोक सेवा आयोग अपने प्रतिवेदनों की सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं करता। इन प्रतिवेदनों का चर्चा में काफी समय लग जाता है। पिछली बार भी जब इन प्रतिवेदनों पर चर्चा की गई तो बहुत कम समय दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना शेष भाषण अगले दिन जारी रख सकते हैं।

स्थगन प्रस्ताव

MOTION FOR ADJOURNMENT

दिल्ली पुलिस द्वारा आन्दोलन

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : I beg to move that the House may now be adjourned. The Government has failed in her duties to maintain the rule of Law. There are eight police women still confined in jail and they have not been released even on bail. Similarly there are 22 proclaimed offenders, prosecution against whom has not so far been launched. Doubts have been expressed as to whether these persons have died or they are missing. About 300 to 400 police-men have submitted their resignations but they are still made to work. They have been told that their resignations will be considered in due course. Border Security Force has no legal right to arrest and arrest of policemen therefore was illegal. Now prosecutions are being launched in Tihar Jail but the question of hearing depends on the discretion of the magistrates concerned. The police-men dismissed or suspended have not got their pay and allowances for the month of April

upto this day. Consequently the families of these police-men are facing great hardships. I know the behaviour of policemen is such that people do not sympathise with them. I also want that discipline should be maintained especially in police and military service. But discipline is violated when people raise their voice against supression and injustice and the Government does not bother about the grievances of the public. I would like to give you a few instances of history.

अध्यक्ष महोदय : यदि आप प्राचीन इतिहास के विषय में कुछ कहना चाहते हैं तो अवश्य कहिये, परन्तु आपका बोलने का समय अब केवल दस मिनट रह गया है।

Dr. Ram Manohar Lohia : Lord Alenbera wrote that the situation should be created in such a way that "the sepoy must be made to fear his officer more than the enemy". I gave a ring to the Hon'ble Minister of Home Affairs on the day when these incidences took place but I was told that there is nothing but duty is being changed whereas the fact remains that policemen were being disarmed. I have been telling the policemen not to proceed in the matter hastily.

There is wide disparity in the salaries of an ordinary constable and Inspector General and Minister of Home Affairs. There is a difference of 40 to 50 times but in America and England the difference of salaries is only two to four times. The police men do not get Government accommodation and the houses, which are provided to some of the police men, do not have necessary amenities. They are treated roughly because Government expect them to behave roughly with the public. The issues which have been raised now are not new but very old ones. They set up many commissions to go into grievances of the policemen like British rulers but nothing happens.

The British policy of suppression is still being followed by our Government. The policeman is more afraid of his officer than a foe. This policy needs a fundamental change. The old practice of taking a salute from the policemen should be done away with. No policeman should be posted at the Bungalows of the ministers.

It was expected from the present Home Minister that he would reorganise the complete set up of the police organisation but all our hope had been belied because he was following the policy of suppression and bureaucracy. This is the proper time to being the necessary changes in this regard.

We tried our best for the reorganisation of the police set up during this strike but failed because our party in the Capital was too weak to do that. We could not gather sympathies of the public for the policemen.

The impression that policeman is an instrument of suppression should be washed away from the minds of the people.

The complete police force should be so reorganised to make it an effective force for preventing the crimes. With these words I move the motion.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : (अलीपुर) हमारे पुलिस दल का स्वतन्त्रता से पूर्व तथा बाद भी लोगों में यह प्रभाव बना हुआ है कि यह एक दमन करने वाला दल ही है। अंग्रेजों के शासन के दौरान जिन परम्पराओं तथा प्रथाओं के अन्तर्गत बनाया गया था उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। पूरी गम्भीरता, नये आधारों तथा दृष्टिकोण से पुलिस फोर्स का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

कल ही कलकत्ता में एक घटना घटी जिसमें एक महत्वपूर्ण थाना का भारसाधक अधिकारी ने दण्डाधीशों, भूतपूर्व संसद सदस्य तथा पत्रकारों आदि को घायल कर दिया।

पुलिसमैन संयुक्त मोर्चे की सरकार के विरुद्ध नारे भी लगा रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पश्चिमी बंगाल सरकार कुछ परिवर्तन लाना चाहती थी परन्तु पुलिसमेनों को तो दमन करने की ही आदत पड़ चुकी है। ऐसा शायद देश में प्रथम बार ही हुआ है।

मैं इस बात को मानता हूँ कि दिल्ली की पुलिस फोर्स ने अपनी मांगे मनवाने के लिए आन्दोलनात्मक रवैया अपनाया जो कि अनुशासन की दृष्टि में अपराध है। परन्तु उन्होंने ऐसा आर्थिक उत्थान के लिए किया। कई वर्षों से दिये जाने वाले वेतनमान बहुत कम है। उनकी आवास व्यवस्था भी निन्दनीय है। 7 नवम्बर की घटना के पश्चात् इस सभा में सभी की ओर से पुलिस वालों की बड़ी प्रशंसा की गई थी। परन्तु आज उन्हीं पुलिस वालों को जेल में बन्द कर दिया गया है और उनकी न्यूनतम मांगों को भी स्वीकार नहीं किया गया है। जेल में गिरफ्तार हुए पुलिस वालों को 'सी' क्लास दी गई है। हालांकि 7 नवम्बर को जो लोग पकड़े गये थे उनको 'बी' क्लास दिया गया था। खोसला आयोग की नियुक्ति के समय यह वचन दिया गया था शीघ्रता से जांच करके उनकी शिकायतों को दूर किया जायेगा। परन्तु अब तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

दिल्ली के अधिकांश पुलिसमैन कम पढ़े लिखे हैं। उनको हरियाना, पंजाब तथा दिल्ली के आसपास के ग्रामों से भर्ती किया जाता है। उनको पूरा प्रशिक्षण भी नहीं दिया जाता क्योंकि उनको दिल्ली में सुरक्षा कार्यों पर ही आमतौर पर नियुक्त किया जाता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस के प्रति सरकार का रवैया कुछ बदला लेने वाला है। दिल्ली प्रशासन द्वारा गिरफ्तार हुए पुलिसमेनों को अपनी रक्षा के लिए कानूनी सहायता भी नहीं दी जा रही है। मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूँ कि उक्त सूचना ठीक है अथवा नहीं। तीसरे ऐसे पुलिसमेनों को निलम्बन काल का भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है। यदि यह ठीक है तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा किस नियम के अन्तर्गत किया गया है। पुलिस कर्मचारी संघ द्वारा दिये गये सुझावों को खोसला आयोग को नहीं भेजा गया है। दिल्ली पुलिस द्वारा जिन पुलिसमेनों को उद्घघोषित अपराधी ठहराया गया है उनमें से अधिकांश का कुछ पता नहीं है। ऐसे समाचार आ रहे हैं कि लापता व्यक्ति या तो मार दिये गये हैं अथवा वे अमानवीय व्यवहार के कारण मर गये हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस बारे में कोई जांच की गई है और यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले हैं।

'दिल्ली बार' के जिन सदस्यों ने इन लोगों की रक्षा के लिए समिति नियुक्त की थी उनको मुकदमे का समय तथा स्थान के बारे में ब्यौरा नहीं दिया जाता है।

इस समूचे मामले की जांच के लिए सरकार को न्यायिक आयोग नियुक्त करना चाहिए। किसी प्रकार के समझौते के लिए बिहार के पुलिस विभाग के मंत्री की सेवाओं का लाभ उठाया जाना चाहिए था।

सरकार को अपने प्रतिशोधात्मक रवैये में परिवर्तन करना चाहिए। पुलिस वालों के साथ मानवीय ढंग से पेश आना चाहिए।

श्री कृष्णकुमार चटर्जी (हावड़ा) कलकत्ता में घटी घटना के बारे में मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जब भूतपूर्व संसद सदस्य श्री मुहम्मद इलियस को गिरफ्तार किया गया तो लोगों ने थाने के बाहर एकत्रित होकर उनको छुड़ाने के लिए पुलिस पर दबाव डाला।

पुलिस के कुछ कर्तव्य तथा दायित्व हैं । दूसरी ओर के कुछ माननीय सदस्य अभी भी यह सोचते हैं कि अंग्रेजों के ढंग से ही पुलिस फोर्स विनियमित करना चाहते हैं । परन्तु ऐसा नहीं है । मैं ऐसे राज्य से आया हूं जहाँ संवैधानिक तरीके से पुलिस वालों की सेवा की शर्तों में सुधार किया गया है । सरकार ने पुलिस आयोग स्थापित किया था जिसने बहुत क्रान्तिकारी सिफारिशें की हैं । इसलिए पुलिस वालों को यह गैर-कानूनी तरीका नहीं अपनाना चाहिए था ।

14 अप्रैल को लगभग एक हजार पुलिस वाले गृह-कार्य मंत्री के घर के सामने जमा हो गये जबकि धारा 144 लगी हुई थी । इसके बावजूद कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया था गृह-कार्य मंत्री बड़े संयम से काम लेकर उनके समक्ष उपस्थित हुए तथा उन्हें समूचे मामले में जांच करने का वचन दिया । गृह-कार्य मंत्री ने उनको सावधान भी किया कि वे लोग कानून के रक्षक हैं और यदि वे स्वयं कानून को भंग करने लगे तो सभ्य जीवन असम्भव हो जायेगा ।

ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस के इस आन्दोलन के पीछे किसी का हाथ था । इसके बावजूद भी सरकार ने उनकी शिकायतों की जांच करने के हेतु एक आयोग की नियुक्ति करके प्रशंसनीय कार्य किया है ।

मैं माननीय सदस्य से अपील करूंगा कि वह स्थगन प्रस्ताव को आगे न चलाये क्योंकि यह मामला न्यायधीन है । माननीय सदस्यों को अपनी टिप्पणीयां नहीं देनी चाहिए क्योंकि इससे न्यायालों को उचित निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन हो जायेगा ।

श्री वीरेन्द्रकुमार शाह (जुनागढ़) भारत-ब्रिटिश सम्बन्धों में 1857 का वर्ष बड़े एतिहासिक महत्व का है । यद्यपि अंग्रेजों ने इसे गद्दर का नाम दिया था तथापि हम इसको आजादी की प्रथम लड़ाई कहते हैं । परन्तु 110 वर्ष पश्चात दिल्ली में वास्तविक रूप से सिपाहियों ने गद्दर किया । जिसको दबाने के लिए अंग्रेजों की हाई सेना को बुलाना पड़ा ।

पुलिस वालों के साथ मुझे पूरी सहानुभूति है परन्तु यह कार्यवाही अत्यन्त गम्भीर तथा देश की एकता तथा अखंडता को खतरे में डालने वाली थी, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोगों ने इस हड़ताल से राजनैतिक लाभ उठाने का प्रयत्न किया ।

दिल्ली वालों में असंतोष का एक कारण यह भी है कि सरकार ने उनकी कठिनाइयों तथा समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया । मुझे बताया गया है कि पुलिसमेन को धोबी, नाई तथा नगरनिगम के सफाई कर्मचारी से भी कम वेतन मिलता है जबकि उनकी ड्यूटी अधिक कठोर है । उनके आवास की व्यवस्था उचित नहीं है । यही कारण है कि उनमें व्यापार संघ (ट्रेड यूनियन) बनाने की भावना उत्पन्न हुई । परन्तु उनकी कठिनाइयों की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया ।

पुलिस वालों में वास्तव में 1954 से असंतोष फैल रहा है । सरकार ने तथा पुलिस अधिकारियों ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की । हमारी सरकार की सदा से यह प्रथा रही है कि वह देरी से किसी समस्या के प्रति जागरुक होती है । एक विदेशी महीनों देश में रहकर समस्त कठिनाई उत्पन्न कर गया । परन्तु गुप्तचर विभाग के होने के बावजूद सरकार स्थिति का पता लगाने में असफल रही जब तक कि स्थिति ने विस्फोटक रूप धारण नहीं कर लिया ।

पुलिस की उचित मांगों पर भी आन्दोलन के पश्चात् ही ध्यान दिया गया है । पुलिस के नियमों में परिवर्तन किया जाना चाहिए क्योंकि वे बहुत पुराने तथा अप्रचलित हो गये हैं ।

पुलिस वालों की शिकायतों, की जांच के लिए ब्रिटिश के तरीके के परिषद होने चाहिए जिसमें सरकार तथा पुलिस वालों के प्रतिनिधि हों। पुलिस आयोग की रिपोर्ट जब प्राप्त हो तो उसको तुरन्त ही कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

Shri Balraj Madhok (South-Delhi) : The problems of the Delhi Police are genuine. Since long Government's attention was being drawn on them but of no avail. Only ten per cent of the 16,000 police constables have been provided with housing accommodation. Their salaries are too low. Even lower than 'Patwaries' which once happened to be higher by five rupees. Woolen uniforms are not supplied to the police constables during the winters. Nothing was done to redress their grievances.

A bill was introduced in the House to prohibit the policemen to form the union. However, they were allowed to form an association and as a result thereof a Police Karamchari Sangh came into existence.

One of the grievances of the policemen was that recruitment to the grade of Sub-Inspector should be made from the junior ranks. Recently about one hundred Sub-Inspectors have been recruited from outside and the whole trouble started from this point. According to the rules and regulations fifty per cent posts can be filled through direct recruitment.

The main trouble started when seven policemen were dismissed on the 14th April. If Government have been suspecting some thing it could have suspended them instead of dismissing them. Government should have also tried other methods to bring them round. On getting agitated over the dismissal of their seven persons they held demonstration before the house of the Home Minister which was not proper. But in my view some political parties were also involved in that. It is unfortunate that they tried to gain political ends from this trouble. It is our definite view that police and the armed forces should remain away from the politics.

There is no doubt that policemen had adopted the wrong path but Government should not adopt vindictive policy. It is not proper that policemen have been provided with the facilities available even to the criminals. They have not been given even 'B' Class in the jails. There is no time for the magistrates to hold the courts. The hon. Home Minister should look in to all these matters.

Government should not terminate the services of the arrested persons and some via media should be found out in consultation with the office bearers of the Police Karamchari Sangh.

Government should also appoint a Parliamentary Committee to look into the grievances of the police and armed forces.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Most of the policemen who have been arrested in connection with police agitation, belong to areas in the vicinity of Delhi. It is unfortunate that they have fallen a prey to a few politicians. The politicians incited them to indulge in agitations.

I would request the Minister of Home Affairs to be lenient in this matter. Discipline is a must in the police forces and armed forces. Indiscipline in those forces would endanger the security of the nation. The Delhi Police have committed a mistake by indulging in such indiscipline. In spite of that the Hon. Minister of Home Affairs should be lenient towards them. They are brave soldiers of the police force and they have indulged in wrong acts under certain pressures.

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : पुलिस के सम्बन्ध में मुझे कुछ अन्य संसद सदस्यों के साथ प्रधान मंत्री को मिलने का अवसर मिला। मैंने प्रधान मंत्री को बताया कि मैं भारत के

पहले पुलिस आयोग का अध्यक्ष था। मैं भारत में पुलिस की स्थिति को जानता हूँ। उनकी बहुत सी शिकायतें हैं। दिल्ली पुलिस की मांगें उचित हैं। उनका वेतन अपर्याप्त है। उनकी मकानों सम्बंधी कठिनाइयां हैं और पदोन्नति के बारे में भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है।

हमारी पुलिस फोर्स ने पहले बहुत अच्छा कार्य किया है। कार्मिक संघ बनाना उनका मूल अधिकार है। परन्तु पुलिस के जिन सिपाहियों ने संघ के लिए मान्यता की मांग की, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। यह बहुत ही अन्याय की बात है।

इस समय 958 व्यक्ति जेल में हैं। उन्हें "सी" क्लास में रखा गया है और उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है उन्हें ऐसे स्थानों में रखा जाता है जहां बहुत अधिक व्यक्तियों को भर दिया जाता है। न्यायालयों में उनके मुकदमों के लिए कोई उचित सुविधा नहीं है क्योंकि मजिस्ट्रेट ठीक समय पर नहीं पहुंचते हैं। गौरक्षा आन्दोलन में भाग लेने वालों को 'बी' क्लास दी जाती है। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं परन्तु यह भेदभाव है। मेरा गृह-कार्य मंत्री से निवेदन है कि वह इस मामले में निर्दयी न हों और मानवीय दृष्टिकोण अपनायें। इससे समस्या हल होगी। मैं इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया जाये।

Shri R. K. Singh (Faizabad): Certain privileges have been bestowed on us under the Constitution. We should respect the Constitution and the conventions. If the police or army is allowed to become a tool of politics, it will be a conspiracy to disintegrate the country and I vehemently oppose this tendency. I was one of the Members who tabled calling attention notice regarding police and I support their demands. At the same time, I do not want them to fall a prey to politics.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): The policemen cannot get a chance to be with their families during important festivals of Dewali and Holi. Their duty is veryhard and they do not find time to attend to their families and important domestic duties. They should be given atleast one month s' leave during one year so that they could look after their families. There is a similar provision in the Ministry of Railways. The Minister of Home Affairs should pay attention to this matter.

The Khosla Commission has submitted its report but the Government have not been able to take a decision in this regard and the policemen have been deprived of the facilities, which they should have got as a result of this report.

The policemen are entitled to an overtime allowance of Rs. 1. 25 per hour if they perform more than eight hours of duty, but their duty hours are stretched in such a way that they get no overtime even after working for twelve hours. This is a great injustice to them.

It is true the police and the army should not resort to strikes but it is equally necessary to meet their demands. The treatment meted out to policemen on strike is not proper. The Government should consider their demand at the national level.

श्री नायनार (पालकार) : हम पुलिस की हड़ताल का विरोध करते हुए दिल्ली के पुलिसमैनों की मांगों का समर्थन करते हैं। उनका वेतन बहुत कम है और उन्हें अन्य आवश्यक सुविधाओं से भी वंचित रखा जाता है। बहुत लम्बी अवधि से वे अधिक वेतन, काम करने की अधिक अच्छी परिस्थितियों और उनके संघ को मान्यता देने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। परन्तु सरकार उनके संघ को मान्यता देने और उनकी अन्य मांगों पर विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं। सरकार ने न केवल उनकी मांगों की उपेक्षा ही की है बल्कि पुलिस वालों को

गम्भीर परिणामों की धमकी भी दी है। उन्हें डराने के लिए ही सीमा सुरक्षा दल को भी बुला लिया गया था।

यदि सरकार अपने इस जिद्दी रवैये पर अड़ी रही तो पुलिस वालों का हाल ही का आन्दोलन अधिक प्रतिशोध के साथ दुहराया जा सकता है। 1500 पुलिस कर्मचारियों को निरुद्ध करने, 600 को पदच्युत करने पुलिसमैनों तथा उनके परिवारों के रहने के स्थानों पर घेरा डालने तथा समूचे नगर में आतंक फैलाने के बाद ही पुलिसमैनों का आन्दोलन दबाया जा सका था।

किसी आयोग की नियुक्ति से कोई समस्या हल नहीं हो सकती। शायद इस से कई समस्यायें पैदा हो सकती हैं। इस बात की आवश्यकता है कि पुलिसमैनों की शिकायतें दूर करने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जाये।

दिल्ली में पुलिसमैनों की स्थिति निराशाजनक है। उन्हें शीतकाल में पर्याप्त गरम कपड़े नहीं मिलते। ऐसी परिस्थिति में आप उन से प्रभावी रूप में कार्य करने की आशा किस प्रकार कर सकते है ?

Shri Bhola Nath (Alwar) : Dr. Ram Manohar Lohia has said that dozens of policemen have been killed during the Police agitation. That statement is totally baseless. Such irresponsible statements should not be made in the House.

The police should be kept away from trade unionism. It is unfortunate that certain opposition leaders are using them for their political ends. The Minister of Home Affairs had already assured that their legitimate demands would be considered. The Non-Gazetted Police Employees Union was recognised on 12th December, 1966 and the authorities paid attention to their grievances, whenever such grievances were put forth by them.

The Police is responsible for keeping law and order in the country. It is highly improper to incite them because the security of the country is endangered thereby. I, therefore, urge the House to reject the motion moved by Dr. Ram Manohar Lohia.

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : श्रीमान्, मैं इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। दिल्ली में पुलिस के मामले से हमें यह अध्ययन करना चाहिए कि पुलिस विभाग के अफसरों के मन में क्या विचार हैं। पुलिस आन्दोलन के बारे में दिल्ली में जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकार पर है। सरकार ने लम्बे समय से पुलिस कर्मचारियों की उचित मांगों की उपेक्षा की है। उनके वेतन तथा भत्ते बहुत कम हैं। 70 प्रतिशत कर्मचारियों को मकान नहीं दिए गये हैं। सरकार ने समय-समय पर मूल सुविधायें देने से उन्हें वंचित रखा है। पुलिस कर्मचारियों की शिकायतों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय आयोग की नियुक्ति की जानी चाहिए। मंत्री महोदय को इस विषय की निष्पक्ष जांच करानी चाहिये और यथासम्भव पुलिस को अधिकतम राहत प्रदान करना चाहिये।

Shri Sheo Narain (Basti) : I am not supporting the strike resorted to by the Delhi Police. Discipline must be maintained. I would request the hon. Home Minister that he should now take a lenient view. If the poor policemen have done some thing, they should be pardoned for that. I want that Delhi police should also maintain discipline and should not adopt agitational approach. Government should provide more facilities to the police.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) The police agitation in Delhi is an unprecedonted event. There is a background of all this. The police people have remained a neglected lot during all these years. They were not provided necessary amenities.

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** }
{ **Mr. Deputy Speaker** ***in the Chair*** }

The policemen are not given woollen clothes during winter. There are practically no avenues of promotions for policemen. In such circumstances it is natural that they would be frustrated. A frustrated man would do like that. I do not support their action but, they were forced to adopt those methods. It is unfortunate that the Congress Party is responsible for all this. Some other parties also gave support to this agitation. Government should set up a machinery to look into the grievances of police personnel. I request the hon. Minister that no action should be taken against the police and they should be set free.

श्री म. ला. सोंधी (नई दिल्ली) : दिल्ली पुलिस के दृष्टिकोण को ठीक प्रकार से समझा नहीं गया है । माननीय मंत्री जी को उनकी बात समझनी चाहिये और गलत फहमियों को दूर करना चाहिये ।

गृह कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : इस मामले में हमें पूरी सहानुभूति थी । हमने पहले यह मांग स्वीकार की थी कि पुलिस वालों को अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिलना चाहिये । मुझे पुलिस के विभाग की समस्याओं आदि का काफी अनुभव है क्योंकि मेरा इससे पिछले 15-20 वर्षों से सम्पर्क चला आ रहा है । दिल्ली पुलिस वालों ने अपना एक संघ बनाया था और हमने उसे मान्यता भी दी । परन्तु बाद में पुलिस वालों को कुछ गलत सलाह दी गई । दिल्ली के विकास के साथ यहाँ की पुलिस में वृद्धि होती गई । दिल्ली में पुलिस के उच्चाधिकारी सामान्यत: अन्य राज्यों से लाये जाते रहे हैं । ऐसे अधिकारियों ने अपने मूल राज्यों के बारे में ही सोचते रहते थे ।

इस प्रकार पुलिस वालों के बारे में कई प्रश्न थे । इन सभी पर विचार करने के लिये एक कमीशन की नियुक्ति की गई । जिसके अध्यक्ष श्री जी० डी० खोसला थे । उस कमीशन की सिफारिशों की प्रतीक्षा किये बिना हमने पुलिस वालों की कठिनाइयों को देखते उनकी सहायता के बारे में सोचा । पुलिस वालों के लिये आवास व्यवस्था सुधारने के लिये तुरन्त ही 50 लाख रुपये मंजूर किये गये । पुलिस वालों द्वारा अधिक घन्टे तक डयूटी देने के लिये विशेष भत्ते की व्यवस्था की जा रही है । उनके लिये ट्रांस्पोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध करने के बारे में सोच रहे थे । ऐसे और भी कई निर्णय किये जा रहे हैं । परन्तु मुझे बड़ा खेद हुआ कि कुछ लोग पुलिस में अनुशासन हीनता की भावना फैला रहे हैं । अन्ततः 14 तारीख को यह दिन आया और सब कठिनाइयां हमारे समक्ष आयीं । मुझे बहुत हैरानी हुई जब डा० लोहिया से मुझे इस बारे में टेलीफोन पर पूछा गया कि पुलिस वालों से हथियार वापिस क्यों लिये जा रहे हैं । मैंने उन्हें बताया कि उनकी डयूटी बदली जा रही है । इसलिये हथियार लिये जा रहे हैं । पुलिस वालों को गुमराह किया गया था, और उन्होंने धारा 144 का उल्लंघन किया और एक जलूस निकाला । उन्होंने मेरे घर के सामने एकत्र होकर कई प्रकार के नारे लगाये । यह सारी रात होता रहा । अगले दिन प्रातः समय जब मैं कार्यालय आ रहा था तो मैंने उन लोगों

से अपील की कि वे अपने-अपने काम पर चले जायें और अनुशासन का परिचय दें। परन्तु पुलिस वालों ने मेरी अपील को नहीं माना और हमें उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। जब ये लोग ट्रकों में ले जाये जा रहे थे उस समय एक ट्रक की दुर्घटना हो गई और दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। प्रधान मंत्री ने इनके परिवारों की सहायता के लिये 5,000 रुपये मंजूर किये हैं।

हम सबको इस बात का ध्यान रखना है कि पुलिस में अनुशासन भंग न हो। डा० लोहिया से मेरी प्रार्थना है कि उनको वह देश के हित की बात भी सोचें।

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, the hon. Minister should have given some indication of his future course of action.

Dr. Ram Manohar Lohia : This Government has brought the country to this miserable condition after its rule of 20 years. In almost all the civilized countries of the world police force have got their trade unions. In West Germany even the army has got the right to form trade union. Here, I am sorry to say that proper answers are not given. He has said that only duty was changed. It is incorrect. Actually Central Reserve Police was deployed and Delhi Police was disarmed.

The hon. Minister should think of that day. First he got posted C. R. P. and after that Border Security Force was put on duty. When that was also considered insecure, he got army guards posted. It shows his own way of thinking. This was a very serious matter. His predecessor was removed from office on account of a very minor matter of 7th November 1966. It is wrong that I instigated the police people. I can say that it was Government who instigated them by suspending seven persons. I request the hon. Minister to take a lenient view towards police people.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि सभा अब स्थगित हो।"

मतदान सम्बन्धी बिजली का यन्त्र ठीक प्रकार कार्य नहीं कर रहा है। अतः मतदान कल होगा। अब सभा स्थगित होती है और कल 11 बजे समवेत होगी। **(अन्तर्बाधाएं)** अब मतदान होगा।

एक माननीय सदस्य : आपने तो सभा को स्थगित कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

मैं दल के सचेतकों से अनुरोध करता हूं।

एक माननीय सदस्य : मैं यह जानना चाहता हूं कि सभा स्थगित हो गयी या नहीं ?

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, you have adjourned the House. It is wrong on your part to ask the members to reassemble.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोझियान अपना भाषण जारी रखें।

श्री स. मो. बनर्जी : आप रिकार्ड देख लीजिये । आपने सभा को स्थगित कर दिया है । यह नियमों के विरुद्ध हैं । हम सभा के रिकार्ड की एक कापी चाहते हैं । आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोकसभा गुरुवार 25 मई, 1967 । ज्येष्ठ 4, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, May 25, 1967/Jyaistha 4, 1889 (Saka)